शिविरा पत्रिका

प्रकाशन तिथि : 2 मई, 2011 मासिक

मई-जून 2011 वर्ष : 51 अंक : 11-12 मूल्य : 10 रुपये

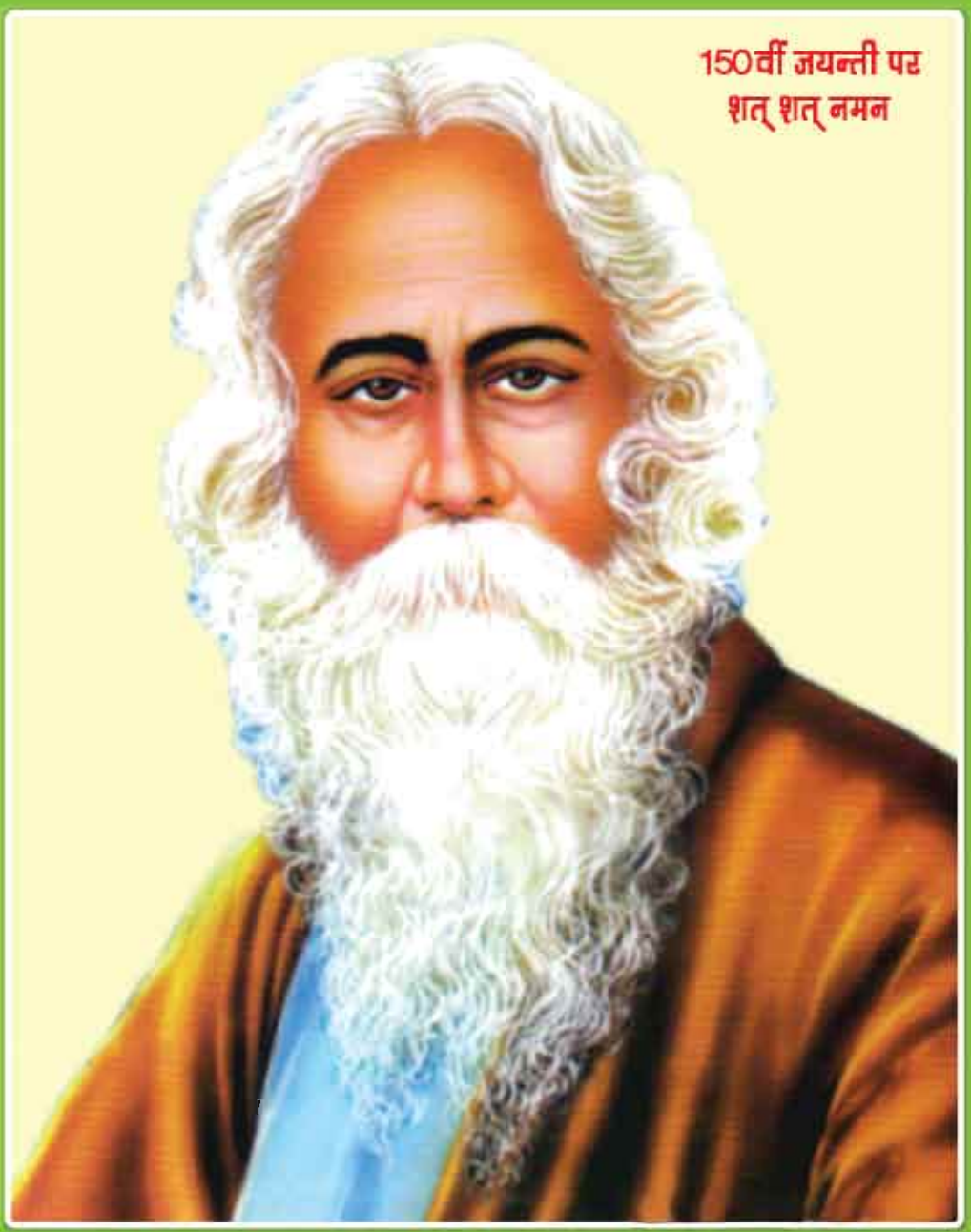

7 मई 1861 - 7 अगस्त 1941

अभिनन्दन : श्री महावीर स्कूल जयपुर में वयोवृद्ध शिक्षक श्री तेजकरण डंडिया के शतायु होने पर उनका अभिनन्दन किया गया। (बाएं) मंच पर मुख्य अतिथि श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, राजस्थान, विशिष्ट अतिथि श्रीमती कमला, राज्यपाल, गुजरात तथा श्री तेजकरण डंडिया (दाएं) अभिनन्दन के भावपूर्ण क्षण।

दीक्षान्त समारोह : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के दीक्षान्त समारोह में (बाएं) दीप प्रज्वलित करते माननीय शिक्षामंत्री श्री भँवरलाल मेघवाल, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री श्री मांगीलाल गरासिया तथा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, श्री भास्कर ए. सावन्त तथा (दाएं) सूचकांक आधारित श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यालय की संस्था प्रधान पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

सेमिनार : अंग्रेजी भाषा शिक्षण की सम-सामयिक विधियों पर राष्ट्रीय सेमिनार, बीकानेर में दिनांक 25 मार्च, 2011 को सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर (बाएं) प्रकाशित स्मारिका का विमोचन करते अतिथि तथा (दाएं) इस अवसर पर उपस्थित महानुभाव।

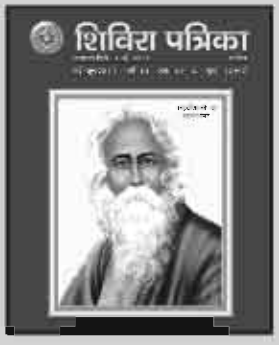

शिविरा पत्रिका

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा का समाचार-विचार मासिक

वर्ष : 51 अंक : 11-12

मई-जून, 2011

प्रकाशन तिथि : 2 मई, 2011

प्रधान सम्पादक
भास्कर ए. सावन्त

•

वरिष्ठ सम्पादक
ओमप्रकाश सारस्वत

•

सहायक
लक्ष्मी नारायण शर्मा
मुकेश व्यास

- एक प्रति 10 रु.
- वार्षिक चंदा संस्थाओं के लिए 100 रु.
- वार्षिक चंदा शिक्षकों/लिपिकों के लिए 50 रु.
- मनी ऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नाम देय है।
- पोस्टल ऑर्डर/चैक स्वीकार्य नहीं हैं।

रचनाएं भेजने का पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर-334 011
दूरभाष : 0151-2528875
E-mail : teacher.today@yahoo.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –व.सं.

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते
श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।

डॉ. (सुश्री) वीना प्रधान ने 04 अप्रैल, 2011 को निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान के पद का कार्यभार ग्रहण किया। आपका जन्म 15 अगस्त 1962 को हुआ। आपका गृह जिला अजमेर है। आप विज्ञान में अधिस्नातक व पीएच.डी. के साथ प्रबन्ध में मास्टर डिग्री प्राप्त हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने से पूर्व आप महिला और बाल विकास विभाग में कार्यकारी निदेशक, स्वयं सहायता समूह पद पर कार्यरत रहीं। सामाजिक चेतना जाग्रति एवं शिक्षा के लोकव्यापीकरण में आपकी गहरी रुचि है। श्रेष्ठ कार्य निष्पादन कर आप महामहिम राज्यपाल एवं माननीय प्रधानमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुरस्कारों से सम्मानित हुईं। आपने हॉकी में राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिनिधित्व किया है। आपकी संगीत में भी पूर्ण रुचि है।

इस अंक में

उत्कृष्टता की ओर कदम	5	**दिशाकल्प**
खोल दे माँ, खोल दे दरवाजे	6	**ओमप्रकाश सारस्वत**
हजार सुरों में गूँजता एक विराट संगीत	10	**भवानीशंकर व्यास**
विद्यार्थी-जीवन के कुछ अनुभव	18	**मो. क. गाँधी**
किताब के झरोखे से- एक अस्पताल : एक स्कूल	20	**शिवरतन थानवी**
जीत में छिपे हैं महत्त्वपूर्ण संदेश	21	**आत्माराम भाटी**
भारतीय चिन्तन व सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम : सार्थक दिशा की तलाश	31	**चतर सिंह मेहता**
आनन्ददायी एवं उपयोगी शिक्षक-प्रशिक्षण	35	**डॉ. दाऊदयाल गुप्ता**
प्रभावशाली प्रशिक्षण के अनुभूत सूत्र	37	**मुकेश व्यास**
प्रशिक्षणों में प्राण फूँकते हैं अभियान गीत	38	**मदनलाल पुरोहित**
सुकून देते तीन दशकों की समीक्षा	40	**राजेन्द्र जोशी**
शिक्षा के क्षेत्र में ई-लर्निंग	42	**लक्ष्मी ननमा**
साहित्य शिरोमणि की 150वीं जयन्ती	50	**प्रतिध्वनि**

रवीन्द्र विशेष

रवीन्द्रनाथ टैगोर की कालानुक्रमिक महत्वपूर्ण रचनाएं -13/ रवींद्रनाथ ठाकुर का पहला हिन्दी भाषण - 15/रवीन्द्र द्वारा नाइट उपाधि का परित्याग-16/महात्मा गाँधी का टैगोर के नाम पत्र - 16/सफर-कला, संस्कृति और भाईचारे का - 17

स्थाई स्तम्भ

पाठक पीठ - 4/आदेश परिपत्र -23/चतुर्दिक - 44/शैक्षिक समाचार - 45/ पुस्तक परिचय - 46/रपट - 47/भामाशाह - 48

आवरण

अनूप गोस्वामी, नरेन्द्र जोशी

पाठक पीठ

शिक्षक वही बने जो आजीवन शिक्षार्थी रहे.. ज्ञान की शक्ति, मानव मूल्यों का संरक्षण व वैश्विक चुनौतियों का सामना कर भारत को विश्व की नई शक्ति के रूप में तैयार करने का दायित्व हमारे संस्था प्रधानों व शिक्षकों का है, लेकिन हम अपने मूल कर्त्तयों को भूलकर केवल अपने व्यकितगत समस्याओं व संस्थापन सम्बन्धी कार्यों में उलझे रहते हैं। दिशाकल्प में आयुक्त महोदय के ये विचार पढ़कर उनमें राधाकृष्णन की छवि प्रतीत हुई। हम शिक्षकों को हमारे विभागाध्यक्ष की भावना के अनुरूप कार्य कर अपनी शिक्षकीय गरिमा को सिद्ध करना चाहिए।

– शशि गुप्ता, जि.शि.अ.
माध्यमिक द्वितीय, अलवर

मैं शिविरा का 1968-69 से ग्राहक हूँ और मेरे पास इसका अटूट संकलन है। इस प्रकार शिविरा प्रकाशन से मेरे 42 वर्ष के जुड़ाव पर मुझे गर्व है।

– विनोद कुमार यादव, अध्यापक, धौलपुर

दिशाकल्प में आयुक्त महोदय के उद्‌गार विद्या ददाति विनयम् को जीवन्त कर देने वाले होते हैं। आपकी विनम्रता तथा निर्मल व सादगीयुक्त शब्दों में आपकी महानता झलकती है। आपके विचार हम सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी है।

– प्रवीण अरोड़ा, व्याख्याता
राजकीय उ.मा.विद्यालय, लूनियावास, जयपुर

दिशाकल्प में आयुक्त महोदय द्वारा विद्यार्थियों को भी निरीक्षक व समीक्षक के समकक्ष मानना उनकी महानता व हमारे लिए अनुकरणीय है। साथ ही शैक्षिक उन्नयन हेतु सुझाव लेकर आने वाले शिक्षकों का स्वागत करना प्रशंसनीय है।

– नरेन्द्र कुमार सोनी, अध्यापक
राजकीय उ.प्रा.विद्यालय, सापूनी (पाली)

बोर्ड परीक्षा के सफलता व पवित्रतापूर्वक संचालन के लिए आयुक्त महोदय की अपील परीक्षा यज्ञ एवं शिक्षक पुरोहित पढ़कर जहाँ मन को प्रसन्नता हुई, वहीं अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन और अधिक परिश्रम एवं लगन से करने की प्रेरणा मिली। आपका यह कथन शिक्षकों को भीतर तक उतार लेना चाहिए कि विद्यार्थियों को पढ़ाने लिखाने से लेकर परीक्षाओं के पवित्रता पूर्वक आयोजन में ही शिक्षकों की गरिमा निहित है। ऐसा करके ही वे समाज में सिर ऊँचा उठाकर चल सकते हैं। अपील का एक-एक शब्द दिल को छू लेने वाला है। इसके लिए आयुक्त महोदय के प्रति आभार।

– महावीर प्रसाद गर्ग, प्रधानाचार्य
राजकीय उ.मा.विद्यालय, झर, जयपुर

Dear Mr. Saraswat,

I acknowledge with thanks your letter written to Director, NCERT requesting him to give his observations on the Magazine as well as contribute NCERT experience through article. Shivira Magazine is one of the reputed Magazine of our country and all of us are aware of its quality and coverage. I am sharing your letter and copy of Shivira with all the Departments of NCERT as well as constituent units requesting the faculty to contribute articles to this Magazine.

With personal regards,

– Neerja Shukla
Prof. & Head, NCERT, New Delhi

इसमें कोई शक नहीं है कि शिविरा में छपने वाली शैक्षिक व अन्य सामग्री विविधता के साथ प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की जा रही हैं। इसके लिए सम्पादक मण्डल बधाई के पात्र हैं। पिछले दो अंकों से सामग्री संयोजन व प्रस्तुति और अधिक बेहतर हुई है, लेकिन विगत 8-10 अंकों के समग्र अवलोकन-अध्ययन में पाया कि पत्रिका का कागज हल्का होने के साथ छपाई में कमजोर है। छपाई में काले धब्बे, अपूर्णता एवं कमजोर प्रिन्टिंग स्पष्ट नजर आती है, जो शिविरा के अनुरूप नहीं है।

– ओमप्रकाश झंवर, प्रधानाचार्य
राजकीय उ.मा. विद्यालय, सूठेपा, भीलवाड़ा

दिशाकल्प में आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा के आलेख का शीर्षक ''गुरु परम्परा को नमन'' पढ़कर शिक्षकों के प्रति उनके आदर भाव को पढ़कर हृदय गदगद हो गया। मन को संतुष्टि का आभास हुआ कि आखिर कुछ तो हैं, जो शिक्षकों को नमन करते हैं।

– टेकचन्द शर्मा, झुंझुनूं

चिन्तन

सांध्य रवि ने कहा
मेरा काम लेगा कौन ?
रह गया सुनकर
जगत सारा निरुत्तर मौन।
एक माटी के दिये ने
कहा, विनम्रता के साथ,
जितना हो सकेगा
मैं करूंगा नाथ।

– रवीन्द्रनाथ टैगोर :
रूपांतर : भवानीप्रसाद मिश्र

सत्यमेव जयते

भास्कर ए. सावन्त
आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा

"... शिक्षक, शिक्षक होने से पहले विद्यार्थी भी है, अतः उसका शिक्षण व अधिगम दोनों से समान रूप से वास्ता है। वस्तुतः वह पहले अधिगम के रूप में ज्ञान संचय करता है, जिसे कालांतर में शिक्षण के रूप में अपने विद्यार्थियों में बाँटता है।"

दिशाकल्प

उत्कृष्टता की ओर कदम

नवीन शैक्षणिक सत्र 2011-12 का आगाज 01 मई 2011 से हो जाने के साथ ही विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मई के प्रथम पखवाड़े में पूरक परीक्षाओं के आयोजन एवं उनके परिणामों की घोषणा के पश्चात् डेढ़ माह का ग्रीष्मावकाश होगा। ग्रीष्मावकाश महज अवकाश नहीं है, बल्कि चिन्तन, मनन, सृजन एवं अधिगम के लिए एक अवसर है। हम चाहे विद्यार्थी हैं या शिक्षक अथवा शिक्षा प्रशासन से जुड़े अधिकारी, सबका यह कर्तव्य बनता है कि इस अवकाश अवधि में व्यावसायिक उत्कृष्टता की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाएं।

शिक्षा व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण घटकों में शिक्षण व अधिगम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक हैं। शिक्षण का सम्बन्ध शिक्षक से है, तो अधिगम का शिष्य से। चूँकि शिक्षक, शिक्षक होने से पहले विद्यार्थी भी है, अतः उसका शिक्षण व अधिगम दोनों से समान रूप से वास्ता है। वस्तुतः वह पहले अधिगम के रूप में ज्ञान संचय करता है, जिसे कालांतर में शिक्षण के रूप में अपने विद्यार्थियों में बाँटता है। इसलिए उसे शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख सूत्रधार कहा जाता है। निःसंदेह शिक्षा का दारोमदार शिक्षकों की श्रम साधना पर टिका है।

नेशनल करीकुलम फ्रेम वर्क 2005 के अन्तर्गत गत सत्र से राजस्थान में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों को अंगीकृत किया गया है। यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिसका दूरगामी प्रभाव प्रदेश के छात्र-छात्राओं की उपलब्धियों में परिलक्षित होगा। हर बदलाव समकालीन पीढ़ी का अतिरिक्त पसीना चाहता है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों की बदली हुई नई व्यवस्था के अनुसार शिक्षकों को प्रवीण बनाने, पाठ्यक्रम की बारीकियों को समझकर प्रभावी शिक्षण प्रविधियों को खोजने के लिए सेवारत शिक्षकों के लिए आमुखीकरण शिविर माह मई-जून में लगाये जाएंगे।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर के तत्त्वावधान में मई माह में विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए इन आमुखीकरण शिविरों का शृंखलाबद्ध आयोजन किया जा रहा है। इनमें शिक्षकों की सम्पूर्ण मन से सहभागिता आवश्यक है। राजकीय नियम और अनुशासन की बात अपनी जगह है। मेरी बड़े भाई के रूप में अपील है कि इन महत्त्वपूर्ण शिविरों में नामित किये जाने पर शिक्षक आवश्यक रूप से उनमें सम्मिलित होवें। इससे उनकी शंकाओं का समाधान होगा तथा शिक्षण कार्यों में उत्कृष्टता हासिल होगी।

हमारे देश के प्रथम नोबल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयन्ती 7 मई को है। वे विश्व कवि के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित हैं। मैं कवीन्द्र-रवीन्द्र को प्रणाम करते हुए उन्हीं के शब्द दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, "अपने व्यवसाय के काम पर श्रद्धा करके ही पुरुष अपने पर श्रद्धा करता है, यह उसकी अपनी शक्ति के आगे अपना समर्पण है।" शिक्षण व्यवसाय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं पवित्र व्यवसाय है। शिक्षक होना गौरव की बात है। मुझे विश्वास है, विश्व कवि की भावना के अनुरूप हमारे शिक्षक, शिक्षण कार्य पर श्रद्धा करते हुए अपनी सम्पूर्ण योग्यता व ऊर्जा शिक्षण कार्य के प्रति समर्पित करेंगे।

(भास्कर ए. सावन्त)

रवीन्द्र का शिक्षा दर्शन

खोल दे माँ, खोल दे दरवाजे

❑ ओमप्रकाश सारस्वत

रवीन्द्रनाथ टैगोर मूलतः कवि हैं। उन्होंने महज आठ वर्ष की आयु में कविता लिखना शुरू कर दिया था और सोलह के हुए, तब तक उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हो गई। वे प्रकृतिवादी हैं। बाल्यकाल में स्कूल में प्रवेश दिलाए जाने पर उनका मन वहाँ नहीं लगता था। वे प्रकृति के मनोरम वातावरण में रहना चाहते थे। इसलिए उन्हें स्कूल कारागृह जैसा लगता था। उनकी आत्मीयता धरती, पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों, नदियों, तालाबों, समुद्र, पहाड़ों आदि से थी। टैगोर अपनी तासीर बताने के लिए कहते हैं, *''मैं पृथ्वी का कवि हूँ, पृथ्वी से जहाँ भी जो ध्वनि उठती है, मेरी बांसुरी के सुर में उसका स्पन्दन उसी समय जाग उठता है।''* इस प्रकार वे स्वयं कह रहे हैं कि उन्हें पृथ्वी यानी प्रकृति प्रिय है। उनकी आँखों को सरोवर का निर्मल जल, परिसर का वनस्पति दृश्य– पेड़, पौधे, फूल-पत्ते, पशु-पक्षी, देखना बहुत अच्छा लगता था। कलकत्ता में उनके घर के पिछले भाग में एक सरोवर था और सरोवर के साथ ही था, उपवन जैसा एक बगीचा। वे अपने घर में सरोवर की ओर खुलने वाली खिड़की में घण्टों बैठे रहते और टकटकी लगाकर सरोवर पर आने वाले लोगों, उनके क्रियाकलापों, हावभाव आदि को देखते रहते। बाल्यकाल के ये संस्कार ही टैगोर के भविष्य को गढ़ने वाले सिद्ध हुए। कहना न होगा, प्रकृति की सुरम्य गोद में शान्ति निकेतन नाम से शिक्षण संस्था की स्थापना करना उनके इसी रुझान की परिणिति है। शान्ति निकेतन यानी शुद्ध रूप से प्रकृति आधारित शिक्षण संस्था।

रवीन्द्रनाथ टैगोर निःसंदेह बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कवि, साहित्यकार और कलाकार थे। सन् 1913 में उनकी कालजयी काव्यकृति गीतांजली पर नोबल पुरस्कार मिलने के बाद से तो न केवल स्वयं टैगोर अपितु पूरा भारत देश विश्व क्षितिज में एक विशेष सम्मान एवं श्रद्धा का अधिकारी बन गया। टैगोर विश्व कवि सम्बोधित किए जाने लगे। एक साहित्यकार और चित्रकार के रूप में यदि देखें तो हम पाएंगे कि 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने कहानियाँ लिखनी शुरू की। उनकी एक-एक कहानी अपने आप में एक दस्तावेज है जो समकालीन पात्रों के चरित्र पर सांगोपांग प्रकाश डालती है। यह जानकर हैरत होगी कि टैगोर ने 60 वर्ष की आयु में चित्रकारी सीखी और हम जानते हैं कि वे जितने अच्छे कवि, गीतकार, कहानीकार थे, उतने ही प्रतिष्ठित चित्रकार भी। साठ वर्ष की आयु के पश्चात् चित्रकला सीखने का उपक्रम कर फन में महारत हासिल करना बहुत बड़ी बात है। रवीन्द्र बाबू की तूलिका से बने चित्रों की भावभूमि से लेकर उनमें निरूपित चित्रकला की विभिन्न बारीकियों को समझने में शोध-विश्लेषक सदैव रुचिशील रहे हैं।

> *'खोल दे मां, खोल दे दरवाजे।*
> *जाने दे, जाने दे, उसे धूप में तपने,*
> *हवा में गैल करने, मिट्टी में लोटने।*
> *जाने दे, उसे*
> *जहाँ चौतरफा एक विराट संगीत*
> *हजारों सुरों में गूँज रहा है।*
> *ओ माँ!*
> *इस बालक से*
> *जीवनोत्सव में भाग लेने का*
> *अधिकार मत छीन।'*
>
> अनुवाद : गीतांजलि/गीत 8

रवीन्द्रनाथ टैगोर को यद्यपि एक साहित्यकार के रूप में अधिक जाना जाता है लेकिन उनके जीवन और कृतित्व का गहराई से अवलोकन करने पर निकलकर आता है कि वे साहित्यकार के साथ ही कुशल शिक्षक एवं शिक्षाविद् थे। शिक्षा के प्रति उनका आत्मिक प्रेम और देशवासियों को उत्तम शिक्षा दिलाने की उनकी चिन्ता का प्रकटित रूप निःसंदेह शान्तिनिकेतन है। उन्होंने शान्ति निकेतन को स्थापित ही नहीं किया बल्कि उसके सुसंचालन के लिए हरदम चिन्तित और प्रयत्नशील रहे। दरअसल शान्तिनिकेतन वह स्थान है जहाँ रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी उन्हें एकान्तवास और चिन्तन-मनन के लिए ले जाया करते थे। इस प्रकार शान्ति निकेतन का स्थान साधना से सिद्ध हो गया था। यहाँ शिक्षा की मूल्याधारित परम्परागत शिक्षा विधि के साथ ही समकालीन अद्यतन विधियों से समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। रवीन्द्रबाबू का मानना था कि जहाँ हमें अपनी जड़ों को याद रखना जरूरी है, वहीं दुनिया में हो रहे वैज्ञानिक व आर्थिक विकास के समान्तर कदमताल करनी भी आवश्यक है। हमें भौतिक दृष्टि से आगे बढ़ना है लेकिन भौतिकता के आगे नैतिकता को भूल नहीं जाना है। नैतिकता में बरकत होती है। अतः शान्तिनिकेतन का समग्र परिवेश आश्रम जैसा था। वे शान्तिनिकेतन में अध्ययनरत विद्यार्थियों का खेलने-कूदने, व्यायाम करने, दौड़ने, कहानी, कविता सुनने-सुनाने और भोजन आदि में साथ देते। शान्तिनिकेतन का संचालन करने में आई आर्थिक बाधा को दूर करने के लिए उन्होंने अपना घर और पुस्तकालय बेच दिया। इतना ही नहीं, शान्तिनिकेतन के हित में कवि ने अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए। यह बीसवीं सदी के प्रारम्भिक दशक (1901-1910) की बात है। यह उल्लेखनीय है कि रवीन्द्र ने सन् 1901 में शान्तिनिकेतन में अपने चिन्तन के अनुरूप एक विद्यालय की स्थापना की जो प्रगति करते-करते आज विश्वभारती विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है। इस प्रकार आर्थिक यंत्रणाओं का मुकाबला करते हुए शान्तिनिकेतन के रथ को चलाए रखना रवीन्द्र जैसे फौलादी व्यक्ति के बस की ही बात हो सकती है। इस बीच वे यूरोप और अमेरिका की यात्रा पर भी गए। विदेश यात्राओं का उनका उद्देश्य वहाँ की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना और उसे विश्व बन्धुत्व की

मंगल भावना के साथ भारत में लागू करने की सम्भावना पर विचार करना होता था।

सन् 1913 में बावन वर्ष की अवस्था में रवीन्द्रनाथ को उनकी कालजयी कृति गीतांजली पर नोबल पुरस्कार मिला। नोबल पुरस्कार से उन्हें विश्वक्षितिज पर पहचान मिलने के साथ ही शान्तिनिकेतन के लिए आर्थिक संकट भी समाप्त हो गया। नोबल पुरस्कार में उन्हें एक लाख बीस हजार रुपये की राशि मिली थी। इस राशि से उन्होंने शान्ति निकेतन के नाम पर एक ग्राम सहकारी बैंक खोल दिया ताकि ग्रामीणों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण मिल सके। इस प्रकार उन्होंने एक साथ शान्तिनिकेतन तथा ग्रामीणों का हित साधन किया। अब तो शान्ति निकेतन अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल बन गया है, जो स्वाभाविक है। वे अब विश्वकवि हो गए। एक शिक्षक और शिक्षाशास्त्री के रूप में टैगोर की वाणी और व्यवहार में जैसे बांसुरी की तान बजती थी। गुरु-शिष्य सम्बन्ध, शिक्षण संस्था और शिक्षार्थी, शिक्षक और अभिभावक, शिक्षा और शासन तंत्र, शिक्षा और समाज जैसे उपागमों पर रवीन्द्र ने बहुत सटीक और बेबाक विचार प्रकट किए हैं।

रवीन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन में हमें रूसो के दर्शन की झलक मिलती है। रूसो के चिन्तन में प्रमुख बात प्रकृति ही रही है। रूसो ने मनुष्य की प्राकृतिक स्थिति को सर्वोपरि बताते हुए प्रकृति की ओर (Towards Nature) का विचार प्रस्तुत किया था। और गहराई से विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी प्रकृति और मनुष्य के शाश्वत सम्बन्धों को नजदीकी से परखने के पश्चात् ही प्रकृति से सीखने सिखाने की अवधारणा को अंगीकार किया। इस प्रकार रूसो (1712-1778) एवं रवीन्द्रनाथ टैगोर (1861-1941) के शैक्षिक चिन्तन में धरातलीय दृष्टि से समता व समानता है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा प्रणाली में सहजता और शिक्षक-शिक्षार्थी के मध्य आत्मीय सम्बन्धों को महत्व देते हैं। स्कूलें व्यक्तित्व निर्माण करने वाले मंच है जिनमें अध्यापकवृन्द निर्माणकर्ता और विद्यार्थी निर्माणी हैं। अतः स्कूलों का वातावरण, बोझिल एवं यंत्रवत न होकर सहज, सरल और आत्मीयता व स्नेह बढ़ाने वाला हो। स्कूलों के औपचारिक संचालन पर चोट करते हुए रवीन्द्र कहते हैं, हम पाठशालाओं को शिक्षा देने की एक प्रकार की कल या कारखाना समझते हैं। अध्यापक लोग इस कारखाने के जैसे कल-पुर्जे हैं। दस या साढ़े दस बजे घण्टा बजने के साथ कारखाने खुलते हैं। कल-पुर्जों का चलना शुरू हो जाता है और अध्यापकों की जबान भी चलने लगती है। ये कारखाने चार बजे बन्द हो जाते हैं। कल-पुर्जे यानी अध्यापक भी अपनी जबान बंद कर लेते हैं। उस समय विद्यार्थी भी इन कल-पुर्जों की कटी-छटी दो-चार पृष्ठ की शिक्षा लेकर अपने घरों को वापिस चले आते हैं। इसके पश्चात् परीक्षा के समय विद्यार्थी की बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है तथा उसकी मार्किंग कर नम्बर दे दिए जाते हैं।

रवीन्द्र का शिक्षादर्शन हकीकत पर आधारित है। अतः वह हकीकत का अनावरण कर वास्तविकता से रू-ब-रू करवाता है। वे मनुष्यवादी है। वे प्रकृतिवादी है। प्रकृतिवादियों की यही विशेषता है कि वे मनुष्य को महत्व देते हैं, वस्तुओं को नहीं। कारखानों में वस्तुओं का निर्माण होता है। वहाँ मशीनी प्रक्रिया में किसी फार्मूले से जैसा कमाण्ड दिया जाता है, वैसी वस्तुएँ बनने लगती हैं। वहाँ कार्य कर रहे, कार्यों का सुपरवीजन कर रहे लोगों को इसके अलावा और कुछ नहीं करना अथवा देखना होता है कि सब वस्तुएँ एक प्रमाप की ओर एक जैसी बन रही हैं अथवा नहीं। इसके विपरीत स्कूल में बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को अत्यन्त सावधान रहना होता है। भाषा, गणित और सामाजिक विज्ञान ही नहीं आजकल तो सैकड़ों तरह के विषयों पर शिक्षा देनी होती है और इस विषयगत शिक्षा के समान्तर स्वयं विद्यार्थी के स्वभावगत व चरित्रगत पक्षों पर भी मनोवैज्ञानिक निगाह रखनी होती है। कारखाने में बन रही दो वस्तुओं की तुलना करने पर वे एक जैसी निकलेगी और यदि किसी मशीनी व्यवधान के कारण यह समानता नहीं है, तो उन्हें एक जैसा किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में यह सम्भव नहीं है। न तो दो बच्चे एक जैसे होते हैं और न ही दो बच्चों के व्यक्तित्व में पाई जाने वाली असमानता को दूर कर उन्हें एक जैसा किया भी जा सकता है। कारखानों में मजदूरों व इंजीनियरों को केवल कच्चे माल का रूप परिवर्तित कर उन्हें पक्का माल या वस्तु (finished goods) का रूप देता होता है। इसके अलावा संस्कार देने अथवा स्वभाव बदलने जैसा कोई कार्य नहीं करना होता। इन संस्कारों को हम दर्शन अथवा आध्यात्मिक भाषा में दैविक गुण भी कह सकते हैं। स्कूलों की पढ़ाई अथवा छात्र व शिक्षक अन्तःक्रिया में अंक-अक्षर ज्ञान के साथ-साथ इन गुणों का प्रमुखता के साथ स्थान होता है। रवीन्द्र दर्शन में लिखा है कि कारखाना किसी वस्तु को सामने तो रख सकता है लेकिन उठाकर दे नहीं सकता। वह तेल तो दे सकता है मगर दिये को जला देना उसके बस की बात नहीं। इस प्रकार टैगोर ने शिक्षा में सदैव बच्चे और शिक्षक को महत्व दिया। वे स्कूलों को यंत्रालय तथा शिक्षकों के यंत्रकार की भूमिका में काम करने के विरोधी रहे।

वर्तमान इक्कीसवीं शताब्दी में जीवन बड़ा जटिल हो गया है। सब कुछ एक पूर्व निर्धारित सांचे की तरह जैसे हो रहा होता प्रतीत होता है। यह एक तरह की यांत्रिकता ही तो है। रवीन्द्र ने ऐसा चित्रण बीसवीं सदी के शुरू में ही कर दिया था। वे कहते थे कि उत्तरदायित्व निर्वहन की उम्र आने पर हममें से कोई बिरले ही होंगे जिन्हें प्रकृति के नजदीक जाकर उसे निहारने का मौका मिले क्योंकि उस समय सब अपने-अपने ढंग से अर्थोपार्जन कर जीवन नौका को चला रहे होते हैं। उन्होंने ऐसे व्यस्त व्यवसायियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि क्या वे इस बात को नकार सकते हैं कि खुला आकाश, मुक्त वायु, और फूल-पत्ते मनुष्य के शरीर, मन और मस्तिष्क को उचित सांचे में ढालने और उन्हें शक्ति देने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। गुरुदेव इस मामले में यथार्थ को नकारते भी नहीं हैं। वे कहते हैं कि बड़े होकर रोजी रोटी कमाने के लिए किए जाने वाले काम धंधे में इन सबसे साक्षात्कार करने के लिए समय नहीं रहेगा। अतः मुनासिब यही है कि जिस प्रकृतिजन्य दैविक उपहारों के मध्य हमारा जन्म हुआ है, उनके दर्शन हम विद्यार्थी जीवन में ही कर लेवें। अपनी माँ के दूध की भाँति प्रकृति का रसास्वादन कर उससे विशालता और अभय की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करके ही हम सच्चे तथा पूर्ण मनुष्य बन सकते हैं।

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे ढोल बजाकर चौड़े-धाड़े माता-पिताओं को ललकारते हुए कह रहे हैं- अपने बच्चों को नीले आसमां के नीचे जी भरकर शांति से उछलने-कूदने दो। उन्हें प्रकृति की गोद से परे मत करो। वृक्षों और लताओं से बने प्रकृति के मनोरम रंगमंच पर ऋतुओं के अदल-बदल का अजूबा उनके सामने प्रकट होने दो। वे झाड़ियों के नीचे खड़े होकर देखें कि नव वर्षा ऋतु शासनारूढ़ राजकुमार की भाँति पानी से भरे बादलों की सेना लेकर ताप से तपी अतृप्त पृथ्वी पर किस प्रकार वर्षा का आवरण डालती है। टैगोर बच्चों के माँ-बाप को एक तरह से निवेदन करते हुए कहते हैं कि वे भले ही अपने विचारों और भावनाओं को चाहे जितना निष्ठुर बना लें, ऐसा करने का उनको अधिकार है। लेकिन अपने बच्चों के आनन्द में खलल डालने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। यदि वे ऐसा करते हैं तो समझो पाप करते हैं। आगे निराशा भरे टैगोर माता-पिताओं को शपथ दिलाते हुए कहते हैं, तुम्हें कसम है कि कम से कम यह बात कभी मत कहना कि उनके बच्चों को फलां वस्तुओं से रू-ब-रू कराने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए **अपने बच्चों को इस विशाल जगत में भली प्रकार आँखें खोलकर प्रकृति माता के मन भरने तक दर्शन करने दो।** वे समझाते हैं कि अभी उन्हें इस बात का इल्म नहीं हो सकेगा कि अध्यापकों एवं परीक्षकों के प्रश्नों के उत्तरों की अपेक्षा इनका परिणाम कितना लाभदायक है।

प्रकृति के चितेरे शब्द उपासक रवीन्द्र बाबू को स्कूली व्यवस्था में यांत्रिकता व बोझिलपन से चिढ़ थी। स्कूलों के संचालन में देश, काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर सकने की गुंजाइश होनी चाहिए, पर इसका प्रायः अभाव ही है। किसी प्रकार विद्यालय का समय होने तक जल्दी-जल्दी भोजन निगलकर शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से बच्चे के स्कूल पहुँचने को रवीन्द्र मृगशाला में उपस्थित होना बताते हैं। वे कहते हैं कि इससे बच्चों के व्यक्तित्व का सांगोपांग विकास नहीं हो पाता। इन सबको अरोचक बताते हुए वे कहते हैं कि हमने हमारी शिक्षा को दीवारों से घेर कर, द्वार से रोक कर, संतरी बिठाकर, दण्ड के प्रावधान कर तथा घंटे-घंटियों से सचेत करके बड़ा विचित्र रूप दे दिया है।

शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए स्थान का चयन करने की बात पर रवीन्द्र दो टूक कहते हैं कि यदि हम आदर्श विद्यालय स्थापित करना चाहें तो हमें शहर से दूर, वन में, खुले आसमान के नीचे, विशाल मैदान में, प्राकृतिक वृक्षों के बीच उसका प्रबन्ध करना चाहिए। विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले शारीरिक दण्ड के प्रति भी रवीन्द्र गम्भीर है। वे कहते हैं कि बच्चों को प्रायश्चित करना सिखाना चाहिए। दण्ड दूसरा व्यक्ति देता है। इससे गल्ती करने वाले में प्रतिशोध की भावना पनपती है। इतना ही नहीं कई बार दण्ड निर्पराधी को दे दिया जाता है जिससे बाद में स्वयं दण्ड देने वाले को भी क्षोभ और पश्चाताप होता है, अतः विद्यार्थी को शुरू से ही इस प्रकार की शिक्षा दी जावे कि गलती होने पर वह स्वयं प्रायश्चित करते हुए भविष्य में वैसी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेता नजर आए।

शिक्षक की भूमिका को लेकर गुरुदेव खासे चिन्तित दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि गुरुकुल जैसी स्कूलें स्थापित करने के लिए हमें गुरुजन की जरूरत होगी। अध्यापक तो समाचार पत्रों में विज्ञापन देने से मिल जाते हैं लेकिन गुरुजन तो इस प्रकार नहीं मिल सकते। **अपने विषय में प्रवीण होने के साथ ही शिक्षक का हृदय प्रेम, करुणा, उपकार एवं संवेदनशीलता का आगार होना चाहिए।** यद्यपि ये दैविक गुण कुल मिलाकर जन्मगत होते हैं तथापि शिक्षक शिक्षा (Teacher Education) एवं तत् आशय का वातावरण दिलाकर भी उन्हें इस दिशा में मोड़ा जा सकता है। शिक्षकों को यह अहसास कराना चाहिए कि वे समाज की दशा बदलकर उसे विकास की दिशा की ओर अग्रसर करने वाले महापुरुष हैं। समाज को शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। सम्मान व श्रद्धा से उसका हृदय नवनीत हो जाएगा। उसे यह अहसास रहे कि वह कोई भृत्य नहीं है बल्कि वह ज्ञान व संस्कारों का संवाहक है। शिक्षक को प्रयोगधर्मी होना चाहिए। उसे अपना काम करते हुए नवाचार व प्रयोग करने चाहिए और उन नवाचारों एवं प्रयोगों के मुकम्मल पाए जाने पर उन्हें अन्य सहयोगी शिक्षकों के साथ विनिमय करना चाहिए।

शिक्षकों की भूमिका एवं गरिमा को बताने के लिए रवीन्द्र ने उनके दिल को छूने का प्रयास किया है। जीविकोपार्जन के लिए अर्थ कमाने एवं शिक्षक को आदर्श बनने दोनों सच्चाइयाँ परस्पर विरोधाभासी हैं। जो घर फूँके आपणा चले हमारे साथ, वाला सिद्धान्त कहने तक ही ठीक है, वास्तविकता में ऐसा हो पाना सम्भव नहीं है। किसी युग में यह सिद्धान्त वास्तविकता से वास्ता रखने वाला रहा होगा, मगर आज के जटिल युग में ऐसी बात करना बेमानी होगा। इसके उपरान्त भी शिक्षक शिक्षकीय कार्यों में प्रामाणिकता एवं प्रतिबद्धता का परिचय तो दे ही सकते हैं। उन्हें व्यापारी नहीं बनना चाहिए। शिक्षक को स्वाभिमानी होना चाहिए। रवीन्द्र स्वाभिमान की चाबी शिक्षकों को दिखाते हुए कहते हैं, हमारे शिक्षक जब यह समझने लगेंगे कि हम गुरु के आसन पर बैठे हैं और हमें अपने जीवन-कर्म द्वारा हमारे शिष्यों में जीवात्मा फूँकनी है, अपने ज्ञान और विवेक द्वारा उनके लक्ष्य में ज्ञान और विद्या की जोत जलानी है, अपने प्रेम द्वारा बालकों को निर्भय कर उनका उद्धार करना है, उनके अमूल्य जीवन को सार्थक बनाना है, उस समय वे सही मायने में स्वाभिमान के अधिकारी बन जाएँगे।

रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयन्ती एवं उन्हें नोबल पुरस्कार मिलने के लगभग शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग एक ईमानदार मीमांषा करें तो दो बातें निकलकर आएंगी प्रथम आर्थिक जटिलता के इस दौर में धनोपार्जन के लिए यत्न करना आवश्यक है लेकिन द्वितीय बात इन आर्थिक क्रियाओं में शिक्षकोचित प्रामाणिकता, प्रतिबद्धता एवं ईमानदारी बरतने के लिए उन्हें कौन मना करता है। अतः **शिक्षकों को चाहिए कि वे अर्थार्जन के सामने नैतिक मूल्यों और आदर्शों की तिलांजली न दें।** बच्चों के शिक्षण, सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के आयोजन, काउन्सिलिंग आदि में इन दिनों जो अप्रिय दृष्टान्त देखने-सुनने में आते हैं, उन शिक्षकों के लिए रवीन्द्र बाबू का यह संदेश रामबाण औषधि की तरह है मगर जरूरत उनके कथन के नीचे छिपी गहराई को समझने और उसे जीवन में उतारने की है।

शिक्षा प्रशासन एवं शैक्षिक व्यवस्था को

लेकर भी रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका यह जोर देकर कहना है कि शिक्षा प्रशासन एवं व्यवस्था में नीति निर्धारकों एवं उसकी क्रियान्विति करने वालों को यह हरदम याद रखना चाहिए कि इस सारी कवायद का हीरो बालक है, वह बालक जो अभावग्रस्त ग्रामीण पृष्ठभूमि का है और जिसके पास भोजन व वस्त्र का भी अभाव है, पुस्तकों एवं अन्य पाठ्यसामग्री की तो बात ही छोड़ो। उस जीरो को हीरो बनाने का काम शिक्षा को करना है। अतः इस कठिनतम काम को हकीकत में कर दिखाने के लायक शिक्षा नीति व व्यवस्था देने का काम प्रशासन को करना है। नीतियों को बनाने में लोकतांत्रिक पारदर्शिता, पीयर्स ग्रुप की सहभागिता, क्रियान्वयन में तत्परता, कदम-कदम पर समीक्षा एवं भविष्य के लिए नियोजन करते रहना आवश्यक है। इस संदर्भ में टैगोर की कहानी तोता को पढ़ना चाहिए जिसमें एक राजा चाटुकारों के कहने से तोते को तहजीव सिखाना चाहता है। अतः तोते के लिए भव्य शिक्षणालय (सोने का पिंजरा), नई तकनीक से लिखी पुस्तकें, शिक्षण विधियों को धारदार बनाने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण, निरीक्षण एवं सुपरवीजन आदि की व्यवस्थाएँ की जाती हैं। इन सबके बीच में पंडितजन (शिक्षक) उस बालक (तोताराम) को ठूस-ठूस कर पुस्तक ज्ञान देते रहते हैं। इस बात का कतई ध्यान नहीं रखा जाता कि शिक्षार्थी का स्वयं का मिजाज कैसा है अथवा वह किन स्थितियों में रहना चाहता है अथवा उसकी शारीरिक स्थिति व स्वास्थ्य कैसा है? **प्रभावशाली तथा आनन्ददायी शिक्षा के नाम पर बालक (तोते) के 'आनन्द', उन्मुक्त आसमां में चहचहाते हुए उड़ना, पेड़ की किसी डाल पर बैठना, सरोवर के तट पर बैठकर पानी पीना पौधे पर लगी हरी मिर्च पर चोंच चलाना, इधर-उधर फूदकना, साथी पंक्षियों के साथ किलोल करना आदि, का स्वाहा कर दिया गया।** राजा बस हर माह आने वाली एम.पी.आर. के सदृश प्रगति रिपोर्टों का अवलोकन कर खुश होता रहता है कि उसका तोता तहजीब सीख रहा है। इस बीच निंदक (आलोचक) के द्वारा उसे आगाह किया जाता है और जब अन्तिम रूप से तोते की पढ़ाई का जायजा लेने राजा उसके पास जाता है तो तोता मरा हुआ मिलता है। पोस्टमार्टम क्रिया में उसके पेट से सूखे कागज फड़फड़ाते हुए बाहर निकल कर आते हैं। तोता कहानी कदाचित सौ वर्ष पुरानी लिखी कहानी होगी लेकिन यह व्यवस्था की खामियों का जितना सुन्दर चित्रण करती है, उसका कोई सानी नहीं। शिक्षा प्रशासन व शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति को इसे पढ़ना तथा उसमें वर्णित विसंगतियों से बचे रहने का प्रयास करना चाहिए। तोता कहानी में रवीन्द्र बाबू ने जो दर्शन उड़ेला है, वह अन्दर तक मार करता है। यद्यपि तोता कहानी मुख्यतः व्यंग्यात्मक शैली में लिखी प्रतीत होती है तथापि जैसे हर व्यंग्य कुछ न कुछ शिक्षा दे रहा होता है, वैसे ही तोता कहानी का कथानक शीर्ष स्तर पर नीति नियन्ताओं से लेकर धरातल पर शिक्षण कार्य करवाने वाले शिक्षक तक को सीख देता है।

अंग्रेजी भाषा को पढ़ाये जाने के सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ का यह कहना है कि जैसे भूख मिटाने के लिए भोजन आवश्यक होता है, वायु सेवन से भूख नहीं मिटती लेकिन भोजन करने के लिए वायु भी आवश्यक है। इस प्रकार वायु भी महत्त्वपूर्ण है। हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा भोजन है। अंग्रेजी भाषा को वायु की तरह लेते हुए दुनिया में व्याप्त व्यापक ज्ञान को भारतीयों को दिलाने के लिए अंग्रेजी का उपयोग किया जाना चाहिए। हमारे लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं वन्दनीय तो हमारी निज भाषा है न की कोई विदेशी भाषा।

तु वसुधैव कुटुम्बकम्

शिक्षा नीति एवं शिक्षण व्यवस्था पर रवीन्द्र के विचार वसुधैव कुटुम्बकम् की धारणा को प्रकट करते हैं जो सदियों से भारत की पहचान रही है। वे कहते हैं कि पारस्परिक सद्भाव व भाईचारे का वातावरण बनाना शिक्षा का मुख्य काम है। व्यक्ति को उसके अहम् एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त करवाकर उसमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भाव के बीजों का अंकुरण कर पाने में सफलता मिलना ही शिक्षा का सार्थकता है।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भागभवेत्॥

– वरिष्ठ सम्पादक
शिविरा पत्रिका

प्रार्थना

❑ रवीन्द्रनाथ ठाकुर

हे प्रभो, वरदान ऐसा
आज मुझको मांगने दो।
स्वर्ग रूप स्वराज में तुम
देश मेरा जागने दो॥

चित्त हो भयमुक्त जिससे
और ऊंचा रह सके सिर।
ज्ञान बाधित हो न जिससे
साधना वह साधने दो॥

यह हमारी वह तुम्हारी
यों विभाजित हो न वसुधा।
संकुचित आसक्तियों के
घोंसलों को त्यागने दो॥

सत्य की गहरी जड़ों से
प्रस्फुटित हों शब्द अपने।
साधना निज पूर्णता की
मत अधूरी छोड़ने दो॥

निःसत्व रूढ़ाचार के,
वीरान रेगिस्तान में।
विमल प्रज्ञा स्रोत अपना,
मत भटकने, सूखने दो॥

जब विचारों और कर्मों,
में खिले मन की कली तो।
बस तुम्हारी प्रेरणा को,
ही हृदय में खेलने दो॥

– रूपान्तर : दयालचन्द्र सोनी
साभार : अनौपचारिका, जनवरी 2004

हजार सुरों में गूँजता एक विराट संगीत

❑ भवानीशंकर व्यास

गीतांजलि के 103 गीत भारतीय मनीषा को पूर्णतया अभिव्यक्त करते हैं। गीतांजलि में क्या नहीं है– गीत, परस और आलोक है; प्रभु को पाने की अन्यतम आकुलता है, प्रकृति की निःशब्द नीरवता की लीलाभूमि है। बंधन और मुक्ति, आनन्द और विषाद, मिलन और वियोग, नींद और जागरण, न जाने कितने आयाम समेटे हैं विश्व कवि ने अपनी इस महान कृति गीतांजलि में। बालक की मुक्ति का जो संदेश देश-विदेश के शिक्षाविदों ने दिया, उसकी अंतर्ध्वनि गीतांजलि में भी सुनाई देती है। शिक्षा से जुड़े होने के कारण मैं इस आलेख की शुरुआत शिशु जीवन की उस महान मुक्ति-कामना से करना चाहूँगा जो गीतांजलि के गीत संख्या 8, 60, 61 एवं 62 में प्रतिध्वनित हुई है। गीत संख्या 8 के एक अंश का गद्य रूपान्तर इस प्रकार है– (जो प्रयाग शुक्ल के अतिरिक्त किसी और ने किया है।)

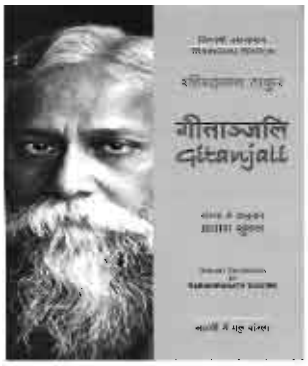

'ओ माँ ! तू अपने शिशु को राजकुमारों की सी पोशाक क्यों पहनाती हो? तू क्यों इन भारी वस्त्रों और मणि-रत्नों का बोझ उस पर लाद कर उसके खेल-कूद के आनन्द का नाश करती हो ? तू क्यों उसे चिन्ता में डाल देती हो कि 'हाय रे कुछ लग जाएगा, मेरा वस्त्र फट जाएगा, मेरे वस्त्र पर दाग पड़ जाएगा' देखती नहीं, वह इस चिन्तन में अपने को अन्य बालकों से दूर रख रहा है।''

'खोल दे मां, खोल दे दरवाजे। जाने दे, जाने दे, उसे धूप में तपने, हवा में गैल करने, मिट्टी में लोटने। जाने दे, उसे जहाँ चौतरफा एक विराट संगीत हजारों सुरों में गूँज रहा है। ओ माँ ! इस बालक से जीवनोत्सव में भाग लेने का अधिकार मत छीन।'

प्रयाग शुक्ल ने गीतांजलि के मूल बांग्ला गीत तथा टैगोर द्वारा किये गये अंग्रेजी अनुवाद की छंदबद्ध जो प्रस्तुति की है वह सचमुच प्रभावोत्पादक है। 'दो द्वार खोल तो भागे वह/क्रीड़ा के सुख में जागे वह/झेले पथ पर सब धूल-पवन/खेले सबके संग प्रमुदित मन/जग के मेले में भूल-भटक/ वह सुने गान वादन प्रसन्न/ जो प्राप्य उसे फिर पा ले वह/सुर में सुर देकर गा ले वह/तुम पहनाओ मत रत्न-हार/मत शिशु को दो राजसी वसन।'(पृष्ठ 35)

साठवें गीत में समुद्र तट पर बालकों के मेले का परिदृश्य है। मछुआरे मछली पकड़ने आते हैं, गोताखोर मोती ढूँढ़ते हैं, व्यापारी धन-धान्य की फिराक में रहते हैं परन्तु बालक... वे तो बालू के घरौंदे बनाने में मगन हैं। पल्लवों की नाव को तरंगों पर छोड़कर उसके झूमने का आनन्द लेते हैं, कौड़ियों से खेलते हैं। उन्हें धन-दौलत की कोई चाह नहीं। गीत लम्बा है पर उसका छोटा-सा छंदबद्ध रूप इस प्रकार है– *'बालुका के कण जुटाकर वे बनाते खेल का घर/शंख-सीपी साथ लेते/खेलते हैं खेल रुचिकर/नील जल पर छोड़ देते/पल्लवों की नाव सुन्दर/तरंगों पर चली जाती/झूमती वह तरी सत्वर/जगत पारावार तट पर बालकों का जुटा मेला।'* (पृष्ठ 179)

मूल इस प्रकार है– '(बालुका दिये बाँधिछै घर/झिनुक निये खेला/विपुल नील सलिल परि/भासाय तारा खेलारतरी/आपन हाते हेलाय गड़ि/पाताय-गांथा भेला/जगत् पारावारेर तीरे/छैलेरा करे खेला।') (पृष्ठ 178)

प्रयाग शुक्ल द्वारा किये गये अनुवाद की अनेक विशेषताएँ हैं– कुछ ऐसी विशेषताएँ भी जो अन्य अनुवाद पुस्तकों में नहीं मिलती। एक तो यह कि सभी गीतों का अनुवाद या तो पूर्णतया छंदबद्ध है या फिर पूर्णतया लयबद्ध। एक भाषा के गीत को किसी दूसरी भाषा में छंदबद्ध रूप से रूपान्तरित कर देना किसी समर्थ शब्दशिल्पी के बूते की बात हो सकती है। अधिकांश अनुवादक तो गद्य का ही सहारा लेते आए हैं। छंद की अपनी मर्यादाएँ होती हैं– लय, प्राश और तुकान्तता की। इन सबके होते हुए भी शुक्ल जी ने जिस कुशलता से गीत की आत्मा से संवाद किया है वह विस्मयजनक है। कई बार शब्द-दर-शब्द के अनुवाद की जगह भावपक्ष पर अधिक जोर देना होता है। स्वयं रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी मूल बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ऐसी छूट ली है। दूसरी विशेषता यह कि प्रयाग शुक्ल ने रवीन्द्रनाथ द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवाद को पूरा का पूरा ज्यों का त्यों दिया है। तीसरी विशेषता के रूप में भूमिका लेखक येट्स का मंतव्य है जिसे अविकल रूप से प्रस्तुत किया गया है। चौथी और महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि लगभग एक वर्ष तक चलने वाली अनुवाद-अवधि में कई जगह शीर्ष साहित्यकारों व सुधी श्रोताओं को सुना-सुनाकर इसे और अधिक प्रामाणिक बनाया गया है। ये सब ऐसी विरल विशेषताएँ हैं जो इस अनुवाद-कृति को अनेक अन्य अनुवाद-कृतियों की तुलना में श्रेष्ठ बनाती हैं।

गीतों में बहता हुआ मन– गीतांजलि में कवि का मन गीतधारा में बहता हुआ-सा चलता है। ऐसे में मन और गीत की तरंगे एकाकार हो जाती है। गीत तो माध्यम है प्रभु से मिलने, उनका परस पाने और सुरों के संसार में खो जाने के। सुर से सुर मिलाने का यही तो एक रास्ता है पर दिक्कत यह है कि वाँछित सुर लग नहीं पाते। मन करता है कि निर्बन्ध रागिनी चलती रहे, बाँसुरी के छिद्रों में से मधुरतम स्वर फूटते रहें और प्राण अमृत से सिंचित होते रहें। कवि को लगता है कि प्रभु उसके गीतों को सुनकर मुग्ध हो रहे हैं। यह एक ऐसी तृप्ति है जो उसे विस्मृत सा बना देती है। मूल बांग्ला से उद्धरण *''तृप्त तुमि आमार गीत रागे/भालो लागे तोमार*

श्री भवानीशंकर व्यास शिविरा के वरिष्ठ सम्पादक रहेहैं। आप आदर्श अध्यापक, कुशल अधिकारी, राष्ट्रीय ख्याति के कवि, लेखक, समीक्षक तथा संयोजक-संचालक हैं। दर्जनों पुस्तकों के लेखक श्री व्यास कोयशस्वी पुरस्कारों सेनवाजा गया है। आप केन्द्रीय साहित्य अकादमी की कार्यकारिणी के सदस्य हैं।

भालो लागे/जानि आमि एइ गानेरइ बले/बसि गिये तोमारि सम्मुखे/मन दिये जार नागाल नाहि पाइ/गान दिये सेइ चरण छुँये जाइ/सुरेर घोरे आपनाके जाय भुले/बन्धु बले डाकि मोर प्रभु के। (पृष्ठ 22)' प्रयाग शुक्ल के पद्यानुवाद में जो छंद-छटा है वह देखते ही बनती है। *'मेरे गीतों के सुर से तुम तृप्त' मुग्ध हो जाते/अच्छे लगते वे तुमको, यह गान स्वयं बतलाते– वे मुझे तुम्हारे सनमुख जाकर हैं बैठा आते/मन जिसको देख न पाता, ये गान देख लेते हैं/चरणों को छूकर आते, मुझको ये सुख देते हैं/इनके हर राग मधुर से, इनके उठते हर सुर से/मैं भूल स्वयं को जाता/देखो, फिर अपने प्रभु को– 'ओ, बन्धु ! सहज कह पाता।* (पृष्ठ 23) टैगोर के गीत बांग्ला जानने वाले लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहे हैं पर यह हिन्दी पद्यानुवाद इन गीतों को अखिल भारतीय धरातल देने वाला है। जाहिर है, इससे गीतों के भूगोल का क्षेत्र तो बढ़ना ही है और यही इस अनुवाद की सिद्धि भी है। गीतांजलि के लगभग दस गीत इसी गीत धारा से जुड़े हुए हैं। (संदर्भ के लिए गीत क्रमांक 1, 2, 3, 13, 15, 16, 26, 42, 45 तथा 49)

जगन्नाथ : धूलसने हाथों के साथ– कोई पूछे कि ईश्वर का वास कहाँ है तो सहज में ही उत्तर मिलता है– दीन-हीनों की बस्तियों में, सर्वहारा वर्ग के श्रम में, साधनहीनों की निष्ठा में। उसका मन महलों में नहीं, झोपड़ियों में रमता है। प्रयाग शुक्ल के अनुवाद की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं– *जहाँ रहते हैं सबसे दीन/वहीं तुम रखते अपने चरण/कि जो हैं सबसे साधनहीन/उन्हीं का करते थे तुम वरण।' (जैथाय थाकै सबार अधम दीनेर हते दीन/सेइखाने जे चरण तोमार राजे/सबार पिछे सबार नीचे/सबहारादेर माझे।* (पृष्ठ 38-39) सम्पन्न लोगों को सर्वहारा वर्ग के साथ घुलने-मिलने में घिन आती है तभी वे प्रभु तक पहुँच नहीं पाते। उनका अहंकार आड़े आता रहता है। देव उनके भाग्य में है ही नहीं वह तो वहाँ है जहाँ किसान माटी सने हाथों से श्रम की पूजा करता है। प्रभु से मिलने का एक ही तरीका है– *'ताँरइ मत शुचि बसन छाँड़ि/आयरे धूलार' परे।' (स्वच्छ वस्त्रों को तुम भी छोड़/धूल से नाता लो अब जोड़।'* (पृष्ठ 43) यह वह सूक्ति है जो प्रभु-मिलन में सहायक हो सकती है। (संदर्भ गीत 10, 11 व 27)

हो चित्त जहाँ भय शून्य माथ हो उन्नत– किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए जो सर्वोत्कृष्ट गीत हो सकता है, उसकी रचना गुरुदेव ने अपनी गीतांजलि के गीत क्रमांक 35 में की थी। स्वयं टैगोर द्वारा किया गया अंग्रेजी अनुवाद आज विश्वभर में श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। (वेयर दी माइण्ड इज विदाउट फियर एण्ड हैड इज हैल्ड हाई) ..... इन्टू दैट हैवन ऑफ फ्रीडम, माइ फादर, लैट माइ कन्ट्री अवेक।' प्रयाग शुक्ल ने इस ऐतिहासिक गीत का पद्यानुवाद जिस तरह से किया है, उसे अनुवाद-कार्य का प्रतिमान माना जा सकता है। *हो चित्त जहाँ भयशून्य, माथ हो उन्नत/ हो ज्ञान जहाँ पर मुक्त, खुला यह जग हो/घर की दीवारें बनें न कोई कारा/ हो जहाँ सत्य ही स्रोत सभी शब्दों का/हो लगन ठीक से ही सब-कुछ करने की/ ..... हे पिता ! मुक्त वह स्वर्ग रचाओ हममें/बस, उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा।''* (पृष्ठ 103) कोई भी अनुवाद मूल रचना की आत्मा को कितना सही संस्पर्श कर सकता है, उसका उदाहरण देखना हो तो इस अनुवाद को पढ़ा जा सकता है। (संदर्भ गीत संख्या 35)

समर्पण से सिद्धि– जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं तोड़े, अहं का विसर्जन नहीं करे और दिव्य ज्योति में पूरी तरह समाहित होने का भाव नहीं रखे, उसे वाँछित सफलता नहीं मिल सकती। मंजिल के सही निर्धारण के बिना वह भटकता ही रहेगा। कवि के अनुसार प्राण चाहते हैं कि समर्पण का गीत गाए बिना चैन नहीं मिल सकता अतः सारे अहंकार, सारे अलंकारों का विसर्जन करके ये प्राण प्रभु की अभ्यर्थना में लगे हैं। कवि-मन को नहीं स्वीकार है जिसमें प्रभु की झंकार हो, स्वयं को कंधों पर उठाकर चलने वाला अहं त्यागे बिना, समर्पण भाव पैदा हो ही नहीं सकता, तभी तो कवि की इच्छा रहती है कि वह चारों दिशाओं में केवल प्रभु की छवि ही देखे, बस उसे ही पहचानने की चेष्टा करे, केवल उसे ही ढूँढ़ने में लगा रहे। प्रयाग शुक्ल के गीत संख्या 34 के अनुवाद ने कवि-मन की गहराई को इस तरह चित्रित किया है– *'देखें ये लीला, प्राण, तुम्हारी, जग में/इतनी ही इच्छा होती है, पग-पग में/ले घेर मुझे तेरी बाहों का बंधन/ बस इतना ही तो चाह रहा है यह मन।/उस बंधन में बँध रहूँ, कृपा हो तेरी/तुम मेरे प्रभु हो, रहो, चाह यह मेरी।'* (पृष्ठ 101) एक-एक शब्द को इस तरह जड़ा गया है मानो नगीने जड़े हों। एक अर्द्धविराम को भी इधर-उधर कर दें तो शब्द छटा में अंतर आ जाएगा। (मूल गीत का उद्धरण इस प्रकार है *'तोमार लीला हबे ए प्राण भरे/ए संसारे रेखेछ ताइ घरे/ रइब बाँधा तोमार बाहुडोरे/बाँधन आमार सेइटुकु थाक् बाकि/तोमाय आमार प्रभु करे राखि।'* (पृष्ठ 100) (संदर्भ गीत संख्या 5, 7, 9, 32, 34 व 47)

पीड़ा जो भीतर तक सालती है– मिलन व बिछुड़न के बीच जब आँख मिचौली चले तो वह कितनी त्रासद होती है, उसकी व्यथा कई गीतों में है। प्रभु की लीला भी विस्मयजनक है, कभी वे स्वप्न रचाते हैं, तो कभी स्वप्न मिटा देते हैं; कभी घट के भीतर आकर भी कहते हैं 'मुझे खोजो, मैं कितनी दूर हूँ। ये सभी लीलाएँ आशा व भय उपजाती रहती हैं। ऐसे में कवि अपने दुःखों का ही अर्घ्य चढ़ाकर मान लेता है कि अंततः तो उसे प्रभु की कृपादृष्टि अवश्य ही मिलेगी। साथ ही शिकायत भी है कि प्रभु पास आते-आते अचानक ओझल क्यों हो जाते हैं। यह कचोट शायद कवि-मन को और अधिक तपाने के लिए है। वह छवि देखना चाहता है, वाणी को सुनना चाहता है पर लगता है पगध्वनि करके वह (प्रभु) फिर अचानक भूलभुलैया में डाल देता है। और तब कवि की जो व्याकुलता है वह प्रयाग शुक्ल के शब्दों में इस तरह अभिव्यक्त होती है, न जो तुम मुझे दिखाई पड़ो/करो याद मेरी अवहेला/कहो कैसे काटूँ मैं अरे/घिर रही यह बादल-*बेला !/दूर, मैं दूर, लगाये आँख/तुम्हें ही ढूँढ़ रहा चहुँओर/प्राण अकुलाये, व्याकुल हुए/हवा बहती उनको झकझोर/न आने का, पर, लेते नाम !/ द्वार पर क्यों एकाकी मुझे/बैठने का दे डाला काम !'* (गीत संख्या- 18, पृष्ठ 65) कवि अवहेलना से दुखी भी है पर हिम्मत नहीं डारता और अनुवाद के शब्दों में कह उठता है– *'पर प्रेम तुम्हारा, मुझे न यों छोड़ेगा/ निश्चय ही मुझको अपने से जोड़ेगा/मन से यह आशा कभी नहीं जाती है/ बस यही यही सच्ची मेरी थाती है।'* (गीत संख्या - 32; पृष्ठ 97) (पीड़ा व अवहेलना के गीतों का संदर्भ गीत क्रमांक 13-14, 18,32, 71, 83)

वह मधुर मिलन वह तृप्तिभाव– मधुर मिलन तो हमेशा सुखद होता ही है और यदि मिलन का यह भाव प्रभु से जुड़ा हुआ हो तो फिर कहना ही क्या। प्रभु भक्त के हृदय के भीतर भी है और बाहर भी। 'ए जे आसे,

आसे, आसे' (गीत संख्या 45) में लगता है मानो वह (प्रभु) आ गया है। वनमार्ग से फागुन रथ पर आरूढ़ होकर आया हो या सावन घन पर चढ़कर वह पारस मणि तो आ ही जाता है। ऐसे में मिलन को भला कौन टाल सकता है। उसके आने के ढंग निराले हैं कभी वसंत की महक के रूप में तो कभी उपवन की चहक के रूप में और कभी घाट पर वीणा बजाते हुए, हाँ पहचानने वाला तो होना ही चाहिए। कवि को लगता है कि यदि वह सहसा आ जाए, बिना किसी पूर्व सूचना के तो भी उसका पथ नहीं रोकना है। कवि यदि नींद में हो तो भी उसे जगाना नहीं है क्योंकि जगाने की आहट भर से सम्भवतः वह अदृश्य हो सकता है। प्रभु जब आ ही गए हैं तो नींद में से जगाने का दायित्व भी उनको ही निभाना होगा। कितना सुखद होगा वह क्षण जब प्रभु की मुस्कराती करुणामयी आँखें कौतुक से देख रही होंगी– एक अद्भुत आलोक बिखेरती-सी तो उस समय यदि कवि को प्रभु का पहला-पहला दरस-परस मिल जाए तो उसके जैसा भाग्यशाली भला और कौन हो सकता है। प्रयाग शुक्ल द्वारा अनूदित कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं–

(अ) माधुरी उसकी मुझको मिली/कली, वह हृदय कमल की खिली (गीत 203, पृष्ठ 60)। (आ) वन पथ से फागुन रथ पर जाने कब से/ वह आया है, आया, आया, आया। घन अंधकार में, सावन घन पर चढ़कर/ वह आया है रे, वह आया, आया, आया (गीत संख्या- 45, पृष्ठ सं. 127)

वह नींद मुझे सचमुच प्यारी/होगी वह कितनी सुखकारी/जब वह खुद चल करके आएगा/सोते से मुझे जगाएगा (गीत सं. 47, पृ.सं. 133) (मिलन के संदर्भ-गीत क्रमांक 20, 45, 46, 47, 49, 63, 74 व 77)

बंधन और मुक्ति की स्थितियाँ– सांसारिक बंधनों की काराओं के बीच मुक्ति की कामना करना कहाँ तक ठीक है ? जहाँ बंधन है वहाँ बाधा है। मुक्ति की तलब तो है, पर बन्धनों का व्यामोह उस ओर जाने नहीं देता।

कवि गुरु ने भारी असमंजस की इन स्थितियों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। बंधनों से घृणा तो है पर नहीं छोड़ पाने की विवशता भी है। इससे खुद के प्रति ग्लानि बढ़ती जाती है। मोह माया की दीवारें ऊँची और ऊँची होती जाती हैं। कहीं छिद्र हो भी गया तो लेप लगाने की चेष्टा रहती है। इन सभी काराओं को काटने के लिए तो खड्गपाणि का खड्ग ही समर्थ हो सकता है। तभी कवि कह उठता है *'खड्ग तोमार, हे देव वज्रपाणि/चरम शोभाय रचित।'* और अनुवाद की भाषा में *'पर खड्ग तुम्हारा वज्रपाणि/है सुन्दरतम है मनमोहन।'* गीत संख्या 31 में बंदी स्वयं स्वीकार करना है कि वज्र के समान इस बंधन को उसने स्वयं ने गढ़ा है। दूसरों के लिए जो लोह शृंखला तैयार की थी उसने तो स्वयं उसे ही बाँध दिया।' *गढ़ना शेष हुआ तो पाया है/यह कठिन कठोर/बंदी मुझको किये हुए है/खुद मेरी यह डोर।'* (पृष्ठ 95) (संदर्भ गीत क्रमांक 11, 28, 29, 31, 52, 53 और 54)।

प्रेम और प्रकृति की जुगलबंदी– प्रेम और प्रकृति मानो जीवन रथ के दो पहिये हैं। प्रकृति प्रेम का संदेश देती हैं और प्रेम प्रकृति की ओर खींचता चला जाता है । जहाँ प्रेम है वहाँ मानवीय ऊष्मा है, आध्यात्मिक खिंचाव है, नैसर्गिक लावण्य है और हृदय की दिव्यता है। रवीन्द्रनाथ टैगोर के गीत मानो प्रकृति का दुग्धपान करके ही स्वस्थ और सजीले बने हुए हैं। गीतों में वातायन से झाँकत ऋतुराज के स्वागत के भाव हैं तो कुंजों में भ्रमरों की गुंजार भी है, सिहरती पवन के झकोरे हैं तो झर-झर करते जल का निनाद भी है, स्वर्ण छितराते मेघ और नूतन बयार है तो पक्षियों का मनभावन कलरव भी हैं। ये स्थितियाँ ही तो प्रेम को उपजाती हैं। यदि ऐसा निर्मल प्रेम मिल जाए तो भला उसमें बँधना कौन नहीं चाहेगा। *'प्रेमेर हाते धरा देव/ताह रसे छि बसे/अनेक देरि हमे भेले/दोषी अनेक दोषे।'* प्रयाग शुक्ल ने इन पंक्तियों का कितना सार्थक अनुवाद किया है, जरा आप भी आस्वाद लें।' *बनूँ प्रेम के हाथों बंदी/यह रही है आस/देर हुई क्या दोष किये/जो बुझी नहीं है प्यास/' एक और गीत में प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य है।' हृदय हरण, ओ हृदय हरण! पात-पात में प्रेम तुम्हारा दिखता स्वर्ण-बदन। नभ में घुमड़ रहे जो घन हैं। वे भी प्रेम-भरा ही मन है। अरे, हवा से झर-झर पड़ते। उसके ही मधुकण/हृदय हरण/ओ हृदय हरण !'*

जरा तुलना करके देखिए कि यह अनुवाद मूल के कितना अधिक निकट है। सारा अनुवाद पद्य में है– यह इसकी अतिरिक्त विशेषता है। (मूल पंक्तियाँ : *एइ तो तोमार प्रेम ओगो/हृदय-हरण/एइजे जताय आलो वाचे/सोनार बरम !/एइ-जे मधुर आलस भरे/मेघ भैसे जाय आकाश परे/ अमृत क्षरण/एइ तोमार प्रेम ओगो हृदय-हरण।'*)

मृत्यु नहीं, यह तो मरणोत्सव है– टैगोर के एक गीत में इस प्रकार के भाव हैं कि *'क्योंकि मैंने इस जीवन से प्यार किया है, मैं मौत से भी इतना ही प्यार करूँगा।' 'मरण आएगा, जिस दिन द्वार/उसे तुम दोगे क्या उपहार/ रखूँगा उसके सन्मुख आन' कि छल-छल करते अपने प्राण।'* कवि की ओर से तो पूरी आवभगत है– मृत्यु आए तो सही। मृत्यु तो मुक्ति है' उत्सव है, जीवन की सम्पूर्ति की घोषणा है। उससे भला डरना क्या? कवि की अत्यन्त मार्मिक कविता वह है जिसमें वह सबसे प्रणाम करके घर (जीवन) की चाबी सौंप कर घर खाली कर रहा है।' *(पेयेछि छुटि विदाय देहो भाइ-/सबारे आमि प्रणाम करे जाइ/फिराये दिनू द्वारेर चाबी/राखि ना आर धरेर डाबि– सवार आजि प्रसाद वाणी-चाइ।'* (गीत संख्या- 93)। प्रयाग शुक्ल का अनुवाद सचमुच इतना सटीक है कि सलाम करने को जी चाहता है।' *मिली छुट्टी दो मुझको विदा/सभी को हो स्वीकार प्रणाम/द्वार की चाभी लौटा रहा/ नहीं घर मेरा अब यह रहा/चाहिए सबकी शुभ आशीष/ कि सबको करता चलूँ प्रणाम/लिया जितना, उससे कम दिया– रहा जितने दिन सबके साथ/आ रहा प्रात, ढल रही रात/बुझ गई दीपक की बाती/ हुई है मेरी आज पुकार/मिली है आने की पाती/रहा अब मेरा यहाँ न काम/सभी को हो स्वीकार प्रणाम !/मिली छुट्टी दो मुझको विदा/सभी को हो स्वीकार प्रणाम।'*

और वह भिखारिन ... – टैगोर के एक गीत का कथानक इस प्रकार है, लोगबाग आते हैं, प्रभु को ढकेलकर आगे बढ़ जाते हैं। प्रभु को तुच्छ मानकर स्वयं पर इतराते हैं पर वह भिखारिन..... कुसुम अर्पित करने पेड़ के नीचे बैठी प्रतीक्षा करती रहती है। पथिक तो वे कुसुम भी उठा-उठाकर ले जाते हैं। अब इलिया खाली है पर वह बैठी है। प्रातः दोपहर संध्या और अब रात ! घर लौटते हुए पथिक उसकी हँसी उड़ाते हैं। लाज से मरी-मरी-सी वह आँचल से मुँह ढककर सिमटी-सिकुड़ी सी बैठी है। क्या हो गया है तुम्हें- इसका भी उत्तर नहीं दे पाती। क्या उत्तर

दे? लाज आती है न ! कि मैं तुम्हें (प्रभु को) चाहती हूँ। मैं तुम्हारी हूँ और मुझे अपनी इस दीनता पर गर्व है। प्रतीक्षा है– *तुम कभी तो आओगे। प्रयाग शुक्ल इस कथानक का अंत इस प्रकार करते हैं, मैं चाहे हूँ जितनी गरीब/ पर तुझे समझती हूँ करीब/है इसी दैन्य पर गर्व मुझे/जब आओगे तो कर दूँगी/यह न्यौछावर..... तृण के आसन पर बैठी मैं/वह घड़ी कि जब तुम आ जाओ/हो प्रकट तुम्हारा रथ स्वर्णिम/झण्डा वह संग में फहराए/गूँजे बंशी की तान/प्राण नाचे मेरे/यह सकल धरा इतरा जाए।'*

और अंत में– प्रयाग शुक्ल ने ठीक कहा है कि इस पुस्तक में एक त्रिभाषी संगोपन है। नागरी लिपि में मूल बांग्ला का देना जहाँ इसकी विशेषता है, यह पद्यानुवाद (अपने किस्म का पहला) गीतांजलि के मर्म में अधिक विस्तार करने वाला है। विस्तार पाठक वर्ग की व्यापकता में, विस्तार भाव पक्ष में, विस्तार साहित्य पारखियों की दृष्टि में। कवि की तरह अनुवादक ने भी संस्कृत के तत्सम शब्दों को काम में लिया है ताकि मूल का-सा आस्वाद बना रहे। मधुर गंध, देशान्तर, नीरव, पथिक, प्रियतम अभिसार, श्रान्ति, परिपूर्णता हृदय-हरण, उत्सव आलोक.... ये शब्द अनुवाद को मूल के निकट लाते हैं। उसकी आत्मा का संस्पर्श करते हैं। स्वयं टैगोर द्वारा लिखे गए अंग्रेजी अनुवाद में कवि ने पंक्ति-दर-पंक्ति तथा शब्द-दर-शब्द अनुवाद न करके भावपक्ष पर जोर दिया है– यही बात प्रयाग शुक्ल के पद्यानुवाद में भी है। गीतांजलि की पाण्डुलिपि पढ़ते समय डब्ल्यू बी. येट्स जितने अभिभूत हुए थे, प्रयाग शुक्ल के पद्यानुवाद से हिन्दी जगत के पाठक भी उतने ही अभिभूत होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर से प्रकाशित एवं साँखला प्रिंटर्स से मुद्रित होना स्वयं इस बात का प्रमाण है कि पुस्तक नितान्त त्रुटिहीन, अच्छी सज्जा वाली तथा उत्कृष्टता के प्रतिमान वाली है और ये अतिरिक्त विशेषताएँ पुस्तक को और अधिक पठनीय बनाती हैं। इत्यलम्।

1-स-9, पवनपुरी, बीकानेर

रवीन्द्रनाथ टैगोर की कालानुक्रमिक महत्वपूर्ण रचनाएं

1879 : कवि - काहिनी (पद्य में कथा)

1880 : बनफूल (पद्य में कथा)

1881 : बाल्मीकि प्रतिभा (संगीत - नाटक), भग्न - हृदय (पद्य में नाटक), रुद्रचांद (पद्य में नाट), यूरोप - प्रवासीर पत्र (प्रवासी के पत्र)

1882 : संध्या संगीत (काव्य-संग्रह), काल मृगया (संगीत-नाटक)

1883 : बऊ ठाकुरानीर हाट (उपन्यास), प्रभात संगीत (काव्य संग्रह), विविध प्रसंग (निबंध-संग्रह)

1884 : प्रकृतिर प्रतिशोध (पद्य में नाटक), भानुसिंह ठाकुरेर पदावली (काव्य-संग्रह), छवि ओ गान (काव्य-संग्रह), नलिनी (नाटक), शैशव संगीत (काव्य-संग्रह)

1885 : राममोहन राय (राममोहन राय पर पुस्तिका), आलोचना (निबंध-संग्रह), रविछाया (गीत-संग्रह)

1886 : कड़ी ओ कमल (काव्य-संग्रह)

1887 : राजर्षि (उपन्यास), चिठी पत्र (पत्र)

1888 : मायार खेला (संगीत नाटक), समालोचना (निबंध-संग्रह)

1889 : राजा ओ रानी (काव्य-नाटक)

1890 : विसर्जन (काव्य-नाटक), मानसी (काव्य-संग्रह), मंत्री-अभिषेक (लार्ड क्रॉस के इंडिया बिल पर भाषण)

1891 : यूरोप यात्रीर डायरी, भाग-I (यात्रा-विवरण)

1892 : चित्रांगदा (पद्य में नाटक), गोड़ाय गलद (प्रहसन), जय पराजय (कहानी)

1893 : यूरोप यात्रीर डायरी, भाग- II (यात्रा-विवरण), गानेर बही ओ बाल्मीकि प्रतिभा (काव्य-संग्रह)

1894 : सोनार तरी (कविता-संग्रह), छोटो गल्पो (15 लघु कहानी-संग्रह), चित्रांगदा ओ विदाय - अभिशाप (पद्य में नाटक), विचित्र गल्पो, भाग-I एवं II (लघु कहानी-संग्रह), कथा - चतुष्टय (लघु कहानी-संग्रह)

1895 : छेले - भुलानो छड़ा (छोटे बच्चों की तुकांत कविता), गल्पो - दशक (लघु कहानियां)

1896 : चित्रा (काव्य-संग्रह), मालिनी (पद्य में नाटक), चैताली (काव्य-संग्रह), नदी (कविता), संस्कृत शिक्षा, भाग I एवं II (पाठ्य पुस्तक)

1897 : बैकुण्ठेर खाता (प्रहसन), पंचभूत (निबंध-संग्रह)

1899 : कणिका (काव्य-संग्रह)

1900 : क्षणिका (काव्य-संग्रह), कल्पना (काव्य-संग्रह), कथा (नृत्य-नाटक), काहिनी (पद्य और लम्बी कविता में नाटक-संग्रह), गल्पो गुच्छो, भाग-I (लघु कहानी-संग्रह)

1901 : गल्पो गुच्छो, भाग-II (लघु कहानी-संग्रह), बंगला क्रियापद की तालिका (बंगला क्रिया की सूची : पाठ्य पुस्तक), औपनिषद ब्रह्म (धार्मिक निबंध), नैवेद्य (काव्य-संग्रह), ब्रह्म - मंत्र (धार्मिक निबंध)

1903 : चोखेर बाली (उपन्यास), शिशु (काव्य-संग्रह), कर्मफल (कहानी)

1904 : नष्ट नीड़ (उपन्यास), चिरकुमार सभा (नाटक)

1905 : बाऊल (कविता), आत्मशक्ति (राजनैतिक निबंध और भाषण-संग्रह)

1906 : नौकाडुबी (उपन्यास), भारतवर्ष (राजनैतिक निबंध और भाषण-संग्रह), राजभक्ति (राजनैतिक - निबंध), देशनायक (राजनैतिक निबंध), खेया (काव्य-संग्रह)

1907 : आधुनिक साहित्य (निबंध-संग्रह), लोक साहित्य (निबंध-संग्रह), प्राचीन साहित्य (निबंध-संग्रह), साहित्य (निबंध-संग्रह), विचित्र प्रबंध (निबंध-संग्रह), चरित्र-पूजा (निबंध-संग्रह), हास्य - कौतुक (हास्यकर रेखाचित्र), व्यंग्य - कौतुक (व्यंग्यात्मक रेखाचित्र)

1908 : मुकुट (गद्य नाटक), प्रजापतिर निर्बन्ध (उपन्यास), राजा-प्रजा (राजनैतिक निबंध-संग्रह), समूह (राजनैतिक निबंध-संग्रह), स्वदेश (राजनैतिक और समाज-विज्ञान-निबंध-संग्रह), समाज (निबंध-संग्रह), शारदोत्सव (नाटक)

1909 : ब्रह्म संगीत (धार्मिक गीत-संग्रह), शांतिनिकेतन (भाषण), विद्यासागर चरित (विद्यासागर पर दो निबंध), धर्म (निबंध-संग्रह), चयनिका (कविता-संग्रह), प्रायश्चित (नाटक), शब्द तत्व (निबंध)

1910 : राजा (नाटक), गोरा (उपन्यास), गीतांजलि (गीत एवं कविता)

1911 : आटटी गल्पो (आठ लघु कहानियां)

1912 : अचलायतन (नाटक), डाकघर (नाटक), गल्पो चारटी (चार लघु कहानियां), जीवनस्मृति (आत्मकथा), छिन्नपत्र (पत्र), धमेर अधिकार (लेख)

1914 : उत्सर्ग (काव्य-संग्रह), गीतिमाल्य (पद्य एवं गीत), गीतालि (कविता एवं गीत-संग्रह)

1915 : शांतिनिकेतन (भाषण), काव्यग्रन्थ (कविता और नाटक)

1916 : घरे बाइरे (उपन्यास), परिचय (निबंध-संग्रह), गल्पोसप्तक (लघु कहानी-संग्रह), बलाका (काव्य-संग्रह), चतुरंग (उपन्यास), फाल्गुनी (नाटक), संचय (निबंध-संग्रह)

1917 : कर्तार इच्छाय कर्मो (भाषण)

1918 : पलातका (पद्य में कहानी), गुरू (नाटक)

1919 : जापान - यात्री (यात्रा-विवरण)

1920 : पयला नम्बर (लघु कहानी-संग्रह), अरूपरतन (नाटक)

1921 : बरसा - मंगल (काव्य), शिक्षार मिलन (लेख), ऋणशोध (नाटक), सत्येर आह्वान (भाषण)

शांतिनिकेतन में रवीन्द्रनाथ टैगोर के साथ महात्मा गाँधी एवं कस्तूरबा

1922 : शिशु भोलानाथ (कविता), लिपिका (गद्य - कविता), मुक्तधारा (नाटक)

1923 : बसन्त (संगीत नाटक)

1924 : प्रवासीर चिठी (पत्र), गोरा (उपन्यास)

1925 : पूरबी (काव्य-संग्रह), प्रवाहिनी (गीत), गृह प्रवेश (नाटक), संकलन (लेख, डायरी, पत्र)

1926 : रक्तकरबी (नाटक), नोटीर पूजा (नाटक), चिरकुमार सभा (प्रहसन), शोध बोध (प्रहसन)

1927 : लेखन (अंग्रेजी एवं बंगला पद्य), ऋतु रंग (संगीत नाटक)

1928 : शेष रक्षा (नाटक), पल्लीप्रकृति (श्रीनिकेतन की वर्षगांठ पर संबोधन)

1929 : शेषेर कविता (उपन्यास), महुआ (काव्य-संग्रह), तपती (नाटक), योगायोग (उपन्यास), परित्राण (नाटक), यात्री (पत्र)

1930 : सहज पाठ, भाग I और II (पाठ्य पुस्तक), इंगरेजी सहज शिक्षा, भाग I और II (पाठ्य पुस्तक), पथ परिचय, भाग-II-IV (पाठ्य पुस्तक), भानुसिंहेर पत्रावली (पत्र)

1931 : शापमोचन (संगीत नाटक), रासियार चिठी (लेख), गीतबितान (गीत-संग्रह), संचयिता (काव्य-संग्रह), नवीन (संगीत नाटक), बनबाणी (काव्य-संग्रह)

1932 : परिशेष (काव्य-संग्रह), पुनश्च (कविता-संग्रह), कालेर यात्रा (नाटक), कालेर यात्रा (नाटक), दुई बोन (उपन्यास), मानुषेर धर्मा (भाषण), भारत प्रतीक राममोहन राय (निबंध)

1933 : चंडालिका (नाटक), तासेर देश (गीति-नाटक), बांशरी (नाटक)

1934 : मालंच (उपन्यास), चार अध्याय (उपन्यास), श्रवण गाथा (संगीत नाटक)

1935 : बीथिका (काव्य-संग्रह), शेष सप्तक (गद्य कविता-संग्रह), सुर ओ संगति (पत्र)

1936 : श्यामली (गद्य-कविता), पत्रपुट (गद्य-कविता), छन्द (निबंध), चित्रांगदा (नृत्य नाट्य), जापान यात्रा - पारस्य यात्रा (यात्रा-विवरण), साहित्येर पथे (निबंध)

1937 : विश्व-परिचय (लेख), खापछाड़ा (तुकांत कविता), कालांतर (निबंध), से (कहानी), छड़ार छवि (तुकांत कविता)

1938 : सेंजुती (काव्य-संग्रह), बांग्ला भाषा-परिचय (निबंध), प्रांतिक (काव्य-संग्रह), चंडालिका (नृत्य नाट्य), पथे ओ पथेर प्रांते (पत्र)

1939 : श्यामा (नृत्य नाट्य), प्रहासिनी (काव्य-संग्रह), आकाश प्रदीप (काव्य-संग्रह), पथेर संचय (निबंध और पत्र-संग्रह)

1940 : नवजातक (काव्य-संग्रह), सानाई (काव्य-संग्रह), रोगशय्याय (काव्य-संग्रह), तीन संगी (कहानी), छेलेबेला (आत्मकथा), चित्रलिपि (टैगोर का चित्र-संग्रह), रवीन्द्र रचनावली, भाग-III और IV (टैगोर का रचना-संग्रह)

1941 : सभ्यतार संकट (भाषण), जन्मदिने (काव्य-संग्रह), आरोग्य (काव्य-संग्रह), गल्पो शल्पो (कहानी और पद्य), आश्रमेर रूप ओ विकास (निबंध-संग्रह), रवीन्द्र रचनावली, भाग-VI, VII और VIII (टैगोर का रचना-संग्रह) शेष लेखा (कुछ कविताएं, जो उनकी मृत्यु के बाद छापी गई)

जीवन की महत्वाकांक्षाएं शिशुओं के रूप में आती हैं। महापुरुष जन्मसिद्ध शिशु हैं। जब वे मरते हैं, तो अपना शिशुत्व संसार को प्रदान कर जाते हैं। –रवीन्द्र नाथ टैगोर

रवींद्रनाथ ठाकुर का पहला हिन्दी भाषण

आपकी सेवा में खड़ा होकर विदेशीय भाषा कहूँ यह हम चाहते नहीं। पर जिस प्रांत में मेरा घर है वहाँ सभा में कहने लायेक हिंदी का व्यवहार है नहीं।

महात्मा गांधी महाराज की भी आज्ञा है हिंदी में कहने के लिए। यदि हम समर्थ होता तब इससे बड़ा आनंद और कुछ होता नहीं। असमर्थ होने पर भी आपकी सेवा में मैं दो-चार हिंदी में बोलूँगा।

सारी राह में आप सभों का समादर का स्वाद पाते-पाते हम आए हैं। हरेक स्टेशन में बाल-वृद्ध, बनिता हमको सत्कार किए हैं। मेरा घट तो पूर्ण होने को चला है, पर पूर्ण घट से आवाज तो निकलने चाहती नहीं। तौ भी निःशब्द में याने खामोश रहकर आपकी प्रीति का अर्घ्य ग्रहण करूँ ऐसी असभ्यता भी सह सकूँ किस तरह से ?

जो सभ सुवक्ता लोकसभा के चबूतरा पर चढ़कर अपनी भाषा के प्रवाह से सर्वसाधारण के चित्त अनायास से वहाँ ले जा सकते हैं इतना दिन उन सभों पर मेरी ईर्षा याने हसद् न थी; आज चाहते हैं कि यदि उनह की ऐसी सहज वाक्-शक्ति हमारी भी होती, ईश्वर मुझे दिए होते तब-बस यहीं से फौरन मैं नगद आपका करजा चूका देने की चेष्टा करते।

लेकिन *मैं सिर्फ कवि हूँ। वाक्य तो मेरा कंठ में है नहीं, है दिल में। मेरी वाणी ऐसा जलसा में बाहर होने तो चाहती नहीं, वह रहती है छंद का अंदर महल में।* उसी वाणी की साधना में सारी जिंदगी भर मैंने निर्ज्जनवास को स्वीकार कर लिया है, मैं तो पौरसभा के योग्य नहीं हो सका हूँ। *प्रकृति जिस निभृत जगह में अपनी फूलों को विकसित करती है, वहीं मैं गाने के लिए प्रभू का आदेश पाया हूँ। वहाँ से अगर मुझे जमायत् में कोई खींच ले आवे तब मैं गूँगा बन जाता हूँ, दिल भर जाने से भी मुख तो खुलने चाहता नहीं।* यही तो मेरी मुस्किल है ! जब तक हम लोकालय याने इनसानों को वतन से दूर में रहता हूँ तब तक मेरा सूर वहाँ पोंछ सकता है। सभों के साम्ने अगर मुझे खींचा जाय तो मैं बिलकुल गूँगा बन जाता हूँ।

रवींद्रनाथ ठाकुर बँगला के विश्वविख्यात कवि थे। 'गीतांजलि' पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए तो वे उनके आग्रह पर भावनगर में सन् 1920 में आयोजित छठे गुजराती साहित्य परिषद् में गए और उसकी अध्यक्षता की, इससे भी महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि उन्होंने गांधीजी के आग्रह को मानते हुए अपना अध्यक्षीय भाषण हिन्दी में दिया, जो उनके जीवन का पहला हिन्दी भाषण था। रवीन्द्र बाबू की 150वीं जयन्ती के अवसर पर शिविरा के सुधि पाठकों के लिए इस मूल्यवान दस्तावेज को यहाँ प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष है। भाषा हमने ज्यों की त्यों रहने दी है। ***– वरिष्ठ सम्पादक***

मैं गीत गानेवाला चिड़िया ऐसा हूँ। पत्तों के परदे में मेरा गीत है– तब ही मेरा गीत घरों में सभ आदमीयों के पास पौंचता है, पर आज आप सभों में समादर करके मुझे सभा के मंच में चढ़ा दिया है। आप कवी के पास उमेद करते हैं वक्तृता, याने बाँसूरी को चाहते हैं लगाने लाठी के काम में। इसलिए यदि वह काम अच्छी तरह से न बनै तब विधाता की निंदा कीजिए। वह मुझे शक्ति बाटने के समय में कृपणता किया है, अगर विधाता मुझे कुछ दिया हो तो दिया है कवित्व–बोलने की शक्ति नहीं।

विधाता की यह कृपणता से मुझमें भी दीनता आ पहूँची है। सभा में खड़ा हो करके आप लोगों को अपार आनंद देऊँ या उपदेश देऊँ या काम लायक बार्ते कहूँ ऐसा दाक्षिण्य देखाने का सौभाग्य मुझे हुया नहीं, दाक्षिण्य केवल आप लोगों के तरफ से प्रकाश हुआ, मुझे हार मानने पड़ा।

विनय के साथ हार मानने को तैयार हैं, पर सिर्फ वचन के हार, हृदय में हम हार मानते हैं नहीं। आप लोगों के साथ जो प्रीति का सम्बन्ध हुआ है, उस सम्बन्ध में मेरा दिल से कुछ भी कमी रह गई यह हम मानते नहीं।

आप लोगों से जो प्रीति जो समादर लाभ कर रहा हूँ, उसको हम ईश्वर के तरफ से अप्रार्थित दान समझकर ले रहा हूँ। ईश्वर की दया आदमियों कि योग्यता का हिसाब करती नहीं। उनकी दया के योग्य होने की साधना करना ही मेरा कृत्य है। अंतरजामी जानता है कि वह साधना मेरा दिल में है वही मेरी कवि की साधना।

पर कवि की साधना है क्या चीज? वह और कुछ नहीं बस् आनंद के तीर्थ में, रस लोक में विश्व देवता के मंदिर के अंगन में सर्वमानव का मिलन गान से विश्व देवता की अर्च्चा करना। पृथ्वी के सब मनुष्यों को हम कहाँ पाऊँ, शक्ति की क्षेत्र, जाहां लड़ाई दिन-रात चल रही है उस जगह में या बाजार में, जहाँ खरीद और बेच का शोर और कोलाहल से कान बहरा हो गया है– मनुष्य का मिलन होना है किस-किस जगह में– शक्ति की राह में या लाभ की राह में? सब राहों की चौमुहानी पर कवी की बाँसूरी टेर से यह सुनाने के लिए है कि जिस प्रेम को राह में मुझको ईश्वर बुला रहे हैं, वहाँ जाने का संबल है दुःख को स्वीकार करना, आपने को भरपूर दान करना, और उस राह का परम लाभ है वह जो है मेरी परमागति मेरी परमा संपत मेरा परम लोक, और मेरा परम आनंद। भगवान् के वह चरण पद्म में सारा भारत का चित्त एक हो जावे यही एक भाव सारा दुनिया के ऐक्य की राह दिखलावेगा।

यह पृथ्वी सुंदर है, यह नील आकाश उदार है, यह सूर्यालोक पवित्र है। मनुष्य जो जन्म लिया है, सो मार-काट के मरने के लिए नहीं। यह सुंदर जगत् में चिर सुंदर के स्पर्श लाभ करने के लिए, यह पवित्र आलोक में चिरपावन के आशीर्वाद को लाभ करने के लिए। यह भारत अपनी तपोवन छाया में एक समय यह घोषणा सारा विश्व को दिया है–वह घोषणा जब से उनके कंठ में मलिन हो गई, तभी से उसका दारिद्र्य

और अपमान। फिर भारत को वही तपस्या लेना है। सारा दुनिया के लिए तपश्चर्य्या करना है। क्योंकि दुर्दिन आज आ पड़ा है। विश्व वसुंधरा तापित है, श्यामल वसुधा–शोणित से पंकिल और पाप से मलिन है। आज भारत के चिरदिन की साधना का शून्य आसन फिर ग्रहण करना है। ब्रह्मलोक की वार्त्ता सर्वत्र पौंचाना है–

एष सेतुर्विधरण असम्भे दायलोकानां-नैनं सेतु-रहोरात्रे तरतः नं शोको न जरान मृत्युः एतं सेतुं तीर्त्वा अन्धःसन् अनन्धो भवति विद्धः सन् अविद्धो भवति, उपहापीसन् अनुतापी भवति सकृद्विभातो ह्येवेष ब्रह्मलोकः।

यह सेतु सर्व लोगों को धारण करने के लिए है, संभेद को दूर करने के लिए है, अहोरात्रि यह सेतु को लंघन कर सक्ता नहीं, शोक जरा मृत्यु इसको लंघन कर सक्ता नहीं, इसको पार हो करके अंध अनंध हो जाते हैं, पापी निष्पाप हो जाते हैं, शोकार्त्त विगतशोक हो जाते हैं। यह ब्रह्मलोक उदय मात्र और अवसान को प्राप्त होता नहीं।

साभार : साहित्य अमृत, जुलाई 2007

महात्मा गाँधी द्वारा 20 सितम्बर 1932 को उपवास प्रारम्भ करने से पहले एक पत्र रवीन्द्रनाथ टैगोर को लिखा गया था जो उनकी अन्तरंगता को प्रकट करता है। यह पत्र सुधि पाठकों के लिए यहाँ प्रस्तुत है।

प्रिय गुरुदेव,

अभी सुबह के तीन बजे हैं, आज मंगलवार के दिन। मैं आज की दोपहर को एक अनुष्ठान पर बैठ जाउंगा। मेरे इस अनुष्ठान को आप आशीर्वाद दें, ऐसा मैं चाहता हूँ। आप मेरे सच्चे सखा रहे हैं, ऐसे मित्र जो अपनी बात बेबाकी से कहते हैं। मैंने हमेशा आपसे आपकी दो टूक राय एवं मशविरे की आशा की है लेकिन आपने कभी अपनी आलोचना से उपकृत नहीं किया। आज हालांकि मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा लेकिन तब भी आपकी आलोचना का स्वागत करूंगा। आपको यदि मेरा यह कदम नागवार गुजरे तो भी आपकी राय की प्रतीक्षा करूंगा। अपनी गलती स्वीकार करने में, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैंने कभी कोई कोताही नहीं की है। यदि आपका दिल गवाह दे तो मेरे इस अनुष्ठान को अपनी आशिष दें। इससे मुझे बल मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि मैंने अपनी बात ठीक से कह दी है।

प्यार के साथ।

एम.के. गांधी

रवीन्द्र द्वारा नाइट उपाधि का परित्याग

रवीन्द्र नाथ टैगोर की असाधारण योग्यता एवं साहित्य के उनके योगदान को मान्यतास्वरूप 1915 में ब्रिटिश सम्राट के जन्मदिवस के अवसर पर कवि को नाइट (Knighthood) की उपाधि से विभूषित किया गया। चार वर्ष बाद 1919 में अमृतसर (पंजाब) स्थित जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकाण्ड के विरोध में कवीन्द्र ने क्षुब्ध होकर नाइट उपाधि का परित्याग कर दिया। इस सम्बन्ध में उन्होंने भारत के तत्कालीन वायसराय मि. लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिनांक 30 मई 1919 को जो खुला पत्र लिखा था, वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस पत्र में गुरुदेव ने जिस साहस का परिचय दिया है, वह रोमांचकारी है और यही कारण है कि पत्र बार-बार पढ़ने का मन करता है। गुरुदेव का अंग्रेजी में लिखा यह पत्र 'द स्टेट्समैन' के 3 जून 1919 के अंक में प्रकाशित हुआ था। पत्र का हिन्दी अनुवाद शिविरा के सुधि पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। ***–व.सं.***

महोदय,

कुछ आंचलिक उपद्रवों का दमन करने के उद्देश्य से सरकार ने पंजाब में जैसा कदम उठाया है, उसकी रूढ़ता के लिए अंग्रेजी शासन का प्रभुत्व होने के चलते भारतवासियों की असहायता का अनुभव कर रहा हूँ। अभागे मनुष्य के प्रति सरकार की वैषम्यपूर्ण निष्ठुरता को कठोर दंड प्रदान करना किसी भी सभ्य देश में अकल्पनीय है, सामयिक और सुदूर विगत की कुछ विशेष घटना को छोड़कर। निरस्त्र और दरिद्र के प्रति क्षमताशाली के इस बर्ताव का जिस क्षमताशाली के हाथों में मनुष्य को अस्तित्वहीन करने का अपर्याप्त उपकरण है - निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इसकी कोई राजनैतिक युक्तिसंगतता भी नहीं है, नैतिकता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पंजाब के भाइयों की अवमानना और अपरिसीम वेदना के संदेश को बलपूर्वक निषेध करने के बावजूद भी वह भारतवर्ष के कोने-कोने में फैल गया है। इससे भारतवासी के मन में जो घृणा उत्पन्न हुई है, शासक-दल ने उसकी क्रमशः उपेक्षा की है– सम्भवतः इस 'उचित शिक्षा' का दृष्टांत प्रदर्शित करने के लिए एक-दूसरे को शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। इस निष्ठुर अवहेलना की अधिकांशतः एंग्लो-इंडियन पत्र-पत्रिकाओं में प्रशंसा हुई है। कुछ पत्रिकाओं में हमारे इस करुण-दयनीय दुःख का उपहास करने का प्रयास हुआ है। फिर भी, जिस राजशक्ति ने सुविचार की आशा से समस्त रूदन को बलपूर्वक मूक बनाकर रखा है, उस शक्ति ने इन्हें नियंत्रित रखने की कोई चेष्टा ही नहीं की है। हमारे सभी आवेदन-निवेदन असफल रहे एवं सरकार की प्रतिहिंसापरायणता ने अकल्पनीय रूप से बढ़कर हमारे देश को भयभीत और स्तब्ध बना कर रख दिया है। इस हालत में मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ... अपने कंधे पर सभी दायित्व लेकर मेरा विरोध प्रकट कर सकता हूँ। वह समय आ गया है। मैं मेरा 'विशिष्ट सम्मान' परित्याग कर अपने देशवासियों के समक्ष खड़ा होना चाहता हूँ। अतएव महाशय, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि उपर्युक्त कारण समूह मुझे आपकी राज सरकार प्रदत्त 'नाइट' उपाधि का परित्याग करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। उस 'सम्मान' को प्रदान करने की महानता और उदारता की मैं हार्दिक प्रशंसा करता हूँ।

आपका विश्वासी,
रवीन्द्रनाथ ठाकुर

6, द्वारकानाथ ठाकुर लेन
कलकत्ता

संस्कृति एक्सप्रेस : सफर-कला, संस्कृति और भाईचारे का

गीतांजलि के अमर गायक विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के 150वीं जयन्ती वर्ष, 2011 में गुरुदेव द्वारा रचित विपुल साहित्य, चित्रकला संगीत आदि की एक झलक देश के विभिन्न भागों तक पहुँचाने में भारतीय रेल द्वारा एक अनूठी पहल की गई। गुरुदेव विश्वबन्धुत्व के प्रबल हिमायती थे। अतः सफर-कला, संस्कृति और भाईचारे का शीर्षक से संस्कृति एक्सप्रेस रेलगाड़ी का संचालन उत्तर-पश्चिम रेलवे के सौजन्य से किया गया।

संस्कृति एक्सप्रेस का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया जिससे वह देश के मुख्य-मुख्य शहरों में तीन-तीन दिन ठहरे। इस अवधि में न केवल उस क्षेत्र के विभिन्न कस्बों, गाँवों से आकर लोग रेल में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन ही करें, अपितु इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचारगोष्ठियों का आयोजन किया जाये।

संस्कृति एक्सप्रेस में पाँच सवारी डिब्बों को सज्जित किया गया जिनमें रवीन्द्र बाबू के जीवन एवं सृजन की झलक है। इन पाँच डिब्बों का अलग-अलग विवरण इस प्रकार है–

डिब्बा-1 : जीवन स्मृति – इस डिब्बे में रवीन्द्रनाथ टैगोर के जीवन से जुड़े संस्मरण और फोटोग्राफ के साथ-साथ शांतिनिकेतन एवं श्रीनिकेतन से सम्बन्धित विवरण प्रदर्शित किए गए।

डिब्बा-2 : गीतांजलि – इस डिब्बे का नाम रवीन्द्र बाबू की कालजयी कृति गीतांजलि के नाम पर रखा गया। जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। डिब्बे में गीतांजलि के सुन्दर गीतों, पंक्तियों, कविताओं आदि को सजाया गया।

जगत-सभा में मुझे चाहिए
बस इतना स्थान,
एक किनारे बैठ,
यहाँ बस गाऊँ तेरे गान !
नाथ ! तुम्हारे भुवन बीच
मैं करूँ और क्या काज,
केवल तेरे सुर में बजता,
इन प्राणों का साज !
नीरव निशि में, देवालय में,
जब होगा आराधन,
'नाथो' कहना, मैं गाऊँगा,
सुनना तुम हे ! रावन !
और, मोर में स्वर्णिम वीणा की
जब हो झंकार,
रहूँ दूर ना, तुम पास हैं,
उस वीणा के तार।
रखना इतना मान !

– गीतांजलि/गीत 15 अनुवाद : प्रवीण शुक्ल

डिब्बा-3 : मुक्तधारा – यह डिब्बा कवीन्द्र-रवीन्द्र के साहित्य को दर्शाता है जिसमें उनके द्वारा लिखी कहानियों, लघु कथाओं, उपन्यास, नाटक, गद्य और निबन्ध सम्मिलित किए गए। इनके अलावा टैगोर द्वारा गाए गए रवीन्द्र संगीत और कविता पाठ की फोटोग्राफ सहित प्रस्तुति इसमें की गई।

डिब्बा-4 : चित्रलेखा – इस डिब्बे में गुरुदेव द्वारा अपनी कुशल चित्रकारी से बनाए गए चित्रों, पेन्टिंग, रूप चित्रों और रेखा चित्रों को प्रदर्शित किया गया। इनके अलावा नन्दलाल बोस, सुधीर खास्तगीर आदि विख्यात कलाकारों के चित्र भी इस डिब्बे में प्रदर्शित किए गए।

डिब्बा-5 : शेष कथा और स्मरणिका – इस डिब्बे में साहित्य शिरोमणि रवीन्द्रनाथ टैगोर के जीवन के अन्तिम दिनों एवं अन्तिम यात्रा के फोटोग्राफ लगाए गए। वहीं स्मरणिका में शांतिनिकेतन की उत्कृष्ट हस्तकला का प्रदर्शन किया गया।

इस प्रकार संस्कृति एक्सप्रेस में टैगोर के बचपन से लेकर अन्तिम समय तक लगभग 50 दुर्लभ तस्वीरें लगाई गईं। इस रेल प्रदर्शनी को स्टेशन पर खड़ी रेल में प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक देखा जा सकता था। देखने का कोई शुल्क नहीं रखा गया। रवीन्द्र के साथ ही संस्कृति एक्सप्रेस में प्रदर्शित चित्रों से बंगाल की संस्कृति की एक झलक भी दर्शकों को देखने को मिली। इस अवसर पर भारतीय रेलवे द्वारा एक बहुरंगीय पुस्तक 'संस्कृति-यात्रा रवीन्द्र भावना' का भी प्रकाशन किया गया। हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित इस पुस्तक का वितरण भी सुविधा को किया गया। संस्कृति एक्सप्रेस का देशव्यापी सफर दिनांक 29 अप्रैल, 2011 को शांतिनिकेतन से सम्बद्ध रेलवे स्टेशन बोलपुर पर पूर्ण हुआ। इस प्रकार संस्कृति एक्सप्रेस के माध्यम से भारतीय रेलवे ने विश्व कवि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। रेलवे के इस महत्त्वपूर्ण योगदान की दर्शकों ने प्रशंसा की। रवीन्द्रनाथ ने कहा था–

'छिन्न-विछिन्न के टूट गए आज सारे बंध
मूर्तिमान हो उठा बसन्त आनन्द
नीरव हुआ प्राणवान अमृत में छक कर...।'

भारतीय रेलवे में रवीन्द्र बाबू के उपरोक्त कथन को ही आदर्श वाक्य मानकर संस्कृति एक्सप्रेस का सफलतापूर्वक संचालन किया जिससे लाखों व्यक्तियों ने रवीन्द्र के जीवन कर्म से साक्षात्कार किया। – व.सं.

बापू की सीख-1

विद्यार्थी-जीवन के कुछ अनुभव

❑ मो. क. गाँधी

महात्मा गाँधी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति एवं शिक्षा सभी क्षेत्रों में उनके विचार बहुत उपयोगी हैं। वस्तुतः वे एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक थे। उनकी शिक्षा सम्बन्धी 21 रचनाएं 'बापू की सीख' नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं। शिविरा के सुधि पाठकों के लिए उन्हें शृंखलाबद्ध प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आशा है पाठक इन विचारों को पठन, मनन के साथ आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। —वरिष्ठ सम्पादक

पोरबन्दर से पिताजी 'राजस्थानिक कोर्ट' के सदस्य होकर जब राजकोट गये, तब मेरी उम्र कोई सात साल की होगी। राजकोट की ग्रामीण पाठशाला में मैं भर्ती कराया गया। उन दिनों का मुझे भली-भाँति स्मरण है। मास्टरों के नाम-धाम भी याद हैं। पोरबन्दर की तरह वहाँ की पढ़ाई के सम्बन्ध में कोई खास बात जानने लायक नहीं। मेरी गिनती साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। पाठशाला से ऊपर के स्कूल में और वहाँ से हाईस्कूल तक पहुँचने में मेरा बारहवाँ वर्ष बीत गया। तब तक मैंने कभी शिक्षक को धोखा दिया हो, ऐसा याद नहीं पड़ता। न अब तक दोस्त बनाने का स्मरण है। मैं बहुत संकोची लड़का था। मदरसे में अपने काम से काम रखता। घंटी बजते-बजते पहुँच जाता और स्कूल बंद होते ही घर भाग आता। 'भाग आता' शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया है, क्योंकि मुझे किसी के साथ बातें करना नहीं रुचता था। मुझे यह डर भी बना रहता था कि कोई मेरा मजाक न उड़ावे।

हाईस्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर, जाइल्स साहब, मुआयने के लिए आये। उन्होंने पहले दर्जे के विद्यार्थियों को पाँच शब्द लिखवाये। उनमें एक शब्द था 'केटल' (Kettle)। उसके हिज्जे मैंने गलत लिखे। मास्टर ने मुझे बूट के इशारे से चेताया, पर मैं कहाँ समझने वाला था? मेरे दिमाग में यह बात न आई कि मास्टर साहब मुझे सामने के लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त करने का इशारा कर रहे हैं। मैंने यह मान रखा था कि मास्टर तो इसके लिए तैनात है कि कोई लड़का दूसरे की नकल न कर सके। सब लड़कों के पाँचों शब्द सही निकले, अकेला मैं ही बेवकूफ बन गया। मेरी बेवकूफी बाद को मास्टर ने बतलाई। मेरे मन पर उसका कोई असर न हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी न आया।

ऐसा होते हुए भी मास्टर के प्रति मेरा आदर कभी न घटा। बड़े-बूढ़ों के दोष न देखने का गुण मुझमें स्वाभाविक था। बाद को तो इन मास्टर साहब के दूसरे दोष भी नजर में आये। फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों का त्यों कायम रहा। मैं इतना जानता था कि बड़े-बूढ़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो वे कहें करना चाहिए, पर वे जो कुछ करें, उसका काजी हमें न बनना चाहिए।

इसी बीच, दूसरी दो घटनाएँ हुईं, जो मुझे सदा याद रही हैं। मामूली तौर पर मुझे कोर्स की पुस्तकों के अलावा कुछ भी पढ़ने का शौक न था। सबक पूरा करना चाहिए, डांट सही नहीं जाती थी, मास्टर से छल-कपट नहीं करना था, इस विचार से मैं सबक पढ़ता, पर मन न लगा करता। इससे सबक बहुत बार कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में दूसरी पुस्तकें पढ़ने को जी कैसे चाहता? परन्तु पिताजी की खरीदी एक पुस्तक 'श्रवण-पितृ-भक्ति' नाटक पर मेरी नजर पड़ी। इसे पढ़ने को दिल चाहा। बड़े अनुराग और चाव से मैंने उसे पढ़ा। इन्हीं दिनों काठ के बक्स में शीशों से तस्वीर दिखाने वाले भी फिरा करते। उनमें मैंने श्रवण का अपने माता-पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा के लिए ले जाने वाला चित्र देखा। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मन में श्रवण के समान होने के विचार उठते। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता-पिता का विलाप अब भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बजाना सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा ला भी दिया था।

इसी समय कोई नाटक कम्पनी आई और मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली। इसमें हरिश्चन्द्र की कथा थी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति नहीं होती थी। बार-बार उसे देखने को मन हुआ करता, पर बार-बार कौन जाने देता? जो हो, अपने मन में मैंने इस नाटक को सैकड़ों बार दुहराया होगा। हरिश्चन्द्र के सपने आया करते। यही धुन लगी कि 'हरिश्चन्द्र की तरह सत्यवादी सब क्यों न हों?' यही धारणा होती कि हरिश्चन्द्र के जैसी विपत्तियाँ भोगना और सत्य का पालन करना ही सच्चा सत्य है। मैंने तो यही मान रखा था कि नाटक में जैसी विपत्तियाँ हरिश्चन्द्र पर पड़ी हैं, वैसी ही वास्तव में उन पर पड़ी होंगी। हरिश्चन्द्र के दुःखों को देखकर और उन्हें याद करके मैं खूब रोया हूँ। आज मेरी बुद्धि कहती है कि सम्भव है, हरिश्चन्द्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति न हों, पर मेरे हृदय में तो हरिश्चन्द्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मैं मानता हूँ कि आज भी यदि मैं उन नाटकों को पढ़ूँ तो आँसू आये बिना न रहें।

* * *

जब मेरा विवाह हुआ, तब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। मेरे साथ मेरे और दो भाई भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। बड़े भाई बहुत ऊपर के दर्जे में थे और जिन भाई का विवाह मेरे साथ ही हुआ था, वह मुझसे एक दर्जा आगे थे। विवाह का परिणाम यह हुआ कि हम दोनों भाइयों का एक साल बेकार गया। मेरे भाई को तो और भी बुरा परिणाम भोगना पड़ा। विवाह के बाद उन्हें स्कूल छोड़ देना पड़ा। भगवान जानते हैं, विवाह के कारण कितने युवकों को ऐसे अनिष्ट परिणाम भोगने पड़ते हैं।

मेरी पढ़ाई जारी रही। हाई स्कूल में मैं मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। शिक्षकों का प्रेम तो मैंने सदा प्राप्त किया था। हर साल माता-पिता को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल-चलन के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र भेजे जाते। उनमें किसी दिन मेरी पढ़ाई या चाल-चलन की

शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद इनाम भी पाये और पाँचवें तथा छठे दर्जे में तो क्रमशः 4 और 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्तियाँ भी मिली थी। इस सफलता में मेरी योग्यता की अपेक्षा भाग्य का ज्यादा जोर था। ये छात्रवृत्तियाँ सब लड़कों के लिए नहीं, सौराष्ट्र प्रान्त के विद्यार्थियों के लिए थीं और उस समय चालीस-पचास विद्यार्थियों के दर्जे में सौराष्ट्र के विद्यार्थी हो ही कितने सकते थे?

मेरी याद के अनुसार अपनी होशियारी पर मुझे गर्व न था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती, तो मुझे आश्चर्य होता, परन्तु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा खयाल रहता था। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रुलाई आ जाती। यह मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था कि मेरे हाथों कोई ऐसी बात हो कि शिक्षक को शिकायत का मौका मिले अथवा वह मन में ऐसा सोचें। मुझे याद है कि एक बार मार खानी पड़ी थी। मार खाने का दुःख न था, पर इस बात का बड़ा पछतावा था कि मैं दण्ड का पात्र समझा गया। मैं खूब रोया। यह घटना पहले या दूसरे दर्जे की है। दूसरा प्रसंग सातवें दर्जे का है। उस समय दोराबजी एदलजी गीमी हैडमास्टर थे। वह कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी विद्यार्थियों में प्रिय थे। वह बाकायदा काम करते और काम लेते तथा तालीम अच्छी देते। उन्होंने ऊँचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट अनिवार्य कर दी थी। मेरा मन उसमें न लगता था। अनिवार्य होने के पहले तो मैं कसरत, क्रिकेट या फुटबाल में कभी जाता ही न था। न जाने से मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। अब मैं देखता हूँ कि कसरत की यह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरत का शिक्षा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। बाद में समझ में आया कि विद्याभ्यास में व्यायाम अर्थात् शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए।

फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि कसरत में न जाने से हानि न हुई। कारण, मैंने पुस्तकों में खुली हवा में घूमने की सलाह पढ़ी थी। वह मुझे पसन्द आई और तभी से मुझे घूमने जाने की आदत पड़ गई, जो अब तक है। घूमना भी व्यायाम तो है ही और इससे मेरे शरीर में थोड़ा कसाव आ गया।

व्यायाम की जगह घूमना जारी रखने की वजह से शरीर से कसरत न करने की भूल के लिए तो मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक भूल की सजा मैं आज तक भोग रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से मेरा यह गलत खयाल हो गया था कि पढ़ाई में सुन्दर लिखावट की जरूरत नहीं है। यह विलायत जाने तक बना रहा। बाद में पछताया और शर्माया। मैंने समझा कि अक्षरों का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। हरएक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरण से सबक लें और समझें कि सुन्दर अक्षर शिक्षा का आवश्यक अंग है।

इस समय के मेरे विद्यार्थी जीवन की दो बातें उल्लेख करने योग्य हैं। चौथे दर्जे से कुछ विषयों की शिक्षा अंग्रेजी में दी जाती थी, पर मैं कुछ समझ ही नहीं पाता था। रेखागणित में मैं यों भी पीछे था और फिर अंग्रेजी में पढ़ाये जाने के कारण समझ में भी न आता था। शिक्षक समझाते तो अच्छा थे, पर मेरे दिमाग में कुछ घुसता ही न था। मैं बहुत बार निराश हो जाता। परिश्रम करते-करते जब रेखागणित की तेरहवीं शक्ल तक पहुँचा, तब मुझे एकाएक लगा कि रेखागणित तो सबसे आसान विषय है। जिस बात में केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है उसमें मुश्किल क्या है? उसके बाद से रेखागणित मेरे लिए सहज और मजेदार विषय हो गया।

संस्कृत मुझे रेखागणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखागणित में तो रटने की कोई बात न थी, परन्तु संस्कृत में, मेरी दृष्टि से, अधिक काम रटने का ही था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था। छठी कक्षा में जाकर तो मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत के शिक्षक बड़े सख्त थे। विद्यार्थियों को बहुत-सा पढ़ा देने का उन्हें लोभ था। संस्कृत और फारसी के दर्जे में एक प्रकार की होड़-सी थी। फारसी के मौलवी साहब नरम थे। विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फारसी तो बहुत सरल है और फारसी के अध्यापक भी बड़े सज्जन हैं। विद्यार्थी जितना काम कर लाते हैं, उतने से ही वह निभा लेते हैं। सहज होने की बात से मैं भी ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को इससे दुःख हुआ और उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, ''तुम सोचो तो कि तुम किसके लड़के हो? अपने धर्म की भाषा नहीं सीखोगे? अपनी कठिनाई मुझे बताओ। मेरी तो इच्छा रहती है कि सब विद्यार्थी अच्छी संस्कृत सीखें। आगे चलकर उसमें रस-ही-रस है। तुमको इस तरह निराश न होना चाहिए। तुम फिर मेरे दर्जे में आओ।''

मैं शर्माया। शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर पण्ड्या की कृतज्ञ है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती, तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो रसास्वादन कर पाता हूँ वह न कर पाता, बल्कि अधिक संस्कृत न पढ़ सका, इसका पछतावा होता है क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी हिन्दू बालक को संस्कृत के अध्ययन से वंचित नहीं रहना चाहिए।

अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षणक्रम में अपनी भाषा के अलावा राष्ट्र भाषा हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी को स्थान मिलना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की जरूरत नहीं। यदि भाषाएँ ढंग से सिखाई जायें और सभी विषय अंग्रेजी के ही द्वारा पढ़ने, समझने का बोझ हम पर न हो तो उपर्युक्त भाषाओं की शिक्षा भार रूप न होगी, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगेगा। फिर एक भाषा जो शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है, उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुलभ हो जाता है।

वास्तव में तो हिन्दी, गुजराती, संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यही बात फारसी और अरबी के लिए भी कह सकते हैं। फारसी यद्यपि संस्कृति के जैसी है और अरबी हिब्रू के जैसी, तथापि दोनों भाषाएँ इस्लाम के जन्म के पश्चात् फली-फूली हैं, इसलिए दोनों में निकट सम्बन्ध है। उर्दू को मैंने अलग भाषा नहीं माना, क्योंकि उसके व्याकरण का समावेश हिन्दी में होता है। उसके शब्द फारसी और अरबी ही हैं। ऊँचे दर्जे की उर्दू जानने वाले के लिए अरबी और फारसी जानना आवश्यक होता है, जैसा कि उच्चकोटि की गुजराती, हिन्दी, बंगला, मराठी जानने वाले के लिए संस्कृत जानना जरूरी है। ***(महात्मा गाँधी की रचनाओं में से शिक्षा-सम्बन्धी बालोपयोगी संग्रह ''बापू की सीख'' सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली से साभार)***

झोले में पुस्तकालय

किताब के झरोखे से-एक अस्पताल : एक स्कूल

❑ शिवरतन थानवी

एक मास्टरजी थे– मास्टर मोतीलाल। वे मामूली वेतन वाले मास्टर थे। अपने मामूली वेतन का बहुत सारा भाग वे पुस्तकें खरीदने में लगाते थे। अपने ज्ञान और रुचि के आधार पर कुछ पुस्तकें वे प्रायः खरीदते रहते और उनका मकान पुस्तकों का भंडार बनता जाता। पुस्तकों के भंडार रूपी अपने इस घर को ही वे 'सन्मति पुस्तकालय' कहते।

उनके पास एक मजबूत झोला था। उसमें वे कुछ पुस्तकें रख लेते और घर-घर जाकर पाठकों के पसंद की पुस्तकें उन्हें दे आते। अगले माह नई दे आते और पिछली ले आते। जीवन भर उन्होंने स्वेच्छा से धारण किए स्वभाव को निभाया। पूरे शहर में मास्टर मोतीलाल चलते-फिरते पुस्तकालय रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी याद में जयपुर की सेठी कॉलोनी में उनके शिष्यों ने एक विशाल भव्य भवन बनवाया है और नाम रखा है 'सन्मति पुस्तकालय'। उनको आदर्श बना कर हमें भी यह आदत डालनी चाहिए कि अपने वेतन का कुछ भाग पुस्तकों पर व्यय करें और पढ़ने को पुस्तकें पड़ौसियों-मित्रों को देते रहें। पुस्तकें भी दें और सन्मति भी दें कि क्या पढ़ना श्रेष्ठ रहेगा। अपनी पढ़ी पुस्तकों की बातें भी उन्हें बताते रहें। मैं बताता हूँ आज मेरे झोले में क्या-क्या पुस्तकें हैं और यह भी कि मैंने उनमें क्या पाया, मुझे वे कैसी लगीं।

नेपथ्य के दावेदार, डॉ. श्रीगोपाल काबरा, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ. 100, मूल्य 150.00 ।

लेखक डॉ. श्रीगोपाल काबरा उच्चकोटि के डॉक्टर-सर्जन हैं। इनकी विशेषता यह है कि अपने पेशे के हर पहलू को वे बहुत बारीकी से देखते हैं, समझना चाहते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि जो जाना उसमें ऐसी बातें ढूँढ़ते हैं जो आम समाज के सभी लोगों के जानने योग्य हों। सामान्य से सामान्य व्यक्ति, चाहे वह डॉक्टर हो या न हो, वह यदि इस बात को जाने तो उसकी कई शंकाओं का समाधान होगा और नई सूचना प्राप्त होने के कारण ज्ञानवृद्धि भी होगी। जिन समस्याओं और विषयों का पाठकों को वे इस पुस्तक में परिचय कराते हैं वे सभी सीधी-सादी, सरल और मनमोहक शैली के कारण कहानियाँ बन गई हैं। कहानियाँ भी ऐसी गुंथी हुई कि उपन्यास का आस्वाद देती हैं।

निश्चित ही योग्य अनुभवी डॉक्टर होने के साथ-साथ लेखक अद्भुत क्षमता वाले एक उत्कृष्ट कथाकार भी हैं। अछूते विषय हैं और गहरी दृष्टि है। डॉक्टरों और मरीजों के बीच की साधारण बातचीत तो सभी ने देखी है लेकिन उस बातचीत के अनुभव में जो नैतिक और कानूनी पक्ष छिपा है उसकी पड़ताल करना और उस समस्या को मरीज तथा उसके घरवालों की दृष्टि से देखना आपको पूरे विवरण और विस्तार सहित इसी पुस्तक में मिलेगा।

सभी वर्णन ऐसी तर्कपूर्ण शैली में हैं और इतने रहस्यमय अंदाज में हर अध्याय को कथारूप दिया गया है कि पुस्तक सुकरात (प्रसिद्ध दार्शनिक) तथा शर्लक होम्ज (प्रसिद्ध जासूस) का मिश्रण प्रतीत होती है। लेखक का यह सूत्र पाठक कभी नहीं भूलेगा– 'दर्दनाशक दवाओं से दर्द तो दूर किया जा सकता है, वेदना नहीं। वेदना हरने के लिए संवेदना चाहिए। संवेदना-स्नेहिल स्पर्श, अपनत्व और आस्था, जो स्वसम्मान और विश्वास जमा सके।' (पृ. 68)

श्री शिवरतन थानवी सेवानिवृत्त संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं। आप शिविरा के वरिष्ठ सम्पादक रहेहैं। आपके कार्यकाल में शिविरा व नया शिक्षक के अनेक उपयोगी व संग्रहणीय विशेषांक प्रकाशित हुए, शिविरा का यश अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा। आप अनेक पुस्तकों के लेखक एवं समीक्षक हैं। सतत् स्वाध्यायी श्री थानवी का पसीना शिविरा की अनमोल विरासत है।

पुस्तक में 23 खण्ड हैं। इन्हें हम यथार्थ केस-स्टडीज कह लें, चिंतन-परक निबंध कह लें या उपन्यास के अध्याय या अलग-अलग कहानियाँ कह लें, चिकित्सकीय तकनीकी जानकारियों से युक्त होने पर भी कथातत्व से परिपूर्ण हैं। पुस्तक का शीर्षक 'नेपथ्य के दावेदार' भी कम ध्यान देने योग्य नहीं हैं, अर्थगर्भित है।

× × ×

मेरी ग्रामीण शाला की डायरी, जूलिया वेबर गॉर्डन, अनुवाद पूर्व याज्ञिक कुशवाहा, एकलव्य प्रकाशन ई-10 बीबीए कॉलोनी शंकरनगर, शिवाजीनगर, भोपाल-462010, पृ. 308, रु. 150.00 ।

अध्यापक और डायरी का सम्बन्ध पुराना है, खट्टा भी/मीठा भी, दोनों। कभी वह डायरी के नित्यकर्म से उकता जाता है तो कभी दुःखी हो जाता है। उसे यह सब व्यर्थ लगता है। कभी रस आने लगता है तो मन लगा कर भी उपयोग करता है।

एक क्रान्तिकारी पक्ष भी है इसका। अध्यापक निश्चय कर ले तो अपनी उकताहट भरी दैनिक खानापूर्ति के अलावा वह अपनी एक निजी डायरी भी लिख सकता है जो उसके विद्यालय कार्य में एक नया प्राण भर दे।

जूलिया वेबर गॉर्डन की डायरी एक ऐसी ही डायरी है। कोई शिक्षक अपनी निजी डायरी लिखता रहे तो उसका जो फल मिलता है वह गिजुभाई के 'दिवास्वप्न' में तथा जॉन होल्ट की 'बच्चे असफल क्यों होते हैं' में या सिल्विया एरटन वार्नर की 'अध्यापक' में आप देख चुके होंगे। ये पुस्तकें हर शिक्षक के निजी पुस्तकालय में जरूर होनी चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे इसी रंग की एक ग्रामीण स्कूल की अध्यापिका की डायरी की जो हाल ही में प्रकाशित हुई है।

चार वर्षों के दैनंदिन वास्तविक अनुभव इसमें लिखे हैं। जिस दिन की डायरी लिखी है उसका दिनांक दिया है, लेकिन चारों वर्षों के

प्रत्येक दिन को नहीं लिया है। मूल डायरी का करीब चौथाई हिस्सा ही इसमें लिया गया है। इस कारण अधिक आकर्षक और रोचक है। कसावट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 5 जून के बाद 6 जुलाई, उसके बाद 7 सितम्बर से 11 सितम्बर, फिर 14 से 17 सितम्बर हैं तो जनवरी में 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20 और उसके बाद फरवरी 17, 21, 23, 24 व 28 आ गए। यों क्रमिकता भी है और चयनात्मकता भी है। अनुभव इस तरह से लिखे हैं कि हमें ज्ञात हो जाता है कि लेखिका ने बच्चों को कैसे जानना सीखा, बच्चों ने कैसी प्रगति की, अध्यापिका ने क्या-क्या पीड़ाएँ झेलीं, कैसे उसने रचनात्मक शक्ति अनुभव की, कैसे उसने विद्यार्थियों का ही नहीं पूरे गाँव के समाज का भी अध्ययन किया, कैसे वह अपने विचारों को लागू करने की कोशिश करती रही, कैसे उसने नई तकनीकें सीखीं और कैसे, उसने व उसके विद्यार्थियों ने लोकतंत्र में जीना सीखा। शिक्षा की चरम परिणति लोकतंत्री जीवन ही है, सहयोग और समन्वय है।

ये सब बातें आप अपनी आँखों के सामने होती देखते हैं, क्योंकि यह सचमुच एक डायरी है। कहीं लम्बे भाषण हैं, कहीं संक्षिप्त विचार हैं, टिप्पणियाँ हैं, तो कहीं किसी किसी दिन कितने बजे क्या काम होगा विद्यालय में, इसका विवरण है मात्र दो शब्दों में या एक-दो पंक्ति में। कहीं-कहीं अगले सात दिनों की पूरी योजना है हर बार का नाम देकर कि किस बार को वह क्या काम कराएगी। कहीं पिछले काम का पुनरावलोकन है तो कहीं अगले काम की कल्पना है, भविष्य के सपने हैं। और कहीं विद्यालय के विद्यार्थी, गांव के व्यक्ति या ऊपर के अधिकारी भी दार्शनिक चिंतन के विषय बन गए हैं।

मार्च 10 की प्रविष्टि में एक जगह आप पाएँगे कि कल दूध उत्पादन के तरीकों पर चर्चा के दौरान जो सवाल कर्ता में उठे थे उनका प्रत्यक्ष उत्तर पाने को डेयरी फार्म पर कक्षा को ले जाकर किन-किन बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त की जाएगी इन बिन्दुओं की पूरी सूची ही लिख ली गई है। एक जगह प्रविष्टि है अमुक दो बड़े बच्चे किन छोटे बच्चों को डाकघर का क्या-क्या काम कैसे-कैसे समझाएँगे। सिलाई शिक्षण के वक्त बच्चे भूल जाते हैं कि अध्यापिका उनके बीच बैठी है। खुलकर बातें करते हैं घर-पर की। इस एकात्म को अध्यापिका ने सूझ-बूझ से पैदा किया है। फल होता है कि अध्यापिका जान पाती है कि किस लड़की की अपने परिवार के सदस्यों में से किन के प्रति क्या भावनाएँ हैं, उनकी अपनी क्या पसंद-नापसंद है, क्या सपने हैं, विवाह-तलाक-दोस्ती-प्रेम और बच्चों के लालन-पालन के विषय में क्या सोचती हैं, उन्हें कौन सी किताबें पढ़ना पसंद हैं, वे पैसों के बारे में क्या सोचती हैं, आदि कई अन्य बातें।

यों गुरु-शिष्य सम्बन्धों का गहरा ज्ञान कहाँ, कैसे विकसित हुआ यह सब व्यावहारिक स्तर पर ग्रामीण शाला की इस डायरी में हम देख सकते हैं, हो सकता है हमें भी सरकारी खानापूर्ति वाली अपनी डायरी का रंग बदलने तथा खुद की निजी डायरी जी भर कर ऐसे आत्मीय अनुभवों से खूब निस्तार में लिखने की प्रेरणा मिले इस डायरी को पढ़ने से। लेकिन पढ़ें तो !

– मोची स्ट्रीट, फलोदी-342301

भारत बना क्रिकेट का विश्व चैम्पियन

जीत में छिपे हैं महत्त्वपूर्ण संदेश

❑ आत्माराम भाटी

भारत की युवा शक्ति ने 28 साल बाद क्रिकेट का विश्वकप जीत भारत के लिए नया इतिहास लिख दिया। 1983 के बाद एक बार फिर से देश की 121 करोड़ आबादी, दिलों में उल्लास की तरंगें और आंखों में खुशी की अश्रुधारा लिए टीम इंडिया की युवा शक्ति को सलाम करने को घरों से सड़कों पर ढोल-नगाड़ों की थाप व थालियों की खनखनाहट के साथ जय हो के उद्घोष के साथ बाहर निकल आई। पटाखों की गूंज व चमक ने 2 अप्रैल की रात्रि को रोशन करते हुए दिवाली का अहसास करा दिया। मुम्बई के वानखेड़े स्टेडियम में 2 अप्रैल 2011 को फाइनल में भारत ने पूर्व चैम्पियन श्रीलंका को 6 विकिट से हराकर यह रिकार्ड बनाया।

इस जीत ने हमारे लिए कई महत्त्वपूर्ण संदेश पैदा किए हैं। यह जीत-सफल नेतृत्व व सही मार्गदर्शन। गजब के धैर्य और संयम। जीत के प्रति जुनून। लक्ष्य को फतह करने के प्रति दृढ़ इच्छाशक्ति। दिल में आत्मविश्वास। दिमाग में मजबूत मानसिकता। आपसी समन्वय व

एकजुटता का ही प्रतिफल है। भारतीय टीम के सेनानायक महेन्द्र सिंह धोनी के धुरंधर इन सभी गुणों में पूरी तरह से खरे उतरते हुए। भारत को दूसरी बार विश्व क्रिकेट का सरताज बना दिया।

सफल नेतृत्व व सही मार्गदर्शन– आपमें सफल नेतृत्व या कहें कि सही मार्गदर्शन देने की काबिलियत होनी आवश्यक है। आप यदि अपने विद्यार्थियों को उनकी मांग के अनुसार सही मार्गदर्शन या सही नेतृत्व नहीं दे सकते, उनमें आपसी समन्वय व एकजुटता का बीज नहीं बो सकते तो आप एक अच्छे गुरु या सही मार्गदर्शक नहीं माने जा सकते। आपके मार्गदर्शन व नेतृत्व पर ही आप से शिक्षा लेने वाले बच्चों का भविष्य टिका है उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सही मार्गदर्शन मिलेगा। तभी वे अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। एक अच्छा नायक ही जीत की अंतिम पायदान को फतह करवा सकता है। बच्चों की योग्यता के अनुसार ही उन्हें विषय चयन में आपका मार्गदर्शन उनके भविष्य को तय करता है। योग्यता के विपरीत यदि मार्गदर्शन मिलेगा तो उनके उन्नति के अवसर समाप्त हो जायेंगे। विद्यालय के नायक के रूप में संस्था प्रधान को इन बातों की तरफ ध्यान रखना

चाहिए।

भारतीय टीम दूसरी बार विश्व विजेता बनी। इसमें टीम इंडिया के कप्तान थे 'महेन्द्र सिंह धोनी'। टीम इंडिया के कोच थे गुरु गैरी कर्स्टन। दोनों के सफल नेतृत्व व आपसी समन्वय का बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस तरह से महेन्द्र सिंह धोनी ने गुरु गैरी के साथ मैच दर मैच खिलाड़ियों के चयन, मैच के दौरान मैदान में किस परिस्थिति में कौनसा खिलाड़ी टीम के लिए ज्यादा कारगर साबित हो सकता है, के सटीक निर्णय लेकर एक सफल नेतृत्वकर्ता की भूमिका में खरे उतरते हुए भारत को जीत दिलाई। इसके लिए वे आज हमारे लिए ही नहीं बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए आइकॉन बन गये हैं। इनके परिस्थिति अनुसार निर्णय लेने की योग्यता की सब तारीफ कर रहे हैं। यही नहीं इसके साथ उनके अंदर विपरीत परिस्थिति में भी विचलित न होने की काबिलियत है, उसके सभी दिवाने हैं। इसीलिए उन्हें मिस्टर कूल कहकर भी पुकारते हैं। जब से धोनी कप्तान बने हैं। एकबार भी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि टीम के खिलाड़ियों में किसी प्रकार का मनमुटाव हुआ है। सबको धोनी ने अपनी सूझबूझ से एकजुट बनाए रखा। धोनी के इन्हीं गुणों का कमाल था कि भारत दूसरी बार विश्व विजेता बनने में कामयाब रहा।

जीत के लिए जरूरी है साहस और जुनून– भारतीय टीम से हमें धैर्य एवं उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने का संदेश मिलता है। हमें भी अपने जीवन में चाहे शिक्षा में आगे बढ़ने का मामला हो, चाहे नौकरी के लिए कंपटीशन में सफलता का मामला हो। हमें कठिन से कठिन परीक्षा से गुजरना होता ही है। इसमें हमें कई बार असफलता भी मिलती है। यदि हम असफलता के चक्रव्यूह से अपने को बाहर लाने के लिए अपने अंदर साहस व जीत के प्रति जुनून को कम नहीं होने देते हैं तो सफलता प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। टीम इंडिया ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है।

इसी संदर्भ में बात करें भारत की जीत की। यह जीत कोई सामान्य जीत नहीं थी। जीत का सेहरा पहनने के सफर में इस टीम को कई बार कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। लीग मैचों में इंग्लैण्ड और द. अफ्रीका भारत के मुँह से जीत का निवाला ले गई। फिर भी भारतीय खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी। आगे के सफर में 4 बार के चैंपियन कंगारुओं के विजयी रथ को चकनाचूर कर दिया। वहीं अपने सबसे ज्यादा खतरनाक विरोधी पाकिस्तान को भी सेमीफाइनल में परास्त किया। खिताबी मुकाबला भी आसान नहीं था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सामने थे श्रीलंका के चीते। जिन्होंने भी अपने 8 दुश्मनों को धूल चटाकर भारतीय शेरों के सामने डटकर खड़े होने की कसम खाई हुई थी। दोनों ही टीमों में जीत के लिए गजब का जुनून एवं तैयारी थी। भारतीय खिलाड़ियों ने गजब के धैर्य, सतत उत्साह, गहरे आत्मविश्वास और कुशलता के साथ खेल प्रदर्शन करके विश्व चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया। इस रोमांचक उपलब्धि को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से फतह हुआ कठिन लक्ष्य– टीम इंडिया की युवा शक्ति ने हमारे लिए यह संदेश दिया है। यदि हमें किसी भी कारणवश अनुभव का साथ नहीं मिले, हमें स्वयं अपनी कठिन राह को अपने स्तर पर आसान बनाना है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्य और संयम के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति। यदि विपरीत परिस्थितियों में हम अपना संयम न खोते हुए धैर्य और संयम के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति का संगम करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। हमें कामयाबी जरूर मिलेगी।

जब खिताबी मुकाबले में श्रीलंका टीम ने पहले खेलते हुए 275 रनों की जीत का पहाड़ भारत के सामने रखा। धोनी के धुरंधरों के साथ देश के क्रिकेट प्रेमियों को यह लक्ष्य ज्यादा कठिन तो नहीं कुछ कठिन जरूर लगा। जब कठिन लक्ष्य को अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से आसान बनाने में काबिल भारत के दो महारथी सहवाग और सचिन को लंकाई गेंदबाजों ने शुरुआत में ही पवेलियन की राह दिखा दी। कम कठिन लगने वाला लक्ष्य अब एवरेस्ट फतह करने से कम नहीं रह गया था। बहुत से क्रिकेट प्रेमियों ने तो भारतीय टीम की हार की लकीरें दिलो-दिमाग में खींच ली थी, लेकिन भारत की युवाशक्ति गम्भीर व विराट कोहली ने धैर्य व संयम से खेलते हुए पहले तो श्रीलंकाई आक्रमण की पैनी धार को एक-एक, दो-दो रनों की जंग से कुंद किया। फिर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अवसर का लाभ उठाते हुए लंकाई गेंदों को बाउंड्री से बाहर भेजने में कमी नहीं रखी। जीत के लिए राह आसान कर दी। लक्ष्य फतह करने का बाकी काम धोनी व युवराज ने पूरा कर दिया।

अंत में यही कह सकते हैं कि यदि आपको अपने जीवन में अपने लक्ष्य को फतह करना है। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता ऐसे गुरु की है जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। आपमें विपरीत परिस्थितियों में सटीक निर्णय लेने की क्षमता पैदा कर सके। आपमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साहस और जुनून होना बहुत जरूरी है। कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों। उनका सामना करने के लिए आपमें धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। तभी लक्ष्य तक आप पहुँच पाएंगे। इसके लिए टीम इंडिया के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी से बड़ा प्रेरणास्रोत वर्तमान में हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट के इतिहास में विश्व चैम्पियन बनने का भारत का यह दूसरा अवसर है। इससे पहले 1983 में कपिलदेव की कप्तानी में लॉर्ड्स में वेस्टइंडीज को हराकर प्रथमबार भारत क्रिकेट का विश्व सिरमौर बना था।

– पंडित धर्म कांटे के सामने गली,
गजनेर रोड, बीकानेर

आदेश परिपत्रः मई-जून, 2011

□ 1. बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान एवं अभिलेख निस्तारण प्राप्त आय को जमा करवाने के लिए मद का निर्धारण □ 2. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II में संशोधन □ 3. मूक बधिर एवं दृष्टिहीन छात्रों हेतु संचालित निजी विद्यालयों के क्रमोन्नयन के लिए कोई शुल्क नहीं □ 4. शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र देने के सम्बन्ध में। □ 5. राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह, 2011 □ 6. पुरस्कृत शिक्षकों को निगम की साधारण/दुर्तगामी बसों में राजस्थान में यात्रा करने पर यात्री किराया राशि में 50 प्रतिशत छूट □ 7. स्काउट-गाइड गतिविधि के सुसंचालन हेतु दिशा-निर्देश □ 8. कोटामनी शुल्क का भुगतान छात्र निधि कोष मद से वहन किया जा सकता है □ 9. स्काउट-गाइड स्थानीय सचिव को चार पीरियड की छूट □ 10. स्काउट/गाइड की राशि के सम्बन्ध में □ 11. गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उ.प्रा. विद्यालयों में दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश देने के सम्बन्ध में □ 12. Weaker Sections सम्बद्ध बच्चों का निर्धारण □ 13. Disadvantaged Group सम्बद्ध बालकों का निर्धारण □ 14. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में। □ 15. ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल वितरण योजना, 2011

1. बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान एवं अभिलेख निस्तारण प्राप्त आय को जमा करवाने के लिए मद का निर्धारण

• कार्यालय आयुक्त माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/मा/लेखा/डी-2/28001/10/134 दिनांक 01.02.11 • विषय : **बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान एवं अभिलेख निस्तारण बाबत।** • प्रसंग : इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : समसंख्यक दि. 14.5.10, 26.5.10, 30.7.10, 8.11.10, 24.11.10 एवं 12.01.11 • वित्त विभाग के आदेश क्रमांक : प.8(12)वित्त-1(1) आ.व्य/2007 दिनांक : 27.1.11 की प्रति संलग्न कर लेख है कि बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान एवं अभिलेख निस्तारित कर निस्तारण से प्राप्त आय परिपत्र में उल्लेखित बजट राजस्व प्राप्ति के सम्बन्धित मद में जमा करायी जावे।

वर्ष 2010-11 में अन्य बजट शीर्ष में जमा कराई गई राशि भी स्थानान्तरण प्रविष्टि के माध्यम से विभाग के उपयुक्त शीर्ष में स्थानान्तरित करवाई जावे। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

वित्तीय वर्ष 10-11 में प्राप्त आय की संस्थावार सूचना चालान नम्बर सहित प्रत्येक माह के 5 तारीख तक भिजवाने की व्यवस्था करें। • ह. मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

• राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (आय-व्ययक अनुभाग) • क्रमांक : प.8(12)वित्त-1(1)आ.व्य./2007 जयपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2011 • परिपत्र • राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुपयोगी सामान का निस्तारण किया जाता रहा है एवं इससे प्राप्त राशि विभागीय राजस्व मद में जमा कराई जाती रही है।

संघ एवं राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची के पैरा 2.3 के क्रम में अनुपयोगी वाहनों/सामानों के निस्तारण से प्राप्त राशि को जमा कराने हेतु सभी राजस्व प्राप्ति मुख्य शीर्ष एवं उप मुख्य शीर्ष में निम्नलिखित बजट शीर्ष खोले जा रहे हैं। अनुपयोगी वाहनों/सामान के निस्तारण से प्राप्त राशि (पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त) राजस्व प्राप्ति के सम्बन्धित मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निम्नांकित शीर्ष में जमा कराई जायेगी–

..... विभागीय मुख्य शीर्ष
..... विभागीय उप मुख्य शीर्ष
800 - अन्य प्राप्तियाँ
(50) - अनुपयोगी सामान/वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियाँ
(01) - अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियाँ
(02) - अन्य अनुपयोगी सामान के निस्तारण से प्राप्तियाँ

उदाहरण– चिकित्सा विभाग द्वारा निम्नांकित बजट शीर्ष से व्यय किया गया था–

2210– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी
001– निदेशन और प्रशासन
(01)– प्रधान कार्यालय
05– कार्यालय व्यय
06– वाहनों का क्रय

उपरोक्त मद से खरीदे गए सामान को अनुपयोगी घोषित करने एवं तदनुसार निस्तारण से प्राप्त राशि को निम्नांकित शीर्ष में जमा कराया जायेगा–

0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ
800– अन्य प्राप्तियाँ
(50)– अनुपयोगी सामान/वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियाँ
(01)– अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियाँ
(02)– अन्य अनुपयोगी सामान के निस्तारण से प्राप्तियाँ

अतः सभी विभागों से अनुरोध है कि वे अनुपयोगी सामान/वाहनों के निस्तारण से प्राप्त राशि विभाग के राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा करावें। जिन विभागों के राजस्व प्राप्ति शीर्ष नहीं हैं वे अनुपयोगी वाहन/सामान के निस्तारण से प्राप्त राशि निम्नांकित बजट शीर्ष में जमा करावें–

0075– विविध सामान्य सेवाएँ
800– अन्य प्राप्तियाँ
(50)– अनुपयोगी सामान/वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियाँ
(01)– अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियाँ
(02)– अन्य अनुपयोगी सामान के निस्तारण से प्राप्तियाँ

जमा कराई गई राशि का अंकमिलान सम्बन्धित विभाग निर्धारित समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

वर्ष 2010-11 के दौरान अन्य बजट शीर्षों में जमा कराई गई राशि भी स्थानान्तरण प्रविष्टि के माध्यम से विभाग के उपयुक्त शीर्ष में स्थानान्तरित करवाई जावे। कृपया इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें। • ह. प्रमुख शासन सचिव वित्त (बजट)।

2. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II में संशोधन

• राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग) • क्रमांक : प.1(1)वित्त/साविलेनि/2007 जयपुर, दिनांक : 25.01.2011, परिपत्र संख्या : 1/2011 • आदेश • विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II में संशोधन बाबत। • राज्यपाल

महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II में निम्न प्रकार संशोधन करने के आदेश एतद्द्वारा प्रदान करते हैं–

The existing words "free of cost" appearing in clause (ii) of Rule 46 shall be substituted by the words "at 50% of the prescribed cost". • आज्ञा से, विशेषाधिकारी।

3. मूक बधिर एवं दृष्टिहीन छात्रों हेतु संचालित निजी विद्यालयों के क्रमोन्नयन के लिए कोई शुल्क नहीं

• राजस्थान सरकार, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग • क्रमांक : प.9(2)शिक्षा-5/2005 जयपुर, दिनांक 8.2.11 • आदेश • इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक-प.9(2) शिक्षा-5/05 दिनांक 3.5.2010 के अधिक्रमण में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजट भाषण के बिन्दु संख्या-142(6) के अनुसार **'मूक बधिर एवं दृष्टिहीन' छात्रों हेतु संचालित निजी विद्यालयों के क्रमोन्नयन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा। शेष शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी।**

यह स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त आईडीसंख्या-101100114 दिनांक 27.1.2011 के अनुसरण में जारी की जा रही है। • ह. शासन उप सचिव, कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। • क्रमांक– शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/3664/बजटघोषणा/10-11 दिनांक 17.2.11

4. शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र देने के सम्बन्ध में।

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा/स/22411/05 दिनांक : 25.1.11 • विषय : शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र देने के सम्बन्ध में। • विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 7.7.2008 का अवलोकन करें। विद्यालय में प्रवेश के समय छात्र/छात्रा से प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र एक ही बार लेकर विद्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखने के निर्देश दिये गये थे। इस क्रम में लेख है कि विद्यालयों में प्रवेश के समय प्रवेश फार्म के निर्धारित कॉलम में जाति/मूल निवास प्रमाण-पत्र की मांग की जाती रही है। जिसके कारण विद्यार्थियों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब एक बार उनके पास में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो प्रवेश फार्म के अन्दर दिये गये कॉलम में ही जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

राज्य सरकार के पत्रांक-प-17(2)शिक्षा-6/10 दिनांक 24.12.2010 के अनुसार माननीय मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार प्रवेश फार्म के अन्दर दिये गये प्रोफॉर्मा में जाति एवं मूल निवास प्रमाण की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है और फार्म में निम्न नोट लगाया जा सकता है–

''यदि सक्षम स्तर से जारी जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाती है तो उसे स्वीकार्य किया जायेगा।''

सभी अधीनस्थ संस्थाओं को निर्देश जारी कर इसकी पालना सुनिश्चित करें। • ह. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

5. राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह, 2011

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/साप्र/सी/भामा/2773/2011/25 दिनांक 11.04.11 • विषय : राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2011• शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए पाँच लाख रुपये अथवा इससे अधिक धनराशि का सहयोग देने वाले दानदाताओं को गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी भामाशाह दिवस (दिनांक 28.06.11) पर एक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाना है। इस सम्मान समारोह से सम्बन्धित समस्त कार्य निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा किया जाना है।

इस वर्ष आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में 01.04.10 से 31.03.11 तक की अवधि में विभाग द्वारा निर्धारित धनराशि का सहयोग करने वाले दानदाताओं एवं 01.01.09 से 31.03.10 तक की अवधि के लिए निर्धारित राशि का सहयोग करने वाले दानदाता जो गत वर्ष सम्मानित होने से वंचित रह गये थे, उन्हें भी शामिल कर सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे दानदाता जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भवन निर्माण/अतिरिक्त निर्माण शाला भवनों की मरम्मत अथवा स्थाई साज समान के रूप में पाँच लाख रुपये अथवा इससे अधिक धनराशि का सहयोग उक्त निर्धारित अवधि में किया है, सम्मान हेतु पात्र होंगे। प्रेरकों के लिये 01.01.09 से 31.03.10 अथवा 01.04.10 से 31.03.11 तक की अवधि में 15 लाख रुपये अथवा इससे अधिक धनराशि का एकमुश्त सहयोग करने वाले दानदाताओं को सहयोग हेतु प्रेरित किये जाने एवं उनके द्वारा प्रेरित दानदाता इस वर्ष 2011 में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में सम्मान हेतु चयनित होने पर ही चयन का मानदण्ड निर्धारित किया गया है। 15 लाख रुपये का सहयोग एक मुश्त होना एवं उक्त वर्णित अवधि का ही होना आवश्यक होगा। उक्त वर्णित अवधि से पहले का सहयोग मान्य नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित मानदण्डों की श्रेणी में आने वाले दानदाताओं एवं प्रेरकों के प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी की अभिशंषा सहित निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में प्राप्त होने की **अंतिम तिथि 28.05.11** निर्धारित की गई है। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा दि. 01.06.11 को प्रमाण पत्र फैक्स से प्रेषित करेंगे कि उनके अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों एवं उनके स्वयं के कार्यालय में भामाशाह सम्मान समारोह हेतु किसी भी दानदाता/प्रेरक का आवेदन पत्र पेंडिंग नहीं है।

अतः समस्त सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि अपने अधीनस्थ जिले में स्थित विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में सहयोग करने वाले दानदाताओं एवं दानदाताओं को प्रेरित करने वाले प्रेरकों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जाँच कर निदेशालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

भामाशाह सम्मान समारोह 2011 हेतु भामाशाहों एवं प्रेरकों के प्रस्ताव निदेशालय को चयन हेतु भिजवाने बाबत निम्न दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं– **1.** न्यूनतम पाँच लाख रुपये की धनराशि तक का निर्धारित अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने वाले दानदाताओं का ही प्रस्ताव

अभिशंषित कर भिजवावें। यदि दानदाता ने सम्पूर्ण भवन का निर्माण करवाया है तो उनके द्वारा निर्मित भवन का विधिवत दानपत्र विभाग के पक्ष में लिखा जाना आवश्यक है। **2.** यदि उनके द्वारा भूमि दान में दी गई है, तो भी प्रदत्त भूमि का दानपत्र विभाग के पक्ष में विधिवत लिखा जाना आवश्यक है। यदि विधिवत दानपत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित नहीं हुआ है तो ऐसे प्रस्ताव अभिशंषित कर नहीं भिजवाये जावें। **3.** यदि किसी दानदाता ने स्थाई साज सामान के रूप में पाँच लाख रुपये अथवा इससे अधिक का सहयोग दिया हो तो उसके द्वारा उपलब्ध करवाये गये साज सामान की संस्था के स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर यह प्रमाण पत्र देना होगा की सम्बन्धित दानदाता द्वारा इस योजना में दिये गये साज सामान का स्टॉक रजिस्टर में विधिवत् इन्द्राज कर लिया गया है। **4.** यदि किसी दानदाता ने भवन में अतिरिक्त निर्माण/चारदीवारी/मरम्मत/बच्चों की छात्रवृत्ति/पुस्तकालय हेतु सहयोग आदि के रूप में पाँच लाख रुपये अथवा इससे अधिक का सहयोग दिया है तो उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग राशि के पूर्ण विवरण लागत सहित संस्था प्रधान प्रमाणित कर जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर करवाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें। **5.** भामाशाह से तात्पर्य दानपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अथवा मूल सहयोग देने वाले दानदाता से ही है। यदि किसी दानदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसको यह सम्मान (मरणोपरान्त) उसी दानदाता के नाम से ही दिया जावेगा। ऐसे दानदाताओं के प्रस्ताव में संक्षिप्त जीवन परिचय भिजवाते समय ध्यान रखा जावे कि फोटोग्राफ एवं परिचय ऐसे मूल दानदाता के ही भेजे जावें। इनका सम्मान उनके उत्तराधिकारी प्राप्त करेंगे जिसके लिए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी उन्हें अधिकृत कर उनके नवीनतम फोटो सहित अधिकृत पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ लगावें एवं भेजे जाने वाले प्रस्ताव में भी इसका स्पष्ट उल्लेख करें। **6.** जन सहभागी विद्यालय मरम्मत योजना के अन्तर्गत पाँच लाख रुपये अथवा अधिक का विद्यालय मरम्मत कार्य/अतिरिक्त निर्माण कार्य आदि में योगदान देने वाले दानदाता इस सम्मान हेतु पात्र होंगे। **7.** भामाशाहों के प्रस्तावों के साथ सम्बन्धित दानदाताओं द्वारा आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि से सम्बन्धित दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करावें। यदि सहयोग राशि की पुष्टि से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं होगा तो ऐसे प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा सकते हैं। **8.** विभाग द्वारा निर्धारित अवधि, निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप प्रेरकों के प्रस्ताव होने पर ही प्रस्ताव भेजें। प्रेरकों के प्रस्ताव सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी अपनी अभिशंषा सहित सम्बन्धित उप निदेशक को प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित उप निदेशक प्रेरकों के प्रस्ताव अपनी अभिशंषा सहित इस निदेशालय को निर्धारित अवधि में भिजवायेंगे। उप निदेशक की अभिशंषा के अभाव में प्राप्त होने वाले प्रेरकों के प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। **9.** यदि एक से अधिक दानदाताओं ने सहयोग किया है तो ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित दानदाता से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें कि किसको सम्मानित किया जाना है। विभाग द्वारा केवल एक दानदाता को ही सम्मानित किया जायेगा यदि एक से अधिक दानदाताओं ने संयुक्त रूप से सहयोग किया है तो दानदाता की लिखित सहमति प्राप्त होने पर ही उनके द्वारा सहमत दानदाता को सम्मानित किया जावेगा। प्रशस्ति पुस्तिका में सम्मानित होने वाले ही दानदाता का फोटो एवं परिचय प्रकाशित किया जावेगा। **10.** जहाँ तक संभव हो सके भामाशाहों/प्रेरकों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में कम्प्यूटराईज्ड/टाईप कराकर ही भिजवावें। **11.** भामाशाह एवं प्रेरकों को सम्मान हेतु चयन बाबत निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी भामाशाह एवं प्रेरक का प्रस्ताव सम्मान हेतु चयनित नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और न ही चयन नहीं किये जाने के कारण से उन्हें सूचित किया जावेगा।

इस परिपत्र के साथ भामाशाहों एवं प्रेरकों के प्रस्तावों के आवेदन पत्रों का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। जिसे पूर्ण भरवाकर प्रेरकों के प्रस्ताव सम्बन्धित मंडल अधिकारी निर्धारित तिथि तक निदेशालय को भिजवायेंगे। भामाशाह एवं प्रेरकों के प्रस्ताव के साथ पूर्ण विवरण सहित वांछनीय दस्तावेज की प्रतियाँ संलग्न करें। सम्बन्धित भामाशाह/प्रेरक की एक फोटो फार्म पर निर्धारित स्थान पर चिपकाकर एवं एक फोटो ''यू'' पिन के साथ फार्म के साथ संलग्न कर भिजवानी है। ''यू'' पिन के साथ भेजी जाने वाली फोटो के पीछे सम्बन्धित दानदाता/प्रेरक का पूरा नाम पता अवश्य लिखा जावे।

निर्धारित तिथि के बाद प्रेषित किये जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। निर्धारित आवेदन पत्र के फार्म में सभी कॉलम पूरे भरे होने आवश्यक है। आधे अधूरे अपूर्ण प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा सकते हैं। यदि कोई भामाशाह या प्रेरक प्रस्ताव के अभाव में सम्मान से वंचित रहता है तो इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित मंडल अधिकारी का होगा। अतः हर संभव प्रयास कर निर्धारित तिथि तक प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाने हेतु पाबंद किया जाता है। • ह. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। (*नोट : स्थानाभाव के कारण प्रपत्र नहीं दिए जा रहे हैं*)

6. पुरस्कृत शिक्षकों को निगम की साधारण/दुर्तगामी बसों में राजस्थान में यात्रा करने पर यात्री किराया राशि में 50 प्रतिशत छूट

• प्रतिलिपि : आदेश क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा/2011/1029 दिनांक 10.2.2011 ओर से प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर, को आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। • आदेश • प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्रांक एफ-18(2)/शिक्षा-2/10/पी.टी.-1 दिनांक 4.2.2011 के क्रम में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, 2010 में की गई घोषणा की अनुपालना में राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को निगम की साधारण/दुर्तगामी बसों में राजस्थान प्रदेश के किसी भी स्थान पर यात्रा करने पर यात्री किराया राशि में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों की वर्षवार तथा जिलावार सूची आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर के द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को रियायती यात्रा के लिए परिचय पत्र सम्बन्धित आगार स्तर पर जारी किए जावेंगे।

पुरस्कृत शिक्षकों को यात्रा के समय परिचय पत्र के आधार पर परिचालन द्वारा निर्धारित रियायती यात्रा टिकट बुक से ''पुरस्कृत शिक्षक'' अंकित कर टिकट जारी किए जायेंगे।

यह आदेश निगम मण्डल से अनुमोदन की प्रत्याशा में वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जारी

किए जा रहे हैं। जो तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। • कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-ब/22804/2010-11/ I दिनांक : 03.03.2011 • ह. उप निदेशक (माध्यमिक), प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

7. स्काउट-गाइड गतिविधि के सुसंचालन हेतु दिशा-निर्देश

• कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • कार्यालय आदेश • स्काउट व गाइड राज्य सरकार द्वारा चयनित प्रमुख सहशैक्षिक गतिविधि है, जिसका उद्देश्य बालक-बालिकाओं को अनुशासन, स्वावलम्बन, निःस्वार्थ सेवाभाव एवं देश के प्रति निष्ठा की शिक्षा देकर उन्हें सुनागरिक बनाना है। प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में कब-बुलबुल, स्काउट-गाइड, रोवर-रेंजर ग्रुपों का सफलतापूर्वक संचालन किया जावे। यह संस्था प्रधान का उत्तरदायित्व है। विभाग द्वारा इस हेतु समय-समय पर अनेक आदेश प्रसारित किये गये हैं, किन्तु ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि इसकी समुचित पालना नहीं की जा रही है।

अतः संस्था प्रधानों को पुनः आदेशित किया जाता है कि वे विद्यालयों में स्काउट गाइड गतिविधि के समुचित संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें- **1.** राज्य के सभी राजकीय और निजी माध्यमिक विद्यालयों में स्काउट ट्रुप/गाइड कम्पनी तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्काउट ट्रुप/गाइड कम्पनी/रोवर क्रू/रेंजर टीम का आवश्यक रूप से गठन कर संचालित किया जावे। **2.** विद्यालयों में ग्रुप प्रारम्भ करने हेतु यदि प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका नहीं है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान को यह आदेशित किया जाता है कि किसी एक अध्यापक/अध्यापिका का चयन कर स्काउट-गाइड संगठन द्वारा आयोजित बेसिक कोर्स में भिजवाकर प्रशिक्षित करावें। **3.** प्रत्येक विद्यालय में मंगलवार व शुक्रवार को ग्रुप मीटिंग का विधिवत संचालन किया जावे। यह संस्था प्रधान का उत्तरदायित्व है। स्काउटरों/गाइडरों के लिए गतिविधि संचालन हेतु सप्ताह में 2 कालांश निर्धारित किये जावें। **4.** ग्रुपों के संचालन, शिविरों, गतिविधियों आदि में भाग लेने हेतु आवश्यकतानुसार राशि विद्यालय छात्र कोष से व्यय की जावे।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विद्यालयों का निरीक्षण करते समय यह आवश्यक रूप से देखें कि उपरोक्त निर्देशों की पालना हो रही है या नहीं। यदि नहीं हो तो इसके लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। • ह. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/माध्य/स्काउट-गाइड/2010-11/ 35105-04 दिनांक : 16.11.2010

8. कोटामनी शुल्क का भुगतान छात्र निधि कोष मद से वहन किया जा सकता है

• कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • कार्यालय आदेश • स्काउट व गाइड शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण सहशैक्षिक गतिविधि है। आदेशित किया जाता है कि स्काउट गाइड संगठन से पंजीकृत प्रत्येक विद्यालय को प्रतिवर्ष कोटामनी शुल्क (वार्षिक सदस्यता शुल्क) स्थानीय संघ को देय होती है। इस राशि का भुगतान/छात्र निधि कोष मद से वहन किया जा सकता है। • ह. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : /शिविरा/माध्य/खेलकूद-1/2010-11/ 35105-05 दिनांक 16.11.2010

9. स्काउट-गाइड स्थानीय सचिव को चार पीरियड की छूट

• कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए स्काउटिंग गाइडिंग गतिविधि महत्वपूर्ण है। विभाग की यह नीति भी रही है कि इस गतिविधि (कार्यक्रमों) को प्रोत्साहन भी दिया जाए।

स्थानीय संघ स्तर पर सचिव को विद्यालयों में अध्ययन कार्य के साथ स्काउट गतिविधि को भी संचालित कर रिकार्ड संधारित किया जाता है। कार्य की अधिकता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि स्थानीय संघ सचिव, शाला में 4 पीरियड पढ़ाने के पश्चात् शेष 4 पीरियड के समय स्थानीय संघ हैडक्वार्टर पर बैठकर स्काउटिंग का कार्य एवं गतिविधियाँ सम्पन्न करावें। • ह. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक-शिविरा/माध्य./खेलकूद/2010-11/35105-06 दिनांक 16.11.2010

10. स्काउट/गाइड की राशि के सम्बन्ध में

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा/स/22434/05-06 दिनांक 28.02.2011 • विषय : स्काउट/गाइड की राशि के सम्बन्ध में • राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों से सभी प्रकार के शुल्क लेना समाप्त कर दिया गया है। इन प्रावधानों को देखते हुए राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों से कोई शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा है। इस कारण स्काउट/गाइड की गतिविधियों के लिए विद्यालयों द्वारा कोटा राशि जमा नहीं करवाई जा रही है।

अतः समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को निर्देशित करें कि स्काउट/गाइड की गतिविधियों का नियमित संचालन करें तथा उपलब्धता के आधार पर स्काउट/गाइड की कोटा राशि छात्र कोष में जमा राशि से भुगतान की जाय।

इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। • ह., आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

11. गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उ.प्रा. विद्यालयों में दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश देने के सम्बन्ध में

• राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग • क्रमांक : प.21(19)शिक्षा-1/प्राशि./2009 जयपुर, दिनांक मार्च 29, 2011 • विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित सभी गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा ''दुर्बल वर्ग'' और ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालकों को प्रवेश देने के सम्बन्ध में। • निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) संपूर्ण देश में दिनांक 01 अप्रैल 2010 से प्रभावशील हो गया है। इस अधिनियम के प्रावधान राज्य में स्थित सभी गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर लागू होते हैं, चाहे वह अनुदानित हों अथवा गैर-अनुदानित, तथा चाहे वह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हों या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हों अथवा अन्य

किसी बोर्ड/संस्था से संबद्ध हों।

उक्त अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित सभी गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, चाहे वह अनुदानित हों या गैर-अनुदानित हों, के लिए यह बाध्यकारी है कि कक्षा 1 में अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा में, जैसी भी स्थिति हो, दाखिल किये जाने वाले बालकों की कुल संख्या की कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक ''दुर्बल वर्ग'' और ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालकों को प्रवेश देंगे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार ने दिनांक 29.03.2011 को दो अलग-अलग अधिसूचनायें जारी करके ''दुर्बल वर्ग'' और ''असुविधाग्रस्त समूह'' को परिभाषित कर दिया है। दोनों अधिसूचनाओं की प्रतिलिपियाँ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न हैं।

अब सभी गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये यह बाध्यकारी है कि वह कक्षा-1 में अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा में, जैसी भी स्थिति हो, दाखिल किये जाने वाले बालकों की कुल संख्या की कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक ''दुर्बल वर्ग'' और ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालकों को प्रवेश दें।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय उक्त प्रावधान के अनुसार ''दुर्बल वर्ग'' और ''असुविधाग्रस्त समूह'' के जिन बालकों को प्रवेश देंगे उनसे कोई भी शुल्क नहीं वसूलेंगे। गैर-अनुदानित विद्यालयों द्वारा इन वर्गों के जिन बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा उनके लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें राशि का पुनर्भरण किया जायेगा जो कि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा बालकों से प्रभारित वास्तविक रकम या राज्य सरकार द्वारा राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति बालक व्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक किया जायेगा।

आपके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्देशित करें कि उक्त प्रावधानों का अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें तथा उक्त प्रावधानों की अनुपालना कड़ाई से सुनिश्चित करायें। • ह., प्रमुख शासन सचिव • कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/निशुअशि/3515/वौ-3/11 दिनांक : 30.03.11

12. Weaker Sections सम्बद्ध बच्चों का निर्धारण

• GOVERNMENT OF RAJASTHAN, School Education Department • F.21(19)Edu.-1/E.E./2009 Jaipur, the 29th March, 2011• Notification • In pursuance of clause (e) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the State Government hereby specifies the child belonging to the following categories as "child belonging to weaker section", namely–

a) A child whose parents are included in the list of Below Poverty Line families (both Central and State lists) prepared by the Rural Development Department / Urban Development Department of the State Government, and
b) A child whose parents' annual income does not exceed Rs. 2.50 lacs. • By Order of the Governor, Sd./-, Principal Secretary to Govt.

13. Disadvantaged Group सम्बद्ध बालकों का निर्धारण

• GOVERNMENT OF RAJASTHAN, School Education Department • F.21(19)Edu.-1/E.E./2009 Jaipur, the 29th March, 2011• Notification • In pursuance of clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the State Government hereby specifies the child belonging to the following categories as "child belonging to disadvantaged group", namely– **a)** the Scheduled Castes, **b)** the Scheduled Tribes, **c)** Other Backward Classes and Special Backward Classes whose parents' annual income does not exceed Rs. 2.50 lacs, and **d)** a child covered under the definition of "person with disability" under clause (t) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995. • By Order of the Governor, Sd./-, Principal Secretary to Govt.

14. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।

• राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग • क्रमांक : प.21(19)शिक्षा-1/प्राशि./2009 जयपुर, दिनांक मार्च 31, 2011 • विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में। • निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सम्पूर्ण देश में दिनांक 01 अप्रैल 2010 से प्रभावशील हो गया है। इस अधिनियम के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य होता है पर लागू होते हैं, चाहे वह अनुदानित हों अथवा गैर-अनुदानित, तथा चाहे वह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हों या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हों अथवा अन्य किसी बोर्ड/संस्था से संबद्ध हों।

उक्त अधिनियम की धारा 38 में राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु ''राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011'' निर्मित कर मार्च 29, 2011 को अधिसूचित किए हैं। **राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियम राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की वैबसाइट (www.rajssa.nic.in) पर उपलब्ध हैं।**

इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है– **क)** उपरोक्त वर्णित अधिनियम की धारा 12 में यह प्रावधान है कि समस्त गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य होता है कक्षा 1 में अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा में, जैसी भी स्थिति हो, दाखिल किये जाने वाले बालकों की कुल संख्या की कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक ''दुर्बल वर्ग'' और ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालकों को प्रवेश देंगे। ''दुर्बल वर्ग'' और ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालकों को प्रवेश देने के सम्बन्ध में प्रावधान उपरोक्त वर्णित नियमों के नियम 10 में किये गये हैं तथा विद्यालयों को राशि के पुनर्भरण की प्रक्रिया नियम 11 में निर्धारित की गयी है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार ने दिनांक 29.03.2011 को दो अलग-अलग अधिसूचनायें जारी करके ''दुर्बल वर्ग'' और ''असुविधाग्रस्त समूह'' को

परिभाषित कर दिया है। इन प्रावधानों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने तथा उक्त प्रावधानों की अनुपालना कड़ाई से सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में निर्देश अलग से प्रसारित किये जा चुके हैं। **ख)** उक्त अधिनियम की धारा 13 में यह प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय या व्यक्ति किसी भी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस (capitation fees) संगृहीत नहीं करेगा। अतः यह सुनिश्चित किया जाना है कि किसी भी विद्यालय द्वारा किसी भी बालक से प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार का प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल नहीं किया जाए। **ग)** उपरोक्त वर्णित अधिनियम की धारा 13 में यह भी प्रावधान है कि प्रवेश प्रक्रिया में कोई भी विद्यालय किसी बालक या उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा। सभी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया आकस्मिक (random) आधार पर सम्पन्न की जानी है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना है कि सभी विद्यालयों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी रखी जाए तथा उनके द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया को आमजन के सूचनार्थ प्रसारित किया जाये। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 नवम्बर 2010 को इस सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशों की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है **(कृपया वेबसाईट पर अवलोकन करें–व.सं.)**। **घ)** उपरोक्त वर्णित अधिनियम की धारा 18 एवं धारा 19 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के लागू होने के उपरान्त बिना मान्यता प्राप्त किए राज्य में कोई भी गैर-सरकारी प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य होता है स्थापित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में संचालित समस्त गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य होता है के लिए तीन वर्ष के अन्दर मान्यता लेना अनिवार्य होगा। मान्यता लेने से पूर्व सभी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उक्त अधिनियम की अनुसूची में वर्णित सभी नॉर्मस (norms) की पूर्ति करते हैं। **ङ)** निःशुल्क और अनिवार्य बाल-शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 25 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम की अनुसूची में वर्णित छात्र शिक्षक अनुपात प्रत्येक विद्यालय के लिए सुनिश्चित किया जायेगा। यह प्रावधान राज्य में स्थित सभी गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य होता है पर भी लागू होते हैं। प्रत्येक राजकीय विद्यालय में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन नियम 21 में किया गया है। **च)** उक्त अधिनियम की अन्य मुख्य विशेषतायें निम्नानुसार हैं– • किसी भी बालक को न तो किसी कक्षा में रोका जायेगा और न ही प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा। (धारा 16) • किसी भी बालक को न तो शारीरिक दंड ही दिया जावेगा और न ही किसी प्रकार से उसका मानसिक उत्पीडन किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध सेवा नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। (धारा 17) • शिक्षकों के कर्तव्यों का वर्णन इस अधिनियम की धारा 21(1) में किया गया है। इन कर्तव्यों के पालन में व्यक्तिक्रम करने (committing default) वाले शिक्षकों के विरुद्ध सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी [धारा 17(2)] • कोई भी शिक्षक/शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा/लगाएगी। (धारा 28) • किसी भी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा, राहत कर्तव्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मंडलों या संसद के निर्वाचनों से सम्बन्धित कर्त्तव्यों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिनियोजित नहीं किया जायेगा। (धारा 27)

आपके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्देशित करें कि उक्त प्रावधानों का अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें तथा उक्त प्रावधानों की अनुपालना कड़ाई से सुनिश्चित करायें। • ह., प्रमुख शासन सचिव • कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/निशुअशि/3515/वौ-3/11 दिनांक : 01.04.2011

15. ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल वितरण योजना, 2011

माननीय मुख्यमंत्री महोदय (वित्त मंत्री) ने अपने वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में निम्नानुसार घोषणा की है–

"135. आगामी वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को अपने रहवास वाले गाँव के अतिरिक्त अन्य स्थान पर राजकीय विद्यालयों में, आठवीं कक्षा पास करके कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर, साईकिल योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जायेगा। पूर्व में इस योजना के अंतर्गत दसवीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को ही यह सुविधा उपलब्ध थी। साइकिलों हेतु, छात्राओं के अंशदान की राशि 300 रुपये से घटाकर 100 रुपये की जायेगी। छात्राओं को साइकिल योजना के स्थान पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने का भी विकल्प दिया जायेगा। साइकिल योजना में इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप, आगामी वर्ष, कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत लगभग 1 लाख 42 हजार छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा, जिस पर 28 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।"

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उक्त घोषणा के अनुसरण में वर्तमान में प्रभावशील साइकिल योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों को संशोधित करते शिक्षा सत्र 2011-12 से इस योजना के क्रियान्वयन हेतु संशोधित दिशा निर्देश निम्नानुसार प्रभावी होंगे– **1.** इस योजना के अंतर्गत केवल वह छात्राएं ही पात्र होंगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेंगी। यह योजना किसी भी शहरी क्षेत्र में लागू नहीं होगी। **2.** पूर्व में साइकिल योजना के अंतर्गत छात्राओं के आवास से विद्यालय की निर्धारित 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी का मापदण्ड एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है। अब इस योजना के अंतर्गत केवल वह छात्राएं पात्र नहीं होंगी जिनके रहवास के ग्राम में राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित है। अन्य सभी छात्राएं इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगी यदि वह इस योजना की अन्य सभी शर्तों की पूर्ति करती हों। **3.** इस योजना के अंतर्गत पूर्व में निर्धारित छात्रांश की राशि को एतद्द्वारा घटाकर 300/- रुपये से 100/- रुपये किया जाता है। अतः अब छात्रांश के रूप में केवल 100/- रुपये लिए जाएंगे। **4.** छात्राओं को साइकिल योजना के स्थान पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने का विकल्प दिया जाएगा। लेकिन इस योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं को साइकिल योजना या ट्रांसपोर्ट वाउचर में से किसी एक योजना का ही लाभ दिया जाएगा। **5.** कक्षा 9 में साइकिल योजना से लाभान्वित छात्राओं को आगामी कक्षाओं

में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा यदि वह उसी विद्यालय में अध्ययनरत रहती है। लेकिन यदि कोई छात्रा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अन्य किसी ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेती है जो उसके रहवास से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है स्थित है तो उस छात्र को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकता है। **6.** कक्षा 8 उत्तीर्ण कर शिक्षा सत्र 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के साथ-साथ शिक्षा सत्र 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 10 में अध्ययनरत ऐसी छात्राएं जिन्हें पूर्व में साइकिल योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं किया गया है इस योजना के लिए पात्र होंगी। ऐसी छात्राओं के लिए भी इस योजना के संशोधित प्रावधान लागू होंगे तथा संशोधित योजना के अंतर्गत पात्र होने पर ऐसी छात्राओं से 100/- रुपये छात्रांश की राशि प्राप्त कर उन्हें नवीन साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। **7.** शिक्षा सत्र 2012-13 से केवल उन्हीं छात्राओं को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा जो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 9वीं कक्षा में प्रवेश लेंगी।

साइकिल योजना हेतु छात्राओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने, साइकिलों के क्रय तथा छात्राओं को साइकिल वितरण हेतु पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया (procedure) पूर्ववत रहेगी।

आदेश परिपत्रों की अनुक्रमणिका

(शिविरा पत्रिका, जुलाई, 10 से मई-जून, 11 तक के अंकों में प्रकाशित आदेश-परिपत्र)

शिविरा पत्रिका में वर्ष भर में प्रकाशित आदेश-परिपत्रों की पूरी अनुक्रमणिका प्रति वर्ष मई-जून के अंक में दी जाती रही है उसी क्रम में पाठकों की सुविधा के लिए जुलाई, 10 से मई-जून, 11 तक के आदेश-परिपत्रों की अलग-अलग विषयवार अनुक्रमणिका प्रस्तुत है। कोष्ठक में अंक की पृ.सं. है।

प्रस्तोता- आसूराम तेजी, कार्यालय अधीक्षक

संस्थापन **नियुक्ति** : नयी भर्ती के लिए विज्ञापित पदों में आरक्षण के सम्बन्ध में, जुलाई, 10 (38) • नयी भर्ती के लिए विज्ञप्ति पदों में आरक्षण के सम्बन्ध में, अगस्त, 10(16) • अ.जा./ज.जा. के लिए आरक्षित बैक लॉग को भरने के सम्बन्ध में, अगस्त, 10(17) • विशेष पिछड़ा वर्ग को भर्तियों और दाखिलों में आरक्षण, अक्टू., 10 (23-26) • राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010-अधिसूचना-नियम एवं प्रक्रिया, जनवरी, 11 (23-30)

मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति : राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति नियम, 1996- निर्देश, नवम्बर, 10(24)

पदोन्नति, वरिष्ठता, पदों का समायोजन एवं पदस्थापन : वरिष्ठ अध्यापक (ग्रेड-2) पुरुष/महिला की वरिष्ठता सूचियों में आवश्यक संशोधन, अगस्त, 10(22)

अवकाश : प्रसूति अवकाश के क्रम में, अक्टूबर, 10 (28)

लेखा **वेतन, वेतन वृद्धि, ए.सी.पी. एवं उप वेतन; चयनित वेतनमान** : ग्रीष्मावकाश के वेतन का भुगतान-निर्देश, जुलाई, 10(34) • तृतीय श्रेणी अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतनमान, 2008 में ए.सी.पी. का परिलाभ, नवम्बर, 10 (25) • ए.सी.पी. स्वीकृति हेतु दिशा निर्देश, नवम्बर, 10(25-28) • 01.07.98 से पूर्व प्राप्त कर रहे अध्यापकों को चयनित वेतनमान, अक्टूबर, 10 (27)

पेंशन एवं ग्रेच्युटी : पेंशन प्रकरण पूर्ण कर समय पर भिजवाने बाबत, अगस्त, 10(20)

चिकित्सा पुनर्भरण : राज्य के निजी/अनुमोदित चिकित्सालयों में इलाज, जुलाई, 10(18) • राज्य कर्मचारी द्वारा उपचार हेतु व्यय की गयी राशि के पुनर्भरण के सम्बन्ध में, जुलाई, 10 (18) • चिकित्सा पुनर्भरण/चिकित्सा अग्रिम, अगस्त, 10 (22)

शिक्षण शुल्क एवं छात्रकोष : कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का शुल्क से मुक्ति, जुलाई, 10 (20) • कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को शुल्क से मुक्ति, जुलाई, 10(21)

छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन : कक्षा 10वीं की बोर्ड मैरिट लिस्ट की प्रथम तीन छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा, जुलाई, 10(19) • छात्रवृत्तियों के आवेदन एवं भुगतान के सम्बन्ध में निर्देश, जुलाई, 10(21-24) • अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, जुलाई, 10(35) • पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति 2010-11, जुलाई, 10(36-37) • इन्द्रा प्रियदर्शिनी पुरस्कार - योजना, नियम एवं क्रियान्वयन जुलाई, 10(37-38) • अल्प संख्यक समुदाय के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जुलाई, 10(40-42) • अल्प संख्यक छात्रवृत्ति-दिशा निर्देश 2010-11, अगस्त, 10(13-15) • अल्प संख्यक छात्रवृत्ति - आवेदन पत्रों का आमंत्रण, अगस्त, 10(15-16) • अल्प संख्यक समुदाय - पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, अगस्त, 10 (20) • ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का क्रियान्वयन, अगस्त, 10 (38) • छात्रवृत्तियों के आवेदन पत्र जमा/स्वीकार करने की अंतिम तिथि सितम्बर 10(26)

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण कोष एवं हितकारी निधि : शिक्षक दिवस, 2010 - झंडियों की बिक्री सितम्बर, 10 (17-20) • हितकारी निधि का वर्ष 2010-11 का वार्षिक अंशदान भिजवाने बाबत, जनवरी, 11 (23) • हितकारी निधि का वर्ष 2010-11 का वार्षिक अंशदान भिजवाने बाबत, फरवरी, 10 (23)

गबन : आहरण एवं वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष - सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का कठोरता से पालन करें, दिसम्बर 10 (29-30)

बजट-नियंत्रण तथा मितव्ययता : कार्यालयों/विद्यालयों को आवंटित बजट राशि से अधिक व्यय नहीं करें, सितम्बर, 10 (27) • वित्तीय वर्ष 2011-12 के आयोजना बिल मदों के आय व्ययक अनुमान 2010-11 के संशोधित अनुमान-निर्देश, सितम्बर 10 (27-32) • आहरित बिलों

का इन्द्राज बिल पंजिका एवं रोकड़ बही में होना आवश्यक, अक्टूबर, 10 (31)

लेखा सम्बन्धी अन्य नियम : बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान एवं अभिलेख का निस्तारण, जुलाई 10 (20)• नाकारा/अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण, अगस्त, 10 (39) • उचित मांग पत्र/रसीद पर ही भण्डार सामग्री जारी हो, सितम्बर, 10 (17) • बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामग्री एवं अभिलेख निस्तारण सितम्बर 10 (26) ☐ 1. बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान एवं अभिलेख निस्तारण प्राप्त आय को जमा करवाने के लिए मद का निर्धारण, मई-जून 11(23) ☐ 2. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II में संशोधन, मई-जून 11 (23-24)

शैक्षिक **प्रवेश :** एन.सी.टी.ई. द्वारा 'अध्यापक शिक्षा अधिनियम, 2009 में संशोधन अगस्त, 10 (16) ☐4. शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र देने के सम्बन्ध में। मई-जून 11 (24) ☐ 11. गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उ.प्रा. विद्यालयों में दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश देने के सम्बन्ध में। मई-जून 11 (26) ☐ 12. Weaker Sections सम्बद्ध बच्चों का निर्धारण ☐ 13. Disadvantaged Group सम्बद्ध बालकों का निर्धारण, मई-जून 11 (27) ☐ 14. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में। मई-जून 11 (27)

विद्यालय पंचांग : छात्रवृत्ति वितरण तिथियों में संशोधन, सितम्बर, 10 (39) • शिविरा पंचांग-2010-11 में आंशिक संशोधन नवम्बर, 10 (25) • शिविरा पंचांग 2010-11 में संशोधन फरवरी, 11 (27) • राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन-स्थगित फरवरी, 11 (30)

परीक्षा, स्वयंपाठी छात्र/छात्राओं की परीक्षा, कक्षोन्नति : लोक सेवकों/अध्यापकों को एम.फिल परीक्षा में बैठने की अनुमति, सितम्बर 10 (26) • माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की प्रायोगिक/सैद्धान्तिक परीक्षा आयोजन-दिशा निर्देश फरवरी, 11 (28) • सत्र 2010-11 में कक्षा 1 से 8 के अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के उपयोग के सम्बन्ध में फरवरी, 11 (30) • कक्षा 8 की बोर्ड पैटर्न परीक्षा समाप्त करने के सम्बन्ध में अक्टूबर, 10 (28) • कक्षा 9 व 11 में एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम - विद्यार्थियों को विषय चयन की छूट अक्टूबर 10 (28) • कक्षा 8 के कक्षोन्नति नियम एवं अंक विभाजन, दिसम्बर, 10 (21-29)

मान्यता : गैर सरकारी मान्यता/सहायता प्राप्त विद्यालयों के भवन/नाम/वर्ग परिवर्तन एवं अतिरिक्त माध्यम (हिन्दी-अंग्रेजी) के आवेदन के सम्बन्ध में फरवरी, 11(26) ☐ 3. मूक बधिर एवं दृष्टिहीन छात्रों हेतु संचालित निजी विद्यालयों के क्रमोन्नयन के लिए कोई शुल्क नहीं

एन.एस.एस./स्काउटिंग/एन.सी.सी./योग शिक्षा : विभागाध्यक्ष की पूर्वानुमति लेकर ही एन.सी.सी. यूनिट समाप्त करने/कैडेट्स कम करने के सम्बन्ध में नवम्बर, 10 (24) • राष्ट्रीय सेवा योजना प्लस दो स्तर सात दिवसीय विशेष शिविर दिसम्बर 10 (19) • राष्ट्रीय सेवा योजना प्लस दो स्तर पर चयनित सी.उ.मा.वि. के निरीक्षण के सम्बन्ध में दिसम्बर 10 (30-32) ☐ 7. स्काउट-गाइड गतिविधि के सुसंचालन हेतु दिशा-निर्देश, मई-जून 11 (26) ☐ 8. कोटामनी शुल्क का भुगतान छात्र निधि कोष मद से वहन किया जा सकता है, मई-जून 11 (26) ☐ 9. स्काउट-गाइड स्थानीय सचिव को चार पीरियड की छूट, मई-जून 11 (26) ☐ 10. स्काउट/गाइड की राशि के सम्बन्ध में, मई-जून 11 (26)

शारीरिक दण्ड पर रोक : शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबन्ध, अक्टूबर, 10 (27) • विशेष प्रशिक्षण में नामांकित बालक/बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्ष में प्रवेश अक्टूबर, 10 (28) • वर्ष 6-14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को नियमित छात्र/छात्राओं की श्रेणी में रखने के क्रम में नवम्बर, 10 (23-24) • शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबन्ध फरवरी, 11 (28-29)

शैक्षिक योजना एवं कार्य/शैक्षिक सह शैक्षिक कार्यक्रम : विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन के सम्बन्ध में निर्देश जुलाई, 10 (24-34)

खेलकूद प्रतियोगिताएँ : राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु चयन समिति एवं निर्णायक पैनल का संधारण जुलाई, 10 (39) • नेहरू हॉकी प्रतियोगिता पंचांग-निर्देश, अगस्त, 10 (23) • विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताएं - आवश्यक निर्देश अगस्त, 10 (24-37) • प्रा. शिक्षा - विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता - पंचांग/दिशा निर्देश सितम्बर, 10 (20-25)

सामान्य **जनगणना :** जनगणना 2011 कार्य हेतु क्षतिपूर्ति अवकाश सितम्बर, 10 (32)

पुरस्कार : राजकीय श्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार अगस्त, 10 (17) • राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी एवं च.श्रे.क. पुरस्कार सितम्बर, 10 (33-39) ☐ 5. राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह, 2011 ☐ 6. पुरस्कृत शिक्षकों को निगम की साधारण/दुर्तगामी बसों में राजस्थान में यात्रा करने पर यात्री किराया राशि में 50 प्रतिशत छूट, मई-जून 11 (25)

भवन/विद्यालय भवन : जनहित-याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में निर्देश जुलाई 10 (17) • राजकीय विद्यालयों में शहीदों की मूर्ति स्थापित करने के सम्बन्ध में दिसम्बर 10 (21)

न्यायालय : न्यायिक प्रकरणों का सुदृढ़ प्रतिरक्षण जुलाई, 10 (17)

अन्य राजकीय विभाग, समाचार पत्रों में विज्ञापन सूचना जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित करावें, जुलाई 10 (24) • राजस्थानी भाषा की 'माणक' पत्रिका के क्रय के सम्बन्ध में, जुलाई, 10 (40) • शिक्षण संस्थाओं के आसपास सिगरेट एवं तम्बाकू विक्रय निषेध, अगस्त, 10 (19) • राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों की 100 गज की परिधि में तम्बाकू एवं सिगरेट विक्रय पर प्रतिबन्ध सितम्बर, 10 (32-33) • मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित - जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य जीवन बीमा अक्टूबर 10 (29) • शपथ पत्रों को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त अक्टूबर, 10 (23) • केरियर डे का आयोजन 10 दिसम्बर, 10 को दिसम्बर 10 (47) • राज्य सेवकों के वा.का.मू. प्रतिवेदन भरे जाने के सम्बन्ध में फरवरी, 11 (23-25) • शिक्षक दिवस प्रकाशन, 2011 रचनाओं का आमंत्रण फरवरी, 11 (27) • समेकित बाल संरक्षण योजना-दिशा निर्देश फरवरी, 11 (29) । ☐ 15. ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल वितरण योजना, 2011, मई-जून 11 (28-29)

भारतीय चिन्तन व सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम : सार्थक दिशा की तलाश

❑ चतर सिंह मेहता

जीवन का सत्य कर्म से उपलब्ध होता है या ज्ञान से? गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसन्देह कुछ भी नहीं है। ज्ञान को उपलब्ध हुआ आत्मा में प्रवेश कर जाता है। अर्जुन प्रश्न करता है, 'हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं?' कृष्ण कहते हैं, ज्ञान ही काफी है, क्योंकि यदि ज्ञान घटित हो जाए तो फिर कुछ भी ज्ञान के विपरीत करना असंभव है। यदि ज्ञान ही हो जाए तो अर्जुन के लिए युद्ध झंझट ही नहीं रहे।

महावीर भी यही कहते हैं– 'हूया अण्णावओं किया' - अज्ञानियों की क्रिया व्यर्थ है। जो ज्ञान में नहीं उतरा और जबरदस्ती आचरण में आ गया तो वह पाखंडी बनाएगा। यदि ज्ञान में आ गया तो आचरण में उतारने के लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। यदि ज्ञान में आ गया तो आचरण में आने से बच नहीं सकता। महावीर के शब्दों में क्रिया या आचरण पहले नहीं आना चाहिए, पहले मूर्च्छा जानी चाहिए। उन्होंने क्रम बताया - दर्शन, ज्ञान व फिर क्रिया। इसीलिये तो कहते हैं कि बच्चों पर अनुशासन थोपने के बजाय उन्हें विवेक सिखाना श्रेयस्कर है। आचरण या क्रिया में बदलाव के लिये अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण निरन्तर आयोजित किये जा रहे हैं। अब जरूरी है कि इन सेवारत प्रशिक्षणों की दशा व दिशा पर कृष्ण, महावीर व पूरे भारतीय चिन्तन की दृष्टि से गहराई से विचार किया जाये।

क्रियाओं पर ही जोर : शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक एक-दो वर्ष के सेवा पूर्व (Pre-service) प्रशिक्षण के बाद ही प्रवेश करता है। वह उस प्रशिक्षण में शिक्षा के सिद्धांतों, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, शिक्षण विधियाँ व शिक्षा प्रशासन, समस्याओं आदि की प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त कर लेता है। अध्यापक बनने के बाद जब भी सुधार की बात सोची जाती है तो सेवारत (In service) प्रशिक्षण के रूप में सूचनाएं देने की विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता रहता है - भाषा कैसे पढ़ायें, विज्ञान के प्रयोग कैसे करें, गणित में खेल कैसे डालें, न्यूनतम शिक्षण अधिगम कैसे लागू करें, शिक्षण सामग्री का उपयोग कैसे करें आदि। सारा जोर क्रियाओं के प्रशिक्षण पर रहता है। अध्यापक को ऐसे प्रशिक्षण देना जैसे कोई परम्परा बन गई है। ऐसे प्रशिक्षणों से यदि सुधार हो जाता तो शिक्षा जगत में अब तक क्रांति हो गई होती।

कारण स्पष्ट है। जोर क्रियाओं पर है, बाहर पर है, भीतर अंतस पर नहीं। यह मान लिया गया है कि (i) अध्यापक क्रियाएं नहीं जानते और (ii) क्रियाएं ही अंतस को बदल देती है। सोच यह बन गया है कि ज्ञान पवित्र नहीं करता, क्रियाएं पवित्र करती है और दर्शन, ज्ञान व चारित्र्य का क्रम सही नहीं है। उसका विपरीत सही है– क्रिया, ज्ञान और दर्शन। परिणाम सामने है। स्थिति में सुधार के स्थान पर गिरावट ही आ रही है, श्रम, समय व अर्थ व्यर्थ जा रहा है, वह अलग। वास्तव में बाह्य अंतस को नहीं बदल सकता। हाँ, अंतस बदल जाये तो बाह्य अवश्य बदल जाता है। सेवारत प्रशिक्षणों के द्वारा अंतस को बदलने का काम किया जाना चाहिए।

अंतस का बदलाव : पंचतंत्र में एक कथा है कि एक चूहा बिल्ली से बहुत डरता था, वह सदा भय और चिन्ता में डूबा रहता था। उसे नींद नहीं आती थी, नींद में भी वह बिल्ली का ही सपना देखता था और काँपने लगता था। एक जादूगर ने उस पर तरस खाकर उसे बिल्ली बना दिया। बाह्य बदल गया। लेकिन तुरन्त बिल्ली के भीतर का चूहा कुत्ते से डरने लगा। चिन्ता वही रही, केवल विषय बदल गया। तो जादूगर ने उसे बिल्ली से कुत्ता बना दिया। परन्तु कुत्ते को तुरन्त बाघ के भय ने पकड़ लिया। जादूगर ने कुत्ते को बाघ बना दिया लेकिन उसके भीतर का चूहा शिकारी से डरने लगा। उसका शरीर बदला था, बाह्य भर बदला था। तो जादूगर ने चूहे से कहा 'पुनः मूषको भव' फिर चूहा ही हो जा, क्योंकि मैं तुम्हारा शरीर ही बदल सकता हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं बदल सकता।' स्मरण रखने की बात है कि बाहरी बदलावट आन्तरिक रूपान्तरण नहीं है। जो लोग बाह्य में फँस जाते हैं, वे व्यर्थ बहुत समय गँवाते हैं। बाह्य बहुत बड़ा है, सदा कुछ न कुछ बदलने को बाकी रहेगा। जब तक अंतस नहीं बदलता, बाह्य कभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता।

श्री चतर सिंह मेहता शिक्षा विभाग के मूर्धन्य विद्वान हैं। आप निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा) के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं; दर्जनों पुस्तकों के लेखक, कमेटियों के चेयर पर्सन/सदस्य, समीक्षक, प्रशिक्षक हैं। बावजूद इन सबके, आप स्वयं को विनम्र विद्यार्थी मानकर सतत अध्ययन-अधिगम में संलग्न हैं। आप शिविरा पत्रिका के सम्पादक रहे हैं।

एक साधु हुआ। उससे किसी व्यक्ति ने आकर पूछा। कोई उसकी उलझन थी। उसने कहा, 'यह उलझन मेरी हल कर दें'। साधु ने कहा, यह मैं तुम्हारी उलझन समाप्त कर दूँगा, तो क्या तुम सोचते हो कि कल तुम्हारी दूसरी उलझन खड़ी नहीं हो जाएगी। कल तुम फिर आओगे, फिर मैंने तुम्हारी उलझन ठीक कर दी। फिर तीसरे दिन क्या हो? तो उस साधु ने कहा कि अच्छा हो, उलझन का समाधान तुम मुझसे मत माँगो। तुम मुझसे वह अन्तर्दृष्टि माँगो जिससे सारी उलझनें सुलझाने की क्षमता मिल जाती है।' वह अन्तर्दृष्टि है स्वयं को जानना। हम अपने शरीर को जानते हैं, अपने मन को जानते हैं पर अपने मकान का तीसरा खंड है, आत्मा, उससे अपरिचित रह जाते हैं। अपने को नहीं जानते। महावीर की, बुद्ध की मूल शिक्षा स्वयं में प्रवेश की है– आत्मबोध व आत्मज्ञान की है। स्वयं को जानना ही आचरण की क्रांति का मूल आधार है और यही शिक्षा में परिवर्तन लाने का एक मात्र तात्विक साधन है।

असली रोग मूर्च्छा : पश्चिम के आचरणवादी मनस्विद् मनुष्य को एक यंत्र से

ज्यादा नहीं समझते। मनुष्य में कोई आत्मा नहीं है इसलिए मनुष्य का आचरण संस्कार मात्र है। उनके अनुसार यदि आचरण तय कर सूचना के बाद उसे पुरस्कृत किया जाये तो वह बढ़ेगा। इसी प्रकार गलत आचरण को दंडित किया जाये तो वह घटेगा। आज यही हो रहा है।

पर भारतीय चिन्तन मनुष्य को मशीन नहीं मानता। उसकी श्रेष्ठता में विश्वास करता है। वह सच्ची नैतिकता में विश्वास करता है। सच्ची नैतिकता ऊपर से लादी या ओढ़ी नहीं जाती है, वह प्राणों की सहज और स्वाभाविक खिलावट होती है। यदि कोई व्यक्ति भय या लोभ के कारण नैतिक बनेगा तो यह बुनियादी बदलावट नहीं है। लोभ व भय नींद के ही हिस्से हैं। जागृत व्यक्ति को न भयभीत किया जा सकता है और न प्रलोभित किया जा सकता है। ये दोनों चीजें मूर्च्छित चित्त के लिए ही अर्थ रखती है। असली बीमारी नींद या मूर्च्छा ही है। अन्य उपायों के बनिस्पत इसके हल से ही परिवर्तन लाया जा सकता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य कोई।

कृत्य बदले जा सकते हैं, सुधारे जा सकते हैं, उनके स्थान पर ठीक विपरीत कृत्य लाये जा सकते हैं पर व्यक्ति का रूपान्तरण नहीं होगा। उसकी नींद जारी रहेगी। सदियों से सारे संसार में - अध्यात्म ने, पूर्व एवं पश्चिम दोनों ने ही घोषणा की है कि मनुष्य सोया हुआ है। बुद्ध यही कहते हैं, उपनिषद के ऋषि इसी की उद्घोषणा करते हैं, जीसस भी यही कहते हैं कि मनुष्य सुषुप्तावस्था में है। रात्रि में अपेक्षाकृत ज्यादा सोये रहते हैं, दिन में अपेक्षाकृत कम सोये हुए। एक ही चीज रूपान्तरण ला सकती है और वह है जागरण, वह है बोध। एक ही प्रश्न है कि कैसे अधिक से अधिक सजग हुआ जाये, सावचेत हुआ जाये। यदि कोई व्यक्ति ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो इतना ही प्रकट होता है कि वह सावचेत नहीं है।

बुद्ध ने धम्मपद में कहा है– 'नत्थि जागरतो भयम' जागे हुए को भय नहीं, सब भय सोये हुए को है। ऋग्वेद में एक बहुमूल्य सूत्र है– 'भूत्थे जागरणम्, अभूत्ये स्वप्नम्' - जागने से उन्नति, सोने से स्वप्न में अवनति। जिसको महावीर सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसका अर्थ है– जागा हुआ, देखता हुआ, आंख वाला।

प्रामाणिक विधियाँ : मात्र उपदेश से कुछ नहीं बदलता और पूरी पृथ्वी पर उपदेश ही हो रहा है। इतने उपदेशक, इतने प्रचारक, इतने प्रशिक्षक और फिर भी सब कुछ इतना अनैतिक, इतना कुरूप। बदलावट की प्रामाणिक विधियाँ व उपाय शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र और पतंजलि ने योग सूत्र में स्पष्ट किये हैं। भीतर को बदलो और सब बदल जाएगा। मन को बदलो और लक्षण बदल जाएगा। एक बार चित्त दूसरा हुआ कि चारित्र्य दूसरा हो जाएगा। मन सूक्ष्म पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और यह बदला जा सकता है। मन बदला कि संसार बदल गया।

अप्प दीपो भव - भिन्न प्रक्रियाएं : जब भी परिवर्तन की बात आती है, इसके अभिवर्तक यह मानते हैं कि व्यक्ति बुरा है, जब तक उसे अच्छा होना सिखाया नहीं जाए तब तक वे अच्छे नहीं हो सकेंगे। वे समझते हैं कि जब तक अच्छाई बाहर से नहीं थोपी जाएगी, तब तक उसकी आने की संभावना नहीं रहेगी। वास्तव में जीवन में वे ही परिवर्तन स्वागत योग्य है जो स्वेच्छा से आते हैं, जो व्यक्ति के बोध या समझ के परिणाम होते हैं। बुद्ध का आखिरी वचन इस पृथ्वी से विदा होते हुए स्मरण योग्य है। वह वचन है - 'अप्प दीपो भव' अपने दीये खुद बनो। अपने दीये खुद बनने के लिए बाहरी प्रयत्न नहीं, भीतरी प्रयत्न ही काम के हैं– स्वचिन्तन, स्वविश्लेषण व स्वनिर्णय। निश्चय ही इसके लिए आवश्यक होगी सेवारत प्रशिक्षण के लिए भिन्न पाठ्यचर्या, भिन्न प्रक्रियाएं और आयोजकों का भिन्न सोच।

उत्प्रेरक की गहराई : गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है– यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ततदेवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार वर्तते हैं। अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्जुन को कितने ही लोग देखकर स्वयं चलते हैं, उठते हैं और बैठते हैं। कृष्ण कहते हैं कि यदि तू अनासक्त हो सके तो तेरी अनासक्ति की सुगन्ध लोगों के नासापुटों को पकड़ लेगी। वैसे ही छात्रों के लिए अध्यापक व अध्यापकों के लिये सेवारत प्रशिक्षण के प्रशिक्षक साधारण व्यक्ति नहीं माने जाते। साधारण से भिन्न माने जाने वाले लोगों की बात दूसरों को बल दे जाती है, शक्ति दे जाती है, साहस दे जाती है, भरोसा दे जाती है।

शब्द व्यक्ति के भीतर बैठते हैं पर कब व कितने ? जबकि बोलने वाला वाकई साधारण न हो। शब्दों की अपनी गहराइयाँ हैं। व्यक्ति की गहराई के साथ शब्दों की गहराई बढ़ती है। **जब कोई व्यक्ति कण्ठ से बोलता है तो सुनने वाले के कान से गहरा कभी नहीं जाता है। जब कोई व्यक्ति हृदय से बोलता है तो सुनने वाले के हृदय तक जाता है। जब कोई व्यक्ति प्राण से बोलता है तो प्राण तक और आत्मा से बोलता है तो ही सुनने वाले की आत्मा तक जाता है।** गहराई उतनी ही होती है जितनी कि बोलने वाले की गहराई होती है। बोलने वाले की गहराई से ज्यादा सुनने वाले के भीतर नहीं जा सकता। यह तो हो सकता है कि बोलने वाले की गहराई तक भी न जाये जबकि सुनने वाले का आगे का मार्ग ही बन्द हो। प्रशिक्षण शिविरों में उत्प्रेरक (केटेलिटिक एजेन्ट) ऐसी ही मनोदशा के हों तभी कोई प्रभाव की बात सोची जा सकती है। आज के अधिकतर प्रशिक्षक जो क्रियाएं दूसरों को बताते हैं, वे स्वयं अपने दैनन्दिन कार्य में भी उन्हें उपयोग में नहीं लाते। दूसरों पर प्रभाव की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। अतः सेवारत प्रशिक्षणों में प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य करने वाले समर्पित व योग्य दक्ष प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जानी चाहिए।

भीतर प्रवेश की स्थितियाँ : हम अपनी सतह पर जीते हैं। इन्द्रियाँ सीमा पर है और चेतना गहरे केन्द्र पर। इन्द्रियों के एक ओर संसार है। इन्द्रियाँ मध्य में हैं। वे संसार और चेतना दोनों ओर की यात्रा कर सकती है। निर्वाण के लिए, पवित्र जीवन के लिए भीतर जाना होगा और विषयों के लिये बाहर। शारीरिक जरूरतें सभी बाहर से पूरी होती है अतः चेतना सहजता से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। जब तक ऐसी जरूरत पैदा नहीं करते जो भीतर जाने से ही तृप्त होती हो, जब तक कोई भीतर नहीं जाएगा। एक बार जरूरत पैदा की जाये, प्यास पैदा की जाये तो भीतर जाना भी उतना ही आसान है, जितना बाहर जाना। वह जरूरत धर्म से सम्बन्धित है, वास्तविक नैतिकता से सम्बन्धित है। यहाँ धर्म का अर्थ सम्प्रदाय से नहीं मानव धर्म से है।

मगर वह प्यास पैदा कैसे की जाये? प्रक्रिया क्या हो जो अन्तर्यात्रा में सहायक हो?

स्वयं के जानने में मदद करे। महावीर ने कहा कि **सब कुछ जान लो लेकिन जो स्वयं को न जान ले तो वह जानना, जानना नहीं है। सब कुछ जीत लो और यदि स्वयं को न जीता तो वह जीत विजय नहीं है।**

इस प्रसंग में तीन बातें याद रखने की है। पहला है, मृत्यु का बोध। बुद्ध जैसे लोग मृत्यु के प्रति गहरे बोध से भरकर ही अन्तर्यात्रा पर निकले थे। मृत्यु से डर मृत्यु का बोध नहीं है। **मृत्यु के प्रति सजग होना, उस पर विचार, मनन करना व्यक्ति को अपने भीतर प्रवेश दिला देगा। यह ध्यान अन्तर्यात्रा की नई जरूरत उत्पन्न कर देगा।** महाराष्ट्र में एक साधु थे एकनाथ। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप बाहर से तो एकदम पवित्र दिखते हैं पर भीतर आपके पाप उठते हैं या नहीं। एकनाथ ने कहा कि मैं अभी बताता हूँ पर भूल न जाऊँ इसलिए कहता हूँ कि अचानक कल मैंने तुम्हारा हाथ देखा था तो मुझे दिखाई पड़ा की तुम्हारी मौत नजदीक है और तुम सात दिन बाद मर जाओगे। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूँ। वह युवक खड़ा हो गया और उसने कहा कि मौका मिला तो कल आऊँगा। वह पसीना-पसीना हो गया। बड़ी मुश्किल से घर पहुँचा। घर पर बात बताई। मित्र व प्रियजन आने लगे, वह बिस्तर पर लेट गया। सातवें दिन संध्या को सूरज डूबने को था, सारे घर के लोग रो रहे थे। एकनाथ उसके घर गये। भीतर गये और उस व्यक्ति को हिलाकर पूछा, सात दिन में कोई पाप तुम्हारे भीतर उठा? कोई बुराई, कोई विकार? उस आदमी ने मुश्किल से आंखें खोली और उसने कहा कि आप भी मरते हुए आदमी से मजाक करते हैं। एकनाथ ने कहा कि तुमने भी एक मरते हुए आदमी से मजाक किया था। एकनाथ ने कहा– तुम्हारी मौत अभी नहीं आई है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसे भीतर पाप उठने अपने आप विलीन हो जाते हैं। विकार शून्य हो जाते हैं, भीतर एक क्रांति हो जाती है। और एकनाथ ने कहा- सात दिन बात मौत हो, या सात वर्ष बाद या सत्तर वर्ष बाद, क्या फर्क पड़ता है। मौत का होना ही अर्थपूर्ण है, दिनों की गिनती काई अर्थ नहीं रखती। **एकनाथ ने कहा– मृत्यु है। जिस दिन मुझे यह पता चला उसी दिन जीवन में क्रांति हो गई है।**

दूसरी बात यह है कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं क्या चाहता हूँ? हम कभी अपने पूरे जीवन पर विचार नहीं करते कि उसमें कोई अर्थ भी है या नहीं। नित नये अर्थ पैदा करते हैं और चलते रहते हैं। इस पर विचार के मेरे जीवन की प्रामाणिक अर्थवता क्या है जो जीवन में सुख और आनन्द भरता हो, निश्चय ही हमें अन्तर्मुखी बना सकता है और तीसरी बात कि भीतर की यात्रा के लिए जो भी अब तक किया है, कर रहे हैं, उसका सार– निचोड़ निकाल कर उससे सीखना होगा। क्या वही भूलें, वही मूढ़ताएँ, वही पागलपन फिर-फिर तो नहीं दोहरा रहे हैं। प्रमाणिक बनने के लिए मन की यथार्थ स्थिति समझनी पड़ेगी। विचार और सिद्धांत को नहीं, मन की सही स्थिति को जानना है। रूपान्तरित करने के लिए असलियत को समझना जरूरी है क्योंकि झूठ को नहीं बदला जा सकता।

अब पश्चिम अन्तर्यात्रा की ओर : बाहरी यात्रा में भरपूर सफलता मिलने बाद पश्चिम अब समझने लगा है कि अन्तर्यात्रा के बिना वास्तविक सुख व आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। बाहरी सफलता के लिए भी अन्तर्यात्रा जरूरी है। प्रबन्ध विज्ञान के पश्चिम के विशेषज्ञ प्रो. स्टीफेन आर.कोवी की एक पुस्तक 'द सेवन हेबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल' प्रकाशित हुई है जिसकी लाखों प्रतियाँ विश्व भर में बिकी हैं। उन्होंने माना है कि व्यक्तिगत गुणों के विकास के बिना कोइ भी प्रबन्धक अपने व्यवसाय में प्रभावी नहीं हो सकता है। वे कहते हैं कि जीवन में वे व्यक्ति सफल होते हैं जो जीवन के अन्त को दृष्टि में रखते हैं, जीवन के हर कार्य के लिए अपने को ही उत्तरदायी मानते हैं, अपने को समझने का प्रयत्न करते हैं, आदि। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में बसे भारतीय मूल के दीपक चोपड़ा द्वारा लिखित पुस्तक है– 'सेवन स्प्रिचियूअल लॉज ऑफ सक्सेस' जिसमें भारतीय चिन्तन के अनुसार व्यक्ति की अन्तर्निहित सत्ता, साक्षी भाव, जीवन के उद्देश्य, कर्म का नियम आदि की चर्चा कर उन सरल पदों का भी उल्लेख किया है जिसके अनुसार उन नियमों की पालना कर जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

यूनेस्को द्वारा एडगर फोरे की अध्यक्षता वाली समिति की विश्व शिक्षा पर रिपोर्ट 'लर्निंग टू बी' प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में यह अनुशंसा थी कि अब शिक्षकों के लिए इस बात का ही प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं होगा कि वे छात्रों को सूचनाएं ही अच्छी तरह संप्रेषित कर सकें, वरन् उनको शिक्षा के परम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रेरित करने में सहायक हो सके, इसके लिए सेवारत प्रशिक्षण जरूरी होंगे। यूनेस्को ने कुछ समय पूर्व इक्कीसवीं सदी में शिक्षा विषय पर जेक्वस डेलर्स की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति की रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा - 'लर्निंग-द ट्रेजर फ्रॉम विदिन' प्रकाशित हुई है। इसमें लिखा है कि अध्यात्म और भौतिक के बीच के तनाव का सामना करने के लिए अन्तर्ज्ञान को प्रोत्साहित करना होगा। नैतिक एवं सांस्कृतिक पक्षों पर बल देने के लिए भीतरी यात्रा व आत्मानुभूति करना होगा। नैतिक एवं सांस्कृतिक पक्षों पर बल देने के लिए भीतरी यात्रा व आत्मानुभूति का प्रक्रम अपनाना होगा जिसमें ज्ञान, चिन्तन तथा आत्म समालोचना का अभ्यास सम्मिलित हो। अब पश्चिमी सोच में भी उन्हीं बातों पर बल दिया जा रहा है जो भारतीय चिन्तन के अनुसार व्यक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं।

मार्ग की कठिनाई : जब अन्तर्यात्रा के सेवारत प्रशिक्षण की बात की जाती है तो कई शंकाएं प्रकट की जाती है। ऐसे प्रशिक्षण बहुत कठिन है, व्यक्ति के स्वभाव को बदलना असम्भव कार्य है, समय कहाँ है, पहले जल्दी होने वाला क्रियाओं का कार्य तो पूरा करें जो आसान है, ऐसे प्रशिक्षण से शिक्षक का क्या सम्बन्ध ? आदि। न करने के लिए मन कई बहाने ढूँढ़ता है। अन्तर्यात्रा से जागरण हो जाये तो लोभ, भय, अहंकार का महत्व नहीं रहेगा, तो प्रचलित प्रणाली व सत्ता को आघात पहुँचता है। फिर ऐसे बोध के बाद मन की सत्ता भी समाप्त होने लगती है अतः मन भी निरन्तर अनेक जटिलताएं और समस्याएं पैदा करता है।

जरूर लगेगा कि बात कठिन है। असल में जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता जो मूल्यवान हो और कठिन न हो। लगेगा कि ये बातें सामान्य मनुष्य की हैसियत के बाहर है। यह बिल्कुल गलत है। यह किसी की हैसियत के बाहर नहीं है और इस तरह के बहाने कर अपने ही हाथ से अपनी हैसियत कम करते हैं। कोई मनुष्य सामान्य नहीं है लेकिन उसका पता तब तक नहीं चलेगा,

जब तक बोध जागना शुरू न हो जाये। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा की सम्भावना न हो। वह सम्भावना है, जगाने से ही पता लगेगा। साहस करना होगा। दरअसल बात यह है कि अभी तक ख्याल इस तरफ गया ही नहीं। जिस तरफ ध्यान नहीं जाता, द्वार बन्द रह जाते हैं। सत्य सरल है। अज्ञान के कारण वह जटिल मालूम होता है अन्यथा सब कुछ सरल है। एक बार जान गये तो वह सरल ही है, लेकिन जानना जरूर कठिन होगा। प्रयोग करके देखना एक मात्र उपाय है।

सत्य संग प्रयोग : सत्य संग प्रयोग विषय पर 18 संस्था प्रधान व व्याख्याताओं के साथ आयोजित एक पाँच दिवसीय शिविर का स्मरण आ रहा है। इस शिविर में सम्भागियों के विचार के लिए विषय थे– कार्य और भूमिका, मन का स्वरूप, जीवन के उद्देश्य, संतुष्टि के कारक, चिन्तन कौशल आदि। विधियाँ थी– मौन, ध्यान, योग, प्रश्नावली, विश्लेषण, लेखन, स्वअनुभव, कहानी, विषयों से सम्बन्धित महापुरुषों के प्रवचन (केसेट), भजन-दोहे, दल चर्चा आदि। लेविन द्वारा प्रतिपादित संचेतना प्रशिक्षण (सेन्सिटीविटी ट्रेनिंग) की समूह चर्चा के स्थान पर व्यक्तिगत कार्य व चिन्तन पर अधिक जोर दिया गया। शिविर में तीन फेसिलिटेटर रहे।

प्रत्येक शिविर की तरह आरम्भ में पारम्परिक रीति से परिचय हुआ जिसमें सम्भागियों ने स्वतः ही नाम, पद, कार्य स्थान, कार्य, लेखन, उल्लेखनीय कार्यों का विवरण, परिवार आदि बिन्दु सम्मिलित किये। शिविर के चौथे दिन आरम्भ होते ही बिना किसी भूमिका बाँधे प्रत्येक सम्भागी को पन्ना देते हुए कहा गया कि वे 'मैं कौन हूँ' या 'मेरा परिचय' शीर्षक से अपने बारे में लिखें। आश्चर्य इस बात का रहा कि किसी भी संभागी ने अपने परिचय में नाम, पद, स्थान, कार्य, उपलब्धियाँ आदि कुछ भी नहीं लिखी। जो लिखा उसके नमूने के रूप में प्रत्येक के परिचय या मैं कौन हूँ के विवरण से कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार थी– (i) ..... सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च ज्योति जो कण-कण में विद्यमान है, मैं उसका अंश हूँ। (ii) ..... मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं तलाश कर रहा हूँ। (iii) ..... मैं जानता हूँ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ– फिर भी कुछ नहीं कर पाता अतः मैं घोर अंधकार में भटकने वाला हूँ। (iv) ..... मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मैं कौन हूँ? (v) ..... इससे आभास होता है जो 'मैं' हूँ वही 'वह' भी है और जो वह है, वही मैं हूँ। (vi) ..... मैंने अपने आपको आपको यंत्रवत मशीन तो कभी खिलौना। आज अनुभव हो रहा है कि मैं किसी परमसत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। लगभग ऐसे ही कथन, मिलते जुलते कथन अन्यों के भी थे।

मूल बात यह नहीं है कि संभागियों ने अपना क्या परिचय लिखा। मूल बात यह है कि तीन दिनों में इस विषय से सीधी सम्बन्धित बात नहीं होते हुए भी संभागियों ने स्वतः अपने को झूठे 'मैं' से मुक्त समझना आरम्भ किया। और यही अपने को समझने के लिए अन्तर्यात्रा की प्रथम सीढ़ी है। ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करने का प्रथम प्रयास था। प्रयोग की इस प्रकार की सफलता किसे गद्‌गद् नहीं करेगी। दूसरी बात, शिविर के बाद भी उन संभागियों ने सम्पर्क चालू रखा, पेशकश की कि अगले क्रम के शिविर में वे बिना यात्रा व दैनिक भत्ते के स्वयं के व्यय पर भाग लेने को तत्पर हैं। शिविर के मूल्यांकन का इससे अच्छा प्रमाण शायद ही मिले।

एक शिविर पर्याप्त नहीं होता, गहराई के क्रमिक शिविर भी आवश्यक होते हैं। सामग्री का चिन्तन के लिए निरन्तर प्रदाय और सम्पर्क भी आवश्यक होता है। फिर अनुभव का विस्तार भी चाहिए। यह संभव नहीं हुआ। पर इतना अनुभव अवश्य हुआ कि अपने को जानने के, अंतस में प्रवेश के लिए सेन्सिटीविटी ट्रेनिंग या संचेतना प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए आयोजित किये जा सकते हैं। सफलतापूर्वक आयोजित हो सकते हैं। तब, जब कि मनोयोग से उसे करना-कराना चाहें।

एक साधे सब सधै : रहीम ने कहा है– 'एक साधे सब सधे', सब साधे सब जाए, रहिमन मूल ही सींचबो, फूलहि फलहि अघाय।' सही कहा है कि मूल को साधलो, सब सध जाएगा। मूल भीतर मौजूद है। जड़ को सींचने से पत्ते और शाखाएं सभी हरी हो जाएगी। चेतना ही जड़ है। विज्ञान आदमी के शरीर को बदलने की प्रक्रिया पर ध्यान देता है और धर्म का जोर आदमी की चेतना को बदलने की प्रक्रिया पर होता है। धर्म विज्ञान से ज्यादा गहरा विज्ञान है। यह परम विज्ञान है क्योंकि वह केन्द्र से शुरू करता है। परिधि पर की गई चोटें जरूरी नहीं है कि केन्द्र पर पहुँचे लेकिन केन्द्र पर की गई चोटें जरूर परिधि पर पहुँचती है। जीवन एक है। मूल की समझ का प्रभाव हर जीवन क्षेत्र में होगा व व्यावसायिक जीवन का हर पहलू व सोच बदलेगा। मन बदलेगा तो क्रियाएं निश्चित ही बदलेगी।

यदि अपने को समझने के इस भारतीय चिन्तन को हृदयंगम कर लें तो मूल पकड़ में आ जाएगा। फिर हर नई-पुरानी क्रियाओं के लिए सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सब चीजें स्वस्पष्ट होगी चाहे मानव अधिकार हो, मूल्यों की शिक्षा, नागरिक कर्त्तव्यों का शिक्षण, रुचिकर शिक्षण, उद्देश्य आधारित शिक्षण या अन्य कोई बात हो। इन सबकी विधियाँ, प्रक्रियाएँ समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, न लोभ या भय की भी। चेतना, बोध, प्रमाणिकता की मास्टर 'की' (चाबी) हाथ लग जाए तो सभी ताले खुलेंगे और सभी तथाकथित समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगेंगी। जहाँ चाह, वहाँ राह स्वतः ही मिलेगी। यही बात तो उपनिषद की श्वेतकेतु की प्रसिद्ध कथा कहती है। गुरु के यहाँ के शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लौटने पर उसके पिता उद्दालक ने उसे वापिस इसलिए भेजा कि वह उस ज्ञान को प्राप्त करके नहीं आया था जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। स्वयं को जानने और भीतर प्रवेश की बात नई नहीं है।

वास्तविक बदलाव के लिए सोच परिवर्तन की आवश्यकता है और वर्तमान लीक से हटकर चलने के साहस की भी। हमें शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षणों को भारतीय चिन्तन के अनुसार सार्थक दिशा देने का महान काम करना है; शेष काम तो स्वतः होते दिखाई देंगे।

– 2/192, कुड़ी भगतासनी
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जोधपुर

कलाकार प्रकृति का प्रेमी है, अतएव वह उसका दास भी है और स्वामी भी।

***

पवित्रता वह सम्पत्ति है जो प्रेम के बाहुल्य से पैदा होती है।

– रवीन्द्रनाथ टैगोर

आनन्ददायी एवं उपयोगी शिक्षक-प्रशिक्षण

❑ डा. दाऊदयाल गुप्ता

अर्थशास्त्र की भाषा में मानव संसाधन एक पूँजी है। जिस प्रकार व्यापार में प्रत्यक्षतः पूँजी का निवेश किया जाता है उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन अप्रत्यक्ष पूँजी का निवेश ही है। शिक्षा में यह निवेश एक लम्बे अन्तराल के लिए होता है। अस्तु, सौदा महँगा होते हुए भी समुन्नत देश के विकास के लिए अपरिहार्य है। सुशिक्षा से सामान्य नागरिकों में कौशलों तथा दक्षताओं की संप्राप्ति होती है। निवेश में थोड़ी कोताही हो जाने पर या क्रियान्वयन में लापरवाही बरते जाने पर अपेक्षित उपलब्धि नहीं मिलती। निशाना चूक जाने पर निष्कर्ष यही निकलता है–

'दुविधा में दोनों गये माया मिली न राम।'

शिक्षा स्वयंमेव गुणवत्ता अर्थात् पारंगति की मुखापेक्षी है। शिक्षार्थी पक्की शिक्षा प्राप्त करे तो देश बनता है। कच्ची शिक्षा अपूर्ण है। शिक्षा की अपूर्णता जीवन के हर क्षेत्र में घातक है। या यों कहिये कि पारंगत विहीन शिक्षा शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा किया गया घोर पातक है। आये दिन मरीजों का मरना, अल्प समय में पुलों का गिरना, रेल दुर्घटनाएं, भ्रष्टाचार तथा घोटालों का जन्मित होना अशिक्षा ही है। शिक्षा में पूँजीगत निवेश का दुरुपयोग ही है।

व्यापार में स्वार्थ का बीज बोया जाता है। परन्तु, शिक्षा में सेवा-भावना प्रस्फुटित होती है। जीवन का उच्चादर्श शिक्षा की साधना से ही फलीभूत होता है। जीवन मूल्यों का संरक्षण व्यापारिक बुद्धि से परे रहकर किया जा सकता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में इसीलिये समता की उपलब्धता तथा उपलब्ध अवसरों की समुपयोगिता दोनों ही शिक्षा के महत्त्वपूर्ण चरण हैं। शिक्षा, यथार्थतः बेरोजगारी दूर करने का साधन नहीं अपितु सुयोग्य एवं आत्मविश्वासी नागरिक बनने हेतु साध्य है। शिक्षा में निवेशित पूँजी से मानव संसाधनों का इस रूप में विकास वस्तुतः शिक्षा की सार्थकता है ताकि एक लंबे अरसे के बाद कानों को कदाचित यह न सुनना पड़े–

'बोये पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाय।'

शिक्षा अधिकांशतः आज बेअसर है। कुशिक्षा का बोलबाला है। जीवन मूल्यों का क्षरण, पाप की पूँजी का भरण हर क्षण हो रहा है। न जाने कैसे एक अजीब तरह की निराशा, कदम-कदम पर हताशा, असंतोष तथा एक-दूसरे को धकेल कर आगे बढ़ जाने की दुराशा पनप रही है। इससे शैक्षिक जागरूकता में कमी दृष्टिगत होती है। बुनियादी शिक्षा से लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण तक सही व सफल शिक्षा को लाने के प्रयास समय-समय पर हुए हैं। नई-नई शैक्षिक तकनीकों, कम्प्यूटरीकृत अन्वेषणों, अन्तर्तानें के संसाधनों से हमने शिक्षा में कर्जा लेकर भी क्रांति-सूर्य उगाने की चेष्टा की है किन्तु आंशिक सफलता ही हाथ लगी है। कहीं तिलभर प्रकाश नजर आया भी है तो अंधकार की ओट में पहाड़ खड़ा पाया है। यह सब हमारे किये गये प्रयासों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिह्न लगा रहा है। सकारात्मक परिणामों की संप्राप्ति हेतु परस्पर दोषारोपण से विलग होकर आइये कुछ सोचें।

समाजोपयोगी शिक्षा मूलतः दो स्तम्भों पर आधारित है। प्रथमतः शिक्षार्थी तथा दूसरा शिक्षक। प्रशासन लक्ष्य निर्धारक है। पूँजी निवेशक है। समाज नियंत्रक है, जागरूक निरीक्षक है। सजग दृष्टा है। समाज और सरकार शिक्षा को पुष्ट बनाने तथा भलीप्रकार पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अस्तु, अन्तर्क्रिया दो के बीच है– शिक्षक और शिक्षार्थी। पाठ्यक्रम वह मंजिल है जिस पर चलना है। चूँकि शिक्षा का फलक विस्तृत है तथा प्रतिक्षण नवीन ज्ञान का प्रस्फुटन हो रहा है। अतः अपेक्षित ज्ञान का आदान-प्रदान आनन्दपूर्ण बने, यह आवश्यक है। अकेला शिक्षक, शिक्षा महासागर में तैरती नौका को पार नहीं पहुँचा सकता है। इसलिए अपनी राह को सुगम बनाने के लिए प्रशिक्षण सहायक होता है। शिक्षक की प्रशिक्षण में गत्यात्मकता अपेक्षित और अपरिहार्य है। शिक्षक का प्रशिक्षण के प्रति उत्साह जाग्रत हुआ, ऊर्जा का संचरण हुआ तो वही ज्ञान तरलित होकर शिक्षार्थी को ऊर्जस्वित बनायेगा जिससे शिक्षण सार्थक बनेगा। शिक्षक स्तर को संपुष्ट बनाने हेतु द्विविधि प्रयास श्रेयस्कर हैं– (क) विषय सामग्री की सुस्पष्टता। (ख) प्रस्तुतीकरण की पूरी समझ।

श्रेष्ठ खाद्य सामग्री के साथ मनोहारी परोसगारी शिक्षार्थी को सुगमतापूर्वक ग्राह्य होती है। सफल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 'वातावरण सृजन' आवश्यक होता है। आनन्दपूर्ण वातावरण सृजित हो तो प्रशिक्षण सहज बन जाता है। विषय सामग्री की स्पष्टता के लिये स्वाध्याय की निरन्तरता वांछनीय है। विषय से सम्बन्धित अन्यान्य पुस्तकों का चयन, पत्र-पत्रिकाओं में छपी सामग्री का उपयोग, अन्तर्तानें पर उपलब्ध ज्ञान की पकड़ तथा तदाधारित परस्पर विचार-विमर्श के शुभावसरों को भुनाने के प्रयास विषय सामग्री की स्पष्टता हेतु सहायक सिद्ध होते हैं। इस सन्दर्भ में प्रशिक्षण पूर्व निश्चित योजना बना लेनी लाभप्रद है।

विषय सामग्री में शिक्षक की अबाध गति हो, इस हेतु उसमें कठिन स्थलों का चयन स्वयं के स्तर पर निःसंकोच होना चाहिए। शिक्षण को आनन्दपूर्ण बनाने के लिए विषयवस्तु को भलीभाँति आत्मसात करना तथा कठिन स्थलों की जटिलता को सरलता में बदलने की सूझ-बूझ होनी शिक्षक-धर्मिता का निर्वाह करना ही है। कठिनाई के नाम पर स्वानुभूति के स्थान पर मात्र हवा में बेंत घुमा देने से कार्य नहीं बनेगा। प्रशिक्षण में वास्तविक कठिन स्थलों को दूर किये

शिक्षा उपनिदेशक पद से सेवानिवृत्त डॉ. दाऊदयाल गुप्ता बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। आप सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के जादूगर हैं। आवासीय शिविरों में आपकी उपस्थिति सम्भागियों को बाँधे रखने के लिए पर्याप्त होती है। आपने अनेक पुस्तकें लिखी/सम्पादित की है। आप शिविरा के नियमित लेखक हैं।

जाने के प्रयास तथा उसका समुचित अभ्यास शिक्षण के प्रति रुचि जाग्रत करने में सक्षम है।

कक्षा शिक्षण हो या शिक्षक प्रशिक्षण दोनों में वातावरण-सृजन महत्त्वपूर्ण होता है। इस हेतु आवश्यक है कि– 1. शिक्षक, शिक्षार्थी और प्रशिक्षक में परस्पर सामीप्य बना रहे। 2. मुक्त रूप से शैक्षिक खेल खेलना, प्रेरणास्पद गीतों को गाना, आपसी संकोच व झिझक को दूर करने तथा परस्पर सहजता लाने के प्रयत्न, वातावरण सृजन का हिस्सा है। 3. नये ज्ञान को परिपुष्ट करने-कराने हेतु अभ्यास पर समुचित बल देना आवश्यक है। 4. मात्र श्रवण को प्रश्रय न देकर 'करके सीखने' पर ध्यान देना होगा। प्रथमतः अधिगमकर्त्ता स्वयं समझे तदुपरान्त उसे व्यावहारिक रूप देकर अन्य को समझाये तो आत्म विश्वास जगेगा तथा स्वरुचि जाग्रत होगी। 5. सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सामर्थ्य को समझते हुए उसके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। शिक्षार्थी की सहज गति न बनने पर यह विचार होना लाभप्रद है कि समस्या के निवारण का क्या कोई अन्य वैकल्पिक समाधान है। सदैव शिक्षार्थी की ना समझी को कोसना प्रशिक्षण के प्रति अरुचि पैदा करना है। 6. सोच में सकारात्मकता लाना तथा शिक्षार्थियों के समक्ष स्नेहभाव प्रदर्शित करना, सफल प्रशिक्षण के आयोजन का प्रयास है। शिक्षक का अहंकार कहीं नहीं बोलना चाहिए, यथा– *'उनका दिल मेरे दिल से कुछ इस तरह मिला।/न उन्हें पता चला, न हमें पता चला॥'* 7. शिक्षार्थी के समक्ष प्रशिक्षक का आदर्श रूप प्रस्तुत होना चाहिए। तनिक सी सुविधा के लिए जीवन-मूल्यों का क्षरण न हो यह सावधानी बनाये रखना आवश्यक है। 8. प्रशिक्षण के दौरान बुझदिली की बातें करना, शैक्षिक-संसार की गिरावट के शब्द चित्र खींचना व्यर्थ है। इससे शिक्षार्थी में उदासीनता का उदय होता है। नैराश्य का वातावरण सृजित हो भी जाये तो यही कहना उचित है– *'कैसे आकाश में सुराख नहीं होता यारो।/ एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो॥'* 9. हमारे नीति शास्त्रों में शिक्षार्थी के पाँच लक्षण बताये हैं– *काक चेष्टा वको ध्यानं श्वान निद्रा तथैव च।/ अल्पहारी गृहत्यागी पंचलक्षण विद्यार्थिनः॥* हम इन लक्षणों को अपनाने के प्रति शिक्षाथी को बार-बार उत्साहित करें तो उनमें आलस्य और प्रमाद का सर्वथा नाश होगा। 10. यह आवश्यक नहीं कि हर बार शिक्षार्थी ही सीखता है। कई बात शिक्षक भी प्रशिक्षण के दौरान शिक्षार्थी से सीखता है। ऐसे अवसर आने पर उनका स्पष्ट उल्लेख सार्वजनिक रूप से करना परस्पर आत्म गौरव बढ़ाना है। 11. शिक्षण हो या प्रशिक्षण शिक्षक को प्रसन्न मुद्रा बनाये रखना आवश्यक है। जो स्वयं आनन्दमय है वही दूसरों को आनन्दित कर सकता है। जो गुरु वंदनीय और अभिनंदनीय है, उनके विषय में कहा गया है– *'आनन्दं आनन्दकरं प्रसन्नं, निज बोध रूपं ज्ञान स्वरूपं।/योगीन्द्र रूपं भव रोग वैद्यं, श्रीमद्गुरुं अहम् नित्यं नमामि॥'*

शिक्षक स्वयं आनन्दमय हो तथा वातावरण को अपने कार्य कलापों से आनन्द बनाने में सक्षम हो, यह प्रशिक्षक की प्रथम शर्त है।

निःसंदेह प्रशिक्षण का कार्य मनोवैज्ञानिक है। हम दूसरों के मन में आस्था जगाकर, उनके मन को जीतकर तथा उनमें कुछ अच्छा करने का उत्साह पैदा कर अभीष्ट कार्य सिद्ध कर सकते हैं। पहले हमें अपने मन में भरोसा रखना होगा तभी हम शिक्षार्थी को इन्सान बनने की राह पर ला सकेंगे। इसके लिए संवेदना का भाव महत्त्वपूर्ण है। सुख-दुःख की स्थितियों में शिक्षार्थियों से सदैव सम्बन्ध बनाये रखना शिक्षक की असल पहचान है। यह याद रहे कि समाज की दृष्टि में शिक्षक सदैव सम्मानित रहा है। इस विश्वास में कहीं कोई कोर कसर न रह पाये तथा शिक्षक का हर कदम मर्यादित एवं सन्तुष्टि प्रदाता हो तो उसके द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण आनन्दमय एवं उपयोगी बन सकेगा। अन्त में प्रशिक्षण को उपयोगी बनाने के लिए हमें अब्राहम लिंकन द्वारा लिखे पत्र को संज्ञान में लेना होगा जो उन्होंने अपने बेटे के लिए गुरुजी को संबोधित करते हुए लिखा है–

''आदरणीय गुरुजी !
सभी आदमी न्याय प्रिय नहीं होते,
होते नहीं सब सत्यनिष्ठ।
मेरा बेटा सीखेगा यह
कभी न कभी।
मगर उसे यह भी सिखाइये
दुनिया में हर बदमाश की तरह
होता है एक साधुचरित पुरुषोत्तम भी।

पत्र तो लम्बा है। पर, संस्कारों के शिक्षण-प्रशिक्षण में इतना संकेत मात्र भी पर्याप्त है क्योंकि बिना संस्कारों के आनन्द-मग्न होना शून्य में अट्टहास मात्र करना है। प्रयोजनशील शिक्षण तभी होगा जब सुशिक्षा की कसौटी पर खरा उतरे अन्यथा– 'हैं करोड़ों सूर्य, लेकिन सूर्य केवल नाम के।/जो न दें हमको उजाला, वो भला किस काम के॥'

अतः शिक्षक-प्रशिक्षण अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित उपयोगमूलक तो हो ही साथ में यह ध्यान रहे कि उसमें आनन्द का तत्व गायब न हो पाये। प्रशिक्षण सर्व प्रकारेण जीवन्त बने तथा वास्तविक जीवन से उठाये हुए उदाहरणों, कथा-कहानियों, ज्वलंत संस्थितियों से जुड़ता हुआ तथा प्रेरणास्पद गीतों से महकता हुआ चले तो उसकी सार्थकता स्वयंमेव सिद्ध होगी। नीरस एवं निष्क्रिय प्रशिक्षण सारहीन ही समझिये।

– दही वाली गली, ब्यानियान मौहल्ला, भरतपुर

फार्म नं. 4

शिविरा पत्रिका के स्वामित्व और अन्य विवरण, जो केन्द्रीय धारा 1956 के अन्तर्गत समाचार-पत्र के रजिस्ट्रेशन के लिये प्रकाशित करने आवश्यक हैं–

1.	प्रकाशन संस्थान	: माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2.	प्रकाशन अवधि	: मासिक
3.	मुद्रक	: भास्कर ए. सावन्त
	राष्ट्रीयता	: भारतीय
	पता	: आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4.	प्रकाशक	: भास्कर ए. सावन्त
	राष्ट्रीयता	: भारतीय
	पता	: आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
5.	सम्पादक	: भास्कर ए. सावन्त
	राष्ट्रीयता	: भारतीय
	पता	: आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
6.	पत्र के स्वामी	: आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

मैं भास्कर ए. सावन्त, घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में एवं विश्वास के साथ सत्य और वास्तविकता पर आधारित है।

(भास्कर ए. सावन्त)
आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रभावशाली प्रशिक्षण के अनुभूत सूत्र

❑ मुकेश व्यास

प्रतिवर्ष ग्रीष्मावकाश के दौरान प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए विभिन्न अभिकरणों यथा– शिक्षा निदेशालय, सर्वशिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्र, शिक्षक शिक्षा केन्द्र एवं डाइट के तत्त्वावधान में बड़ी संख्या में शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। इतना ही नहीं, सत्र के दौरान भी समय-समय पर इस प्रकार के अभिनवन शिक्षक प्रशिक्षण चलते रहते हैं। इस प्रकार सेवारत शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण विधियों एवं अपने विषयगत ज्ञान को समुन्नत करने जैसे उद्देश्यों को मध्य में रखकर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण/आमुखीकरण का सिलसिला सतत चलता ही रहता है।

नई शिक्षा नीति 1986 में यह बात विशेष जोर देकर कही गई है कि सेवारत शिक्षकों का एक समय अन्तराल के बाद आमुखीकरण अवश्य किया जावे क्योंकि दुनिया में ज्ञान, विज्ञान एवं कौशल का बड़ी द्रुतगति से विकास हो रहा है और उसका प्रशिक्षण शिक्षकों को दिए जाने पर ही वे शिक्षण क्रिया के दौरान उसे अपने विद्यार्थियों में बाँट सकेंगे। यह अवधारणा सही एवं तर्कपूर्ण है। इसी के चलते सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है।

शिक्षक प्रशिक्षणों की उपादेयता एवं प्रभावीपन की बात तब तक बेमानी प्रायः रहती है जब तक कि उनका आयोजन प्रभावी, रुचिकर एवं निहित मॉड्यूल के अनुसार न हो। प्रशिक्षण के दिनों में यदा-कदा प्रशिक्षण व्यवस्थाओं तथा प्रशिक्षण में उसके विषयगत पहलुओं पर वांछित पूर्व तैयारी आयोजकों द्वारा नहीं किए जाने के समाचार यहाँ-वहाँ सुनने में आते रहते हैं। कई बार तो अखबार अथवा अन्य संवाद माध्यमों में ऐसे समाचार देखने में आते हैं जो विभाग एवं सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रभारी कार्यालय एवं अधिकारियों के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते। अतः प्रभावशाली प्रशिक्षण की अवधारणा के अनुसार सभी कार्य किए जाने चाहिए। प्रशिक्षण को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए तैयारियों एवं सावधानियों के सम्बन्ध में कतिपय महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रकार हैं–

(1) प्रारम्भिक तैयारी के अन्तर्गत समय पर प्रतिभागियों को सूचना भिजवाना ताकि वे प्रशिक्षण स्थल तक आने की आवश्यक तैयारी कर सकें। इससे वे मानसिक रूप से भी स्वयं को तैयार कर सकेंगे। वे अपना कोई अन्य कार्यक्रम उन दिनों में नहीं रखेंगे। (2) आमंत्रित प्रतिभागियों को आयोज्य प्रशिक्षण की विषयवस्तु के बारे में लिखित में सूचना के साथ पूर्व में पठनीय सामग्री, तैयारी हेतु सामग्री के संदर्भ, प्रशिक्षण में आते समय यदि कोई सामग्री यथा पाठ्यपुस्तकें, सहायक सामग्री आदि लेकर आनी है, तो उसकी सूची सहित स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। (3) प्रशिक्षण स्थल पर उन्हें आवास, भोजन, स्थानीय परिवहन आदि की जो सुविधाएँ दी जाएँगी, उनका विवरण। प्रशिक्षण स्थल एवं निवास स्थल तक पहुँचने का पता, वहाँ कोन्टेक्ट हेतु व्यक्तियों के नाम, दूरभाष नम्बर आदि दिए जाने चाहिए। (4) सम्भावित संदर्भ व्यक्तियों के नाम, वार्ताओं के विषय और वार्ताकारों के नाम आदि के विवरण दिए जाने चाहिए। (5) प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण स्थल पर आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षणार्थियों को दिए जाने वाले किट की तैयारी, रजिस्ट्रेशन एवं प्रतिदिन की उपस्थिति के प्रारूप/रजिस्टर पहले से ही तैयार कर लेने चाहिए। (6) यात्रा भत्ते का भुगतान यदि प्रशिक्षण स्थल पर किया जाएगा तो उसका स्पष्ट उल्लेख मनोनयन पत्र में होना चाहिए। (7) प्रशिक्षण स्थल एवं आवास स्थल पर स्वच्छ पेयजल, मौसमी बीमारियों के लिए दवाइयाँ, चिकित्सकीय सुविधाएँ आदि उपलब्ध होनी चाहिए। (8) यद्यपि इन दिनों में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के पास उसका स्वयं का मोबाइल फोन है तथापि प्रशिक्षण स्थल तथा आवास स्थल पर लैण्डलाइन टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। (9) प्रशिक्षण के दौरान आवास स्थल पर प्रशिक्षणार्थियों को टेलीविजन एवं महत्वपूर्ण समाचार पत्र उपलब्ध करवाए जाने चाहिए ताकि वे देश दुनिया से जुड़े रह सके। यह देखा गया है कि सवेरे-सवेरे अखबार नहीं मिलने से होने वाली असहजता का प्रभाव दिन भर रहता है। अतः सहभागियों को किसी भी कारण से असहज होने से बचाएँ। (10) प्रशिक्षण स्थल के आसपास स्थित दर्शनीय, धार्मिक एवं सामाजिक महत्व के स्थानों के नाम तथा अन्य जानकारियाँ उपलब्ध रहनी चाहिए। (11) संदर्भ व्यक्ति एवं दक्ष प्रशिक्षक अपने-अपने विषय के निष्णात व्यक्ति होने चाहिए। उनकी विषयगत तैयारी एवं प्रभावी प्रस्तुतिकरण ही प्रशिक्षणार्थियों को बाँधे रखेगा। दक्ष प्रशिक्षकों के नाम पहले से घोषित किए जाएँ तथा अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जावे। कई बार दक्ष प्रशिक्षक विलम्ब से आते हैं अथवा प्रभावपूर्ण प्रस्तुति में कामयाब नहीं रहते, फलतः प्रशिक्षण आयोजन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। (12) दैनन्दिन कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जावे जिसमें प्रातः भ्रमण, योग, दोपहर में भोजनोपरांत विश्राम, सायं खेलकूद तथा रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए समय रखा हो। (13) प्रशिक्षण के दौरान अधिकारिक विद्वानों की वार्ताएँ रखी जावें तथा वार्ताकारों के साथ प्रशिक्षणार्थियों को इंटरएक्ट करने/अपनी शंकाओं का समाधान कर सकने का अवसर दिया जावे। (14) प्रशिक्षण स्थल पर मौसम के अनुकूल प्रशिक्षण हॉल/स्थान को गर्म अथवा शीतल रखने की व्यवस्था की जावे। विद्युत कटौती अथवा विद्युत आपूर्ति में सम्भावित व्यवधानों को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे जेनरेटर आदि की व्यवस्था रखनी चाहिए। (15) प्रशिक्षण समाप्ति के दिन प्रशिक्षण से संलग्न रहे आयोजक अधिकारियों, दक्ष प्रशिक्षकों एवं सहभागियों के नाम पते, फोन नम्बर आदि की सूची उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्हें सहभागिता प्रमाण-पत्र एवं उपस्थिति पत्र, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि प्रशिक्षणार्थी को यात्रा भत्ते आदि का भुगतान कर दिया गया है अथवा नहीं, अवश्य दिया जावे। फोटोग्रुप करवाया जावे तो वह यादों को अक्षुण बनाए रखेगा।

– वरिष्ठ प्रकाशन सहायक
शिविरा पत्रिका

गीत मन के मीत

प्रशिक्षणों में प्राण फूँकते हैं अभियान गीत

❑ मदनलाल पुरोहित

शिक्षक प्रशिक्षणों में ही नहीं अपितु किसी भी विभाग अथवा केडर के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों व अभिनवन कार्यक्रमों में वातावरण को सहज बनाने की दिशा में गीत-संगीत का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि मधुर संगीत में वह ताकत होती है जो राह चलतों के कदम रोक सकती है, बातें करने वालों की बातें बन्द कर सकती है और यहाँ तक कि परस्पर लड़ रहे दो व्यक्ति भी संगीत की तान सुनकर सहसा ठिठक जाते हैं। छोटे बच्चे संगीत सुनाई देने पर रोना बंद कर देते हैं।

गीत मन के मीत होते हैं। गीत गुनगुनाना सहज मानवीय प्रवृत्ति है। गीत के शब्द, धुन व संगीत के मिश्रण से होने वाली प्रस्तुति मन को आह्लादित कर देती है। इस प्रकार गीतों में मानव मन का आह्लाद भी है और आकांक्षा भी। गीतों से अनोखी ताजगी का अहसास होता है। कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना जगती है और निराश मन में आशा की किरण प्रकट होती है।

शिक्षक प्रशिक्षणों के दौरान उत्तम स्थिति तो उसे कहेंगे जब प्रातः चाय-नाश्ते के पश्चात लेकिन प्रथम सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व बड़े हॉल में लोक कलाकारों की संगीतमय प्रस्तुतियाँ रखी जावे। इससे सहभागी जल्दी-जल्दी नहा-धो, चाय-नाश्ता करके प्रशिक्षण में आ बैठेंगे बल्कि कहना तो यह चाहिए कि उनके कदम स्वयं संगीत की तरफ उन्हें खींच लाएंगे, लेकिन प्रातः का यह कार्यक्रम सम्भव न भी हो तो प्रथम सत्र के प्रारम्भ में संगीतमय प्रार्थना, दोहे तथा आज के विचार जैसे कार्यक्रम तो रखे जाने ही चाहिए। प्रार्थना के पश्चात एक अभियान गीत की समवेत प्रस्तुति के पश्चात ही पठन-पाठन का सिलसिला आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ कुछ प्रार्थना एवं प्रभावशाली गीतों को प्रस्तुत किया जा रहा है जो शिक्षक प्रशिक्षणों में निश्चय ही उपयोगी सिद्ध होंगे–

1. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ

हे शारदे माँ, हे शारदे माँ
अज्ञानता से हमें तार दे माँ
तू स्वर की देवी, है संगीत तुझसे
हर साज तेरा, हर गीत तुझसे
हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे
तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ ...

ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी
वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी
हम भी तो समझें, हम भी तो जानें
विद्या का हम को तू वरदान दे माँ। हे शारदे माँ ...

तू श्वेतवर्णी कमल पर विराजै
हाथों में वीणा मुकुट सर पै साजै
मन से हमारे मिटा दे अंधेरा
हमको उजाले का संसार दे माँ। हे शारदे माँ ...

2. तू ही राम है, तू रहीम है

तू ही राम है, तू रहीम है
तू करीम, कृष्ण, खुदा हुआ।
तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह
प्रति नाम में तू समा रहा।
तेरी जोत पाक कुरान में
तेरा दरस वेद-पुराण में
गुरु-ग्रन्थ जी के बखान में
तू प्रकाश अपना दिखा रहा। तू ही राम है ...

अरदास है, कहीं कीरतन
कहीं रामधुन, कहीं आवाहन
विधि-भेद का यह सब रचन
तेरा भक्त तुझ को बुला रहा।
तू ही राम है, तू रहीम है
तू करीम, कृष्ण, खुदा हुआ।

3. मन विजय करें

हमको मन की शक्ति देना मन विजय करें,
दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें।
भेद भाव अपने दिल से साफ कर सकें,
दोस्तों से भूल हो तो मुआफ कर सकें।
झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, दूसरों की जय ...

मुश्किलें पड़ें तो हम पर इतना करम कर,
साथ दें तो धर्म का, चलें तो धर्म पर।
खुद पे हौंसला रहे, बदी से ना डरें, दूसरों की जय ...

4. घर-घर अलख जगाएंगे

घर-घर अलख जगाएंगे, बदलेंगे ज़माना
निश्चय हमारा ध्रुव-सा अटल है,
काया की रग-रग में निष्ठा का बल है
जागृति शंख बजाएंगे, बदलेंगे ज़माना

बदली हैं हमने अपनी दिशाएं
मंज़िल नई तय करके दिखाएं
धरती को स्वर्ग बनाएंगे, बदलेंगे ज़माना

श्रम से बनाएंगे माटी को सोना
जीवन बनेगा उपवन सलोना
मंगल सुमन खिलाएंगे बदलेंगे ज़माना

कोरी कल्पना की तोड़ेंगे कारा
ममता की निर्मल बहाएंगे धारा
समता के दीप जलाएंगे, बदलेंगे ज़माना

5. अब अंधेरा जीत लेंगे

ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के
अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के
पूछती है झोंपड़ी और पूछते हैं खेत भी
कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के
बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं यह जानकर
अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के
नया सूरज अब उगेगा देश के हर गांव में
अब इकट्ठे हो चले हैं लोग मेरे गांव के
चीखती है हर रुकावट ठोकरों की मार से
बेड़ियाँ खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के
देखो यारो जो सुबह लगती थी फीकी आज तक
नया रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गांव के
ज्ञान का दीपक जलेगा देश के हर गांव में
रोशनी फैला रहे हैं लोग मेरे गांव के
बिन पढ़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं यह जानकर
अब पढ़ाई पढ़ रहे हैं लोग मेरे गांव के

6. अंधेरा रह न पाएगा

मिटाएंगे धरा पर अब, अंधेरा रह ना पाएगा,
खुशी से देश सारा यह, हमारा लहलहाएगा।
युगों से चल रही आई अविद्या और बेकारी,
दिलों में जल रही थी द्वेष और दुख की महामारी।
सुलगती आ रही चिनगारियों को हम मिटाएंगे,
निरक्षरता, गरीबी और बेकारी हटाएंगे।
करो संकल्प सब मिल कर, मनोबल जाग जाएगा।
प्रगति उनकी रुकी रहती भरोसे भाग्य जो रहते,
समय आलस्य में खोते थपेड़े हैं वही सहते।
नहीं पाते कभी मंज़िल कि जो बहते कगारों पर,
सफलता है टिकी संकल्प साहसमय विचारों पर।
युवक अब देश का कोई न श्रम से जी चुराएगा।
समझ लो चरण विश्वासी, हमारे रुक नहीं सकते,
किसी के सामने हम चिर प्रवासी झुक नहीं सकते।
दुहाई राष्ट्र देता है, हमें मंज़िल बुलाती है,
अनेक दीन दुखियों की, हमें पीड़ा रुलाती है।
अगर दो साथ तुम भी तो, चमन यह चहचहाएगा।
मिटाएंगे धरा पर अब ...

7. चले हमारा काफ़िला

पंखों में आकाश समेटे चले हमारा काफ़िला
मन में इक विश्वास संजोए चले हमारा काफ़िला।
नई सोच का नया जोश गर आ जाए इन बाँहों में
नई उमंगे नई रवानी, रम जाए इन श्वासों में
नए स्वप्न की धड़कन लेकर, बढ़े हमारा काफ़िला
मन में इक विश्वास संजोए, चले हमारा काफ़िला।
श्रम की पूजा करने वाले, निश्चित पा जाते मंज़िल
फ़ौलादी गर बनें इरादे, कोई काम नहीं मुश्किल
रंगों का इक इन्द्रधनुष ले, चले हमारा काफ़िला
मन में इक विश्वास संजोए चले हमारा काफ़िला।
नील गगन में उड़ने वाले पंछी नया सवेरा है
बरसे मोती आंगन-आंगन, पल-पल रूप सुनहरा है
नूतन मृदु उल्लास लिए अब, चले हमारा काफ़िला
पंखों में आकाश समेटे, चले हमारा काफ़िला
मन में इक विश्वास संजोए चले हमारा काफ़िला।

8. हिन्द देश के निवासी

हिन्द देश के निवासी सभी जन एक हैं
रंग-रूप, वेश-भाषा चाहे अनेक हैं।
बेला, गुलाब, जूही, चम्पा, चमेली
प्यारे-प्यारे फूल गुंथे माला में एक हैं।
कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी
गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक हैं।
गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी
जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं।
हिन्द देश के निवासी सभी जन एक हैं।
रंग-रूप, वेश-भाषा, चाहे अनेक हैं।

9. मत बांटो इंसान को

मन्दिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को
धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को।
अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल लेकिन दूर है
उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है
मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी-मैदान को।
धरती बांटी, सागर बांटा...

अब भी हरी-भरी धरती है, ऊपर नील-वितान है
पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है
अभी प्यार का जल देना है, हर जलती चट्टान को।
धरती बांटी, सागर बांटा...

साथ उठें तो सब, पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर
हर उदास आनन पर हम हों, खिलती हुई बहार पर
रौंद न पाएगा फिर कोई, जीवन की मुस्कान को।
धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को।

– प्रधानाध्यापक, रा.मा.वि., कोहला (हनुमानगढ़)

राजस्थान की साक्षरता दर

सुकून देते तीन दशकों की समीक्षा

❑ राजेन्द्र जोशी

राज्य की जनगणना 2011 के प्रारम्भिक आंकड़ों के जारी होने के बाद से उन पर अभी तक कोई बहुत ज्यादा विचार प्रारम्भ नहीं हुआ है। हाँ, मीडिया और सरकार ने कतिपय पहलुओं पर चिन्ता जरूर जताई है। इनमें एक पहलू साक्षरता दर है। इस संदर्भ में राजस्थान के साक्षरता के आंकड़ों को गम्भीरता से परखने की जरूरत है और यह परख करने के लिए हमें 1981 से 2011 तक की जनगणना के परिणामों से साक्षात्कार करना होगा। केवल 2011 के आंकड़ों को देखकर चिन्ता जताने से पूरी यात्रा और किए गए प्रयासों को समझा नहीं जा सकता। साक्षरता के आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा करने की जरूरत है। इससे हमें 1981 से 2011 की यात्रा एवं उपलब्धियों को समझने में आसानी रहेगी। निरक्षरता उन्मूलन के गत तीन दशक के प्रयास प्रदेश को सुकून देने वाले हैं। हाँ, अब हमें रणनीति बनाकर कार्य करने की जरूरत है जो कि गत तीन दशक की रणनीति से अलग होगी।

बीते दस वर्षों में हमने साक्षरता में भले ही की हो, मात्र 6.03 प्रतिशत वृद्धि परन्तु इससे पूर्व के दस वर्षों में हमने देश में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक 22.48 प्रतिशत वृद्धि साक्षरता में की थी (1991-2001) और उससे बीते दशक (1981-1991) में हमने मात्र 8.44 प्रतिशत ही वृद्धि की थी। इसी प्रकार हिन्दी भाषी प्रदेशों की तुलना राजस्थान से करें तो एक जैसी स्थितियाँ सामने आती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की साक्षरता वृद्धि दर मात्र 5.86 प्रतिशत हुई है और उससे बीते दशक (1991-2001) में 22.27 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, परन्तु 1991 में छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 42.91 प्रतिशत थी और 2001 में 65.18 हुई और 2011 में 71.04 प्रतिशत हो गई। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार गत दशक में 6.52 प्रतिशत की है और 1991-2001 मध्य प्रदेश में 19.44 प्रतिशत की थी। इसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश बीते दशक (2011) में 12.36 प्रतिशत की साक्षरता वृद्धि कर गया परन्तु 1991-2001 के दशक में 40.71 से 57.36 प्रतिशत की साक्षरता पर अनुसार मात्र 14.53 प्रतिशत ही वृद्धि कर पाया था। इसी प्रकार बिहार राज्य में 16.29 प्रतिशत वृद्धि कर 63.82 प्रतिशत के आंकड़े के नजदीक आ गया परन्तु 1991.2001 के दशक में मात्र 10.04 प्रतिशत ही वृद्धि कर पाया था। झारखंड की तस्वीर देखें तो 13.5 वृद्धि कर 67.03 प्रतिशत पर तो पहुँच गया परन्तु 1991-2001 के दशक में मात्र 12.74 प्रतिशत वृद्धि ही कर पाया था।

अब हम दो अन्य राज्यों की तस्वीर भी परख लें। गुजरात में 17.1 प्रतिशत वृद्धि कर 87.07 प्रतिशत साक्षरता वाला प्रदेश भी 1991-2001 के दशक में मात्र 8.40 प्रतिशत ही वृद्धि कर सका था। देश का साक्षरता में अग्रणी प्रदेश केरल बीते दशक में मात्र 2.99 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 93.91 प्रतिशत साक्षरता दर तो जरूर प्राप्त कर सका और 1991-2001 के दशक में मात्र 1.11 प्रतिशत ही वृद्धि कर पाया था।

हम 6+2 प्रदेशों की तस्वीर पढ़कर स्पष्ट हो सकते हैं कि आंकड़ों के इस मायाजाल ऊपर-नीचे की श्रेणियाँ तो निर्धारित कर सकते हैं परन्तु निरक्षरता उन्मूलन के प्रयासों को किसी भी तरह कम-ज्यादा का अवार्ड नहीं दे सकते। हाँ अब काम करने की प्रक्रिया को परिवर्तित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयासों में शामिल करने की जरूरत है। यहाँ पर हमको यह समझना होगा कि साक्षरता के प्रयास किस प्रकार आगे बढ़ते और कहाँ-कहाँ गति की सीमा बढ़ती हुई ऊँचे पायदान पर पहुँच सकती है। 30 प्रतिशत तक की साक्षरता बढ़ाने और 30 प्रतिशत से और बढ़त लाने में प्रयास की रणनीति में कामयाबी की गति धीमी होनी स्वाभाविक है, लेकिन राजस्थान में 1991 से अपने प्रयासों को चुनौती के रूप में स्वीकार 38.55 से 61.03 तक बढ़ाकर क्वान्टम जम्प लिया था। 60-65 प्रतिशत की साक्षरता दर के बाद साक्षरता दर में वृद्धि की रफ्तार अगर धीमी रहे तो बहुत अधिक प्रयास की जरूरत होती है और व्यक्तिशः ढाणी-ढाणी प्रयास के चरण ले जाने पड़ते हैं और इसके लिए सामाजिक संगठनों और जात-बिरादरी की भूमिका सरकार से अधिक होती है। गत दो दशक से पिछड़े और बीमारू राज्यों की श्रेणी से राज्य अब अन्य राज्यों की तुलना में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बराबरी की स्थितियों के आस-पास आने लगा है।

श्री राजेन्द्र जोशी विगत तीन दशक से प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता अभियान से जुड़े हैं। साक्षरता के समानान्तर सामाजिक सरोकार रखने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भी आप सहयोगी रहते हैं। आप लेखक, कवि और समीक्षक हैं। वर्तमान में आप जिला साक्षरता समिति, बीकानेर में सहायक परियोजना अधिकारी (वरिष्ठ) हैं।

हम केरल के प्रयासों के परिणामों को पढ़ने का प्रयास करें तो 1991-2001 के दशक में मात्र 1.11 प्रतिशत और 2001-2011 के दशक में मात्र 2.99 प्रतिशत ही साक्षरता वृद्धि कर सका है।

राजस्थान को अन्य राज्यों की तुलना में बराबरी पर लाने एवं देश की स्थितियों के साथ-साथ साक्षरता वृद्धि यात्रा तो करनी होगी। लेकिन प्रदेश की साक्षरता की स्थिति को भयावह और चिन्ताजनक कहकर गत दो दशक के प्रयासों को खारिज नहीं किया जा सकता। रेतीले एवं भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़े प्रदेश में निरक्षरता उन्मूलन के और अधिक प्रयासों के संकल्प के साथ मजबूत राय करने की जरूरत जरूर है। हमको अब हार्ड ग्रुप के साथ काम करना है जहाँ सामाजिक कुरीतियों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है। हमने दो दशक में कुल जमा 28.51 प्रतिशत की वृद्धि साक्षरता में की है। जबकि मध्य प्रदेश ने दो दशक में 25.96 प्रतिशत, झारखंड ने 29.01 प्रतिशत, बिहार ने 26.33 प्रतिशत 25.89 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ ने 28.13 प्रतिशत वृद्धि गत दो दशक में की है और केरल ने मात्र 4.1 प्रतिशत साक्षरता वृद्धि एवं गुजरात ने 25.5 प्रतिशत साक्षरता वृद्धि की है। इस प्रकार राजस्थान और झारखंड ने बीते दो दशकों में बराबर प्रयास किए हैं। इसलिए प्रदेश की साक्षरता वृद्धि दर को कम नहीं कहकर निरन्तर बढ़ती साक्षरता दर हो रही है।

प्रदेश की साक्षरता के उजले पक्ष की ओर

देखें तो हमारे सामने 33 जिलों में सभी की पुरुष साक्षरता दर 70 प्रतिशत से अधिक है और महिलाओं की साक्षरता दर में मात्र 04 जिले ही 60 प्रतिशत के ऊपर है, शेष 40 से 60 प्रतिशत के मध्य हैं परन्तु गत दो दशक में राजस्थान ने पुरुष साक्षरता में 35.75 प्रतिशत की तथा महिला साक्षरता में 38.66 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है।

इस प्रकार निरक्षरता उन्मूलन के लिए गत दो दशकों के दौरान किए गए प्रयासों से तुलनात्मक रूप से पुरुष साक्षरता दर से महिला साक्षरता दर में अधिक सफलता प्राप्त हुई है, इसे शुभ संकेत ही कह सकते हैं।

यह तथ्य हमें जरूर सोचने और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित भी करते हैं कि पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच अभी भी 27.85 प्रतिशत की गैर बराबरी कायम है। अब ताजा और जरूरत वाले स्थानों को चिह्नित करके इस गैर बराबरी को दूर करना होगा। परन्तु गत दो दशक के प्रयास और जोरदार वातावरण निर्माण के सहारे हम अगले दशक के मध्य तक इस लक्ष्य को तो प्राप्त कर ही सकते हैं। साक्षरता वृद्धि दर के साथ ही दो दशक में हमने जनसंख्या वृद्धि को भी घटाने की ओर कदम बढ़ाए हैं।

राज्य के बढ़ते विकास में साक्षरता की अहम् भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, गत दो दशक में शासन के सहयोग में लोगों की सहभागिता बढ़ी है। राजनीति, लोकतंत्र, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि कार्यों में महिलाओं की सक्रियता एवं सहभागिता में गत दो दशकों से निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है।

किसी राष्ट्र के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए दशकों और कभी-कभी तो शताब्दियों साधना करनी पड़ती है। इस सिद्धान्त के संदर्भ में परखें तो तीस वर्षों (1981-2011) में राजस्थान ने साक्षरता दर में उल्लेखनीय प्रगति की है। बीच का दशक 1991-2001 तो हमारे लिए अत्यन्त उपलब्धि एवं यशकारी सिद्ध हुआ। यह कार्य समाज की दशा एवं दिशा दोनों को बदल देने वाला है। अतः इसमें शासन एवं समाज दोनों को मिलकर समवेत प्रयास करने होंगे। राजस्थान की यह तस्वीर डरा देने वाली नहीं प्रत्युतर आशा एवं उत्साह बढ़ाने वाली है। बस, जरूरत केवल भविष्य की सुनियोजित रणनीति बनाकर तद्नुसार कार्यवाही भर करने की है।

– सहायक परियोजना अधिकारी (वरिष्ठ)
तपसी भवन, नत्थूसर वास, बीकानेर

राजस्थान की राज्य एवं जिलेवार साक्षरता दर : 2001-2011

कोड	नाम जिला	साक्षरता दर (प्रतिशत में)					
		व्यक्ति		पुरुष		महिला	
		2001	2011	2001	2011	2001	2011
08	**राजस्थान राज्य समग्र**	**60.41**	**67.06**	**75.70**	**80.51**	**43.85**	**52.66**
01	गंगानगर	64.74	70.25	75.53	79.33	52.44	60.07
02	हनुमानगढ़	63.05	68.37	75.18	78.82	49.56	56.91
03	बीकानेर	57.36	65.92	70.65	76.90	42.45	53.77
04	चूरू	67.59	67.46	80.26	79.95	54.36	54.25
05	झुंझुनूं	73.04	74.72	86.09	87.88	59.51	61.15
06	अलवर	61.74	71.68	78.08	85.08	43.30	56.78
07	भरतपुर	63.58	71.16	80.54	85.70	43.56	54.63
08	धौलपुर	60.13	70.14	75.09	82.53	41.84	55.45
09	करौली	63.40	67.34	79.54	82.96	44.43	49.18
10	सवाईमाधोपुर	56.67	66.19	75.74	82.72	35.17	47.80
11	दौसा	61.81	69.17	79.37	84.54	42.25	52.33
12	जयपुर	69.90	76.44	82.80	87.27	55.52	64.63
13	सीकर	70.47	72.98	84.34	86.66	56.11	58.76
14	नागौर	57.28	64.08	74.10	78.90	39.67	48.63
15	जोधपुर	56.67	67.09	72.96	80.46	38.64	52.57
16	जैसलमेर	50.97	58.04	66.26	73.09	32.05	40.23
17	बाड़मेर	58.99	57.49	72.76	72.32	43.45	41.03
18	जालौर	46.49	55.58	64.72	71.83	27.80	38.73
19	सिरोही	53.94	56.02	69.89	71.09	37.15	40.12
20	पाली	54.39	63.23	72.20	78.16	36.48	48.35
21	अजमेर	64.68	70.46	79.39	83.93	48.90	56.42
22	टोंक	51.97	62.46	70.52	78.27	32.15	46.02
23	बूँदी	55.57	62.31	71.68	76.52	37.79	47.00
24	भीलवाड़ा	50.71	62.71	67.37	77.16	33.43	47.93
25	राजसमन्द	55.73	63.93	74.05	79.52	37.68	48.44
26	डूँगरपुर	48.57	60.78	66.04	74.66	31.77	46.98
27	बाँसवाड़ा	45.54	57.20	61.50	70.80	29.22	43.47
28	चित्तौड़गढ़	53.99	62.51	71.54	77.74	35.99	46.98
29	कोटा	73.52	77.48	85.23	87.63	60.43	66.32
30	बारां	59.50	67.38	75.78	81.23	41.56	52.48
31	झालावाड़	57.32	62.13	73.31	76.47	40.02	47.06
32	उदयपुर	59.77	62.74	74.66	75.91	44.49	49.00
33	प्रतापगढ़	48.25	56.30	64.27	70.13	31.77	42.40

शिक्षा के क्षेत्र में ई-लर्निंग

❑ लक्ष्मी ननमा

शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रशिक्षण, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से दिया जाता है, उसे ई-लर्निंग माध्यम कहा जाता है। इसमें कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, रिकॉर्ड प्लेयर आदि प्रणालियों का शिक्षा प्रदान करने में उपयोग होता है। इन माध्यमों से सीखने वाले किसी भी समय व कहीं पर भी सीखने का लाभ ले सकते हैं। ई-लर्निंग द्वारा तत्काल सूचनाओं का आदान-प्रदान, प्रशिक्षण एवं विषय-विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त करने में किया जा सकता है।

इस प्रकार के कार्यक्रमों को विभिन्न प्रकार से ई-लर्निंग द्वारा सीखने वाले तक पहुँचाया जा सकता है। परन्तु प्रत्येक कार्यक्रम में अलग-अलग विधियाँ उपयोग में ली जाती हैं, यह न केवल कार्यक्रम पर परन्तु सीखने वाले पर भी निर्भर करता है और साथ ही साथ विषयवस्तु पर भी आधारित होता है। सिखाने की विधियों में ई-लर्निंग के साथ-साथ पारम्परिक शिक्षण पद्धतियों का भी उपयोग किया जा सकता है तथा इंटरनेट की सहायता से अत्यन्त अल्प व्यय में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की चाही गई जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

आधुनिक युग में रोजगार प्राप्ति के अवसरों को खोजना, रोजगार हेतु आवेदन करना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज्ञान अर्जित करने में ई-लर्निंग एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। आने वाले वर्षों में या कहें 2020 तक सभी शिक्षित लोगों के लिए कई नये अवसर मिलेंगे व नये द्वार खुलेंगे, जिसमें ई-लर्निंग एक उत्कृष्ट पायदान पर अपना स्थान बना चुका है। आने वाले समय में विद्यार्थी को अपनी दक्षताओं को सशक्त कर ई-लर्निंग को अपनाना होगा। हमें शिक्षा के आधुनिक माध्यमों के अनुसार परम्परागत शिक्षण विधियों में बदलाव लाने होंगे। साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के लिए अनेक सूचनाओं के आदान-प्रदान, संस्कृति ज्ञान एवं भिन्न विशेषताओं को जानने के लिए एक सामाजिक नेटवर्क का भी निर्माण कराना आवश्यक हो जाएगा।

ई-लर्निंग के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य– जीवन में काम आने वाली शिक्षण पद्धतियों के आधुनिकीकरण द्वारा ज्ञान, कौशल एवं दक्षता परिवर्तित किए जा सकते हैं, जिनके द्वारा औपचारिक-अनौपचारिक एवं सूचनाओं पर आधारित शिक्षा प्रसारित की जा सके। ई-लर्निंग द्वारा हम जान सकते हैं- • आम लोगों तक शिक्षा ई-लर्निंग द्वारा दूरस्थ स्थानों तक बिना कठिनाई के पहुँचा सकते हैं। • ई-लर्निंग से शिक्षा एवं प्रशिक्षणों की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। • शिक्षा के क्षेत्रों में नवाचारों व रचनात्मकता के साथ प्रायोगिकता को भी ई-लर्निंग से बढ़ाया जा सकता है। • आधुनिक शैक्षिक एवं व्यावसायिक दक्षताओं को बढ़ावा देने के लिए अध्यापकों को ई-लर्निंग द्वारा ज्ञान एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने से गुणवत्तापूर्ण आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करना सिखाया जा सकता है।

यह देखने में भी आया है कि अध्यापकों के प्रारम्भिक शिक्षा-शिक्षक, शिक्षा के समय उन्हें सम्पूर्ण ज्ञान नहीं होता है- इसकी पूर्ति रिफ्रेशर कोर्स द्वारा अर्जित कर करवा सकते हैं, जो सक्षम संस्थाओं एवं दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा ही हों।

21वीं सदी के विद्यालयों में विद्यार्थी के स्तर एवं सीखने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयास- • मातृभाषा में सम्प्रेषण कौशल का उपयोग। • अंग्रेजी/विदेशी भाषाओं का प्रभावी सम्प्रेषण। • गणित, विज्ञान एवं तकनीकी विषय में प्रभावपूर्ण दक्षताओं को बढ़ाना। • अंकीय दक्षताओं का प्रयोग करना। • कार्य को प्रवर्तित करने की क्षमता एवं समस्या हल करने का प्रयास। • सांस्कृतिक जागरूकता एवं भावाभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। • सिखाने के लिए सीखना आवश्यक है। तकनीकी दौड़ में अध्यापकों को पकड़ करनी होगी नवाचार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराना। ये सब सम्भव केवल ई-लर्निंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण और साधनों से ही हो सकेगा। इन साधनों के माध्यम से अध्यापकों का; 1. कम्प्यूटर सीडी रोम (CD-ROM) के साथ सहयोगात्मक जुड़ाव एवं सम्प्रेषण के माध्यमों के साथ घनिष्ठ व प्रसंगात्मक जुड़ाव और विद्यालय विषयों के अधिगम क्षेत्र के साथ कठिन बिन्दुओं की तलाश कर अपनी समस्याओं का समाधान कर- अंग्रेजी भाषा के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में ई-लर्निंग का उपयोग करना। 2. प्रारम्भिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को स्थापित, प्रयोग में लाना व उनका रख-रखाव करना। 3. सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के अवसर प्राप्त करना और प्रशिक्षित होना। 4. प्रबोधन समयबद्ध मूल्यांकन एवं कार्य की क्रियान्विति को बढ़ावा देना।

ई-लर्निंग पाठ निर्माण- सर्वप्रथम, एक अध्ययन करके विद्यार्थी एवं अध्यापक की आवश्यकताओं को जानकर, कठिन बिन्दुओं की पहचान की जाती है तथा उसका अनुसरण किया जाता है। अध्यापन के संरचनात्मक एवं रचनात्मक पाठ्यचर्यान्तर्गत परिस्थिति एवं अधिगम के तरीकों को पहचान कर, प्रसंगानुसार उदाहरण व गतिविधियों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर ई-लर्निंग पाठ तैयार किए जाते हैं। इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

अध्यापकों द्वारा स्क्रिप्ट तैयार की जाती है- जिसमें मल्टीमीडिया के साथ अन्तर गतिविधि आधारित समस्त सिद्धान्तों का जुड़ाव किया जाता है, जो लर्नर केन्द्रित होता है। इसमें विषयवस्तु, श्रव्य-दृश्य, ग्राफिक्स, एनिमेशन, अंतराक्षी, शैक्षिक प्रसंग एवं अभिनय प्रमुख हैं। प्रत्येक सीडी में स्वाध्याय एवं समूह अधिगम हेतु 10-15 कठिन बिन्दु विषयवार लिए जाते हैं। जिन्हें विषय अध्यापक कक्षा में उपयोग में ले सकते हैं। तब जाकर यह सीडी न केवल शिक्षक, लर्नर, शिक्षक प्रशिक्षकों आदि के लिए अत्यधिक महत्त्व रखती है, परन्तु व्यापक स्तर पर ई-लर्निंग पाठ पढ़ाने में ज्यादा मददगार होती है। कक्षाकक्ष तथा सुविधायुक्त अधिगम के लिए

श्रीमती लक्ष्मी ननमा प्रशासनिक सूझ-बूझ सम्पन्न कुशल शिक्षा अधिकारी हैं। आप शैक्षिक प्रशासन के साथ में शैक्षिक नियोजन, पाठ्यक्रम संरचना, पाठ्यपुस्तकों के लेखन एवं समीक्षा में निष्णात हैं। शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षणों का ताना-बाना रचने में आपने अथक परिश्रम किया है।

विषयवार पाठ सोच समझकर, स्तर के अनुसार डिजाइन कर निर्मित किए जाते हैं। इस प्रकार का अधिगम विद्यार्थी के व्यक्तिगत एवं समूह शिक्षण में प्रेरणा बढ़ाने व व्यस्त रखवाने में सहायक होते हैं।

ई-लर्निंग से लाभ- • विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय गतिविधियों के लिए प्रेरित करता है। • वर्तमान के वैश्विक परिदृश्य को ई-लर्निंग की सहायता से अधिक से अधिक जाना जा सकता है। विश्व के किसी भी आधुनिकतम ज्ञान, वैज्ञानिक गतिविधियों एवं खोजों के बारे में पूर्ण जानकारी इंटरनेट की सहायता से पलक झपकते ही प्राप्त की जा सकती है। • वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (Video conferencing) की सहायता से शिक्षक एवं विद्यार्थी दूरस्थ क्षेत्रों की भाषा, संस्कृति, रहन-सहन एवं भौगोलिक ज्ञान आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। • जटिल कार्यों को अधिक सुगमतापूर्वक व्यवस्थित किया जा सकता है। • ई-लर्निंग द्वारा किसी भी विषय की सम्पूर्ण जानकारी कई विज्युअल उदाहरणों की मदद लेकर सरल तरीकों से पढ़ाई जा सकती है। • कठिन विषयों को अधिक प्रभावशाली ढंग से समझाने व समझने में ई-लर्निंग एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। • कक्षा कार्यक्रमों में डिक्शन बोर्ड्स, फोर्मस, ई-मेल, वेब क्वेस्ट एवं मोबाइल फोन से आधुनिकतम सूचनाएँ व जानकारी उपलब्ध की जा सकती है।

अंग्रेजी विषय में सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी- आज तकनीकी के इस आधुनिक समाज में ICT शिक्षा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यह शिक्षा 21वीं सदी के विद्यार्थी को एक वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करती है। इस रूप को अपनाने के लिए ई-लर्निंग को समेकित कर अंग्रेजी के पाठ्यक्रम एवं अध्ययनशास्त्र में सहायक की भाँति शामिल करना होगा।

शिक्षण एवं अधिगम के क्षेत्र में ई-लर्निंग एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं मूल्यांकन उपकरण माना जाता है। यह अध्यापक के कक्षा-कक्ष में अध्यापन कराने में विषय सामग्री व व्यावसायिक स्रोतों के रूप में अधिकृत हैं। ई-लर्निंग अध्यापक व विद्यार्थी को भावी सम्प्रेषण के अवसर प्रदान कराता है, साथ ही साथ शैक्षिक कौशलों का भी विकास कराता है। देखा जाए तो यह एक तरह से अंग्रेजी का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि आज प्रत्येक अध्यापक व विद्यार्थी को ई-लर्निंग, ICT कौशल एवं अंग्रेजी विषय की विषयवस्तु उपलब्धि, मुद्दे एवं तकनीक को बढ़ाने के अवसर का विकास करना होगा।

अध्यापक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन ज्ञान अर्जित कर सकता है। इसके माध्यम से कम्प्यूटर से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी प्राप्त होती है और उसी के साथ वर्ड प्रोसेसिंग, मल्टीमीडिया, विषयवस्तु का निर्माण कर प्रस्तुतीकरण की विधियाँ अर्जित करना, सॉफ्टवेयर निर्मित करना, ग्राफिक्स व इलेक्ट्रोनिक्स सम्प्रेषण का प्रयोग तथा ज्ञान, अवबोध एवं कौशल को विकसित करना।

अध्यापक ई-लर्निंग पाठों के लेखन के लिए कुछ विशेष प्रकार के उपकरणों व वर्ड प्रोसेसिंग की प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं– • एक फोल्डर-कम्प्यूटर के अन्तर्गत इमेजेस व ग्राफिक्स का निर्माण करना। • विभिन्न दस्तावेजों-डॉक्यूमेन्ट्स के प्रारूप तैयार करना। • उच्च कोटि की मुद्रित सामग्री तैयार करने के लिए ग्राफिक्स को काम में लिया जा सकता है। साथ ही साथ वेबपेज, मल्टीमीडिया प्रस्तुतीकरण, योजना प्रारूप का सही मूल्यांकन एवं प्राकल्प तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अंग्रेजी विषय के अध्यापक, कक्षा-कक्ष में सूचना सम्प्रेषण तकनीकी माध्यम का अधिकृत प्रयोग करते हुए प्रभावी शिक्षण कराते हुए अपने शिक्षार्थियों को इस तकनीक का ज्यादा प्रयोग एवं इससे अधिक प्रेरित होने की क्षमता ला सकते हैं। इस माध्यम से न केवल अध्यापन में नवीन विचारों को गति मिलती है, परन्तु मीडिया के क्षेत्र को काम में लेते हुए सफलतापूर्वक कक्षा में शिक्षण करा सकते हैं। इसके लिए निम्न जानकारी होना आवश्यक है– • विशेष उद्देश्यों के लिए ई-लर्निंग को कैसे प्रयोग में लिया जाए। • ई-लर्निंग के अधिकतम उपयोग एवं उसकी सफलता के लिए शिक्षक-शिक्षार्थी को यह समझना होगा कि कक्षा और कक्षा-कक्ष के बाहर कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर के बारे में सोचें, विचार करें एवं एक-दूसरे से अन्तरक्रिया भी करें।

ई-लर्निंग एवं अंग्रेजी विषय कक्षा-कक्ष- ई-लर्निंग का अंग्रेजी पाठ्यक्रम में समावेश करने से निम्नांकित लाभ हैं- 1. पढ़ने एवं लेखन कौशल में अभिवृद्धि। 2. सुनने व बोलने- अंग्रेजी भाषा के कौशलों का विकास होता है। 3. स्वतंत्र रूप से अधिगम, रचनात्मकता एवं अपने विचारों को प्रस्तुत करने में ई-लर्निंग सहायक होती है। 4. विद्यार्थी विषयवस्तु को समझने एवं उत्तर देने में ई-लर्निंग का अधिकाधिक प्रयोग कर सकते हैं। 5. भिन्न-भिन्न सूचनाओं को एकत्रित कर विभिन्न पाठों का प्रस्तुतीकरण करना।

ई-लर्निंग में प्रस्तुतीकरण का एक आधुनिक तरीका है- ''पावर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन'' (Power Point Presentation) जिसके द्वारा वक्ता अपनी वार्ता एवं विषयवस्तु को ग्राफिक्स, चित्रों, नक्शों, साउण्ड आदि से और रोचक बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे शिक्षार्थियों को जटिल विषयवस्तु को समझने में काफी आसानी होती है। पॉवर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन, ई-लर्निंग शिक्षण को इस प्रकार से सुदृढ़ बनाता है–

• विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करते हुए एक प्रकार की विषयवस्तु का निर्धारण करना। • सूचनाओं के संग्रहण के लिए वेबसाइट का निर्माण कर उपयोग में लेना। • अलग-अलग माध्यमों से लेखन व आलेखों का प्रकाशन करना। • सहायक सामग्री के उपयोग में वीडियो एडिटिंग (Video editing) फोटो स्टोरिस, मूवीमेकर्स एवं एनिमेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना।

अन्त में यही कहा जा सकता है कि ई-लर्निंग स्वतः ही गुणवत्ता में सुधार नहीं करती, वरन् इसके लगातार नवीनतम प्रयोगों द्वारा शिक्षा क्षेत्र के हर मोर्चे पर नवाचार किए जा सकते हैं। शिक्षाविदों को नवीनतम सूचना, कम्प्यूटर तकनीकी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के क्रम में प्रशिक्षण संस्थानों एवं विद्यालयों को आधुनिकतम ज्ञान एवं तकनीकी की मुख्यधारा से परिचित होना होगा, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। शिक्षण का पाठ्यक्रम एवं विभिन्न शिक्षण विधियाँ मस्तिष्क की रचनात्मकता को अच्छा निखार सकते हैं। साथ ही साथ अधिक विकास भी करा सकते हैं। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि नया पाठ्यक्रम मस्तिष्क में निरन्तर बदलाव लाने की प्रक्रिया एवं प्रणाली है। अतः स्वतः ही विद्यार्थी अधिक से अधिक अपने मस्तिष्क से ई-लर्निंग का प्रयोग करते हुए रचनात्मकता का विकास कर सकते हैं।

– निदेशक रा.रा.शै.अ.प्र. संस्थान, उदयपुर

107 वर्षीय महिला का कूल्हा बदला

चिकित्सा विज्ञान में हो रहे नित नूतन चमत्कार सुनने वालों को दाँतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दिल्ली में 107 वर्षीय वृद्धा विद्यावती का सफलतापूर्वक कूल्हा बदलाने (हिप ट्रांसप्लांट) में सफलता प्राप्त की है। फिलहाल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में कूल्हा बदलवाने वाली सबसे बुजर्ग महिला के रूप में ब्रिटेन की लिली वॉटर्स का नाम दर्ज है। विद्यावती ने भगतसिंह, सुखवीर और राजगुरु से जेल में मुलाकात की थी। हिप ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करने वाले डॉ. मैगजीन ने बताया कि उन्होंने मरीज की टूटी हुई हड्डी को विशेष बोन सीमेण्ट की सहायता से बदला गया।

6 माह के बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी

गुलाबी नगरी जयपुर स्थित जयपुर हार्ट इंस्टीट्यूट में महज 6 माह को आयु व 3.900 कि.ग्रा. वजन वाले बच्चे हरीश की ओपन हार्ट सर्जरी कर उसके दिल में एक सेन्टीमीटर छेद को दुरुस्त किया। चिकित्सा क्षेत्र में इसे वेन्ट्रीकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं जिसका समय पर इलाज नहीं होने पर फेफड़े पर दबाव बढ़ता है जो जानलेवा सिद्ध हो सकता है। चिकित्सकों के अनुसार इतनी कम आयु तथा कम वजन के बच्चे के दिल के ऑपरेशन का यह पहला मामला है। इसमें हार्ट लंग्स मशीन पर मोडिफाइड अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक का प्रयोग किया गया जिसमें शरीर से अधिक पानी निकालने के कारण ऑपरेशन के बाद हार्ट पर दबाव कम पड़ता है।

लो, लैब में बना ली किडनी

स्कॉटलैण्ड में एडिनवर्ग विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञानियों ने प्रयोगशाला में किडनी बना लेने का कार्य किया इस हेड उन्होंने स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया। दरअसल इन्हीं स्टेम सेल्स से शरीर के ब्लॉक बनते हैं। एम्नियोटिक द्रव तथा पशु भ्रूण के सेल्स से लैब में किडनी को विकसित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि एम्नियोटिक द्रव कोख में भ्रूण को सुरक्षित घेरे में रखता है। द स्कॉट्समेन में छपी रिपोर्ट के अनुसार लैब में बनी किडनी आधा सेन्टीमीटर लम्बी है। चिकित्सा विज्ञानियों को विश्वास है कि यह छोटी सी किडनी इंसान के शरीर में लगाए जाने के बाद विकसित होती रहेगी।

बन गया है कम्प्यूटराइज्ड ब्रेन मैप

वॉशिंगटन स्थित एलन इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन साइंस के वैज्ञानिकों ने चार वर्ष की सतत मेहनत के पश्चात् कम्प्यूटराइज्ड ब्रेन मैप तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। इससे चिकित्सकों को मस्तिष्क से जुड़ी विभिन्न बीमारियों जैसे अनजाइमर, ऑटिज्म आदि के बारे में बेहतर समझ मिलेगी। शोधकर्ता चिकित्सकों के अनुसार उन्होंने मस्तिष्क की विभिन्न कोशिकाओं से जुड़ी बारीक जानकारियों को इकट्ठा किया। इन सभी को कम्प्यूटर में डाला गया ताकि मस्तिष्क की एक जगह से दूसरी जगह तक के मैप को बिल्कुल सही दिशा के साथ बनाया जा सके। क्यों है न ब्रेन मैप का बनना एक कमाल; पर कमाल कर दिखाना ही तो विज्ञान है।

इंजेक्शन इन - दृष्टिहीनता आउट

ब्रिटेन के यार्कशायर आई हॉस्पिटल के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की अन्तर्राष्ट्रीय टीम ने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया है जो दृष्टिहीनता से निज़ात दिलाने की ताकत रखता है। यह इंजेक्शन रेटिना के समीप एंटी-इंफ्लामैटरी दवा डालता है जिससे दृष्टिहीनता नहीं होती। इतना ही नहीं आँखों की गई रोशनी भी वापिस लौट आती है। इस चमत्कार पर तो यही कह सकते हैं कि इंजेक्शन इन - दृष्टिहीनता आउट।

वेट माइनस = मेमोरी प्लस

शरीर का भार घटाने से कई बीमारियों से दूर रह जाने की बात हो सुनते आए हैं मगर वॉशिंगटन स्थित केंट स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि भार घटाने से व्यक्ति की याददाश्त और एकाग्रता बेहतर होती है। एक अध्ययन में बैरियाट्रिक सर्जरी के मरीजों में 12 सप्ताह पश्चात याददास्ती बेहतर पाई गई। एक स्टडी बैरियाट्रिक सर्जरी करवाने वाले लगभग 150 मरीजों पर की गई। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन गन्सटैड ने बताया कि यह अध्ययन इस बात का सबूत है कि इस सर्जरी के बाद मरीज की याददाश्त और एकाग्रता बेहतर हो सकती है।

मृत देह देगी नव जीवन

साभार : राजस्थान पत्रिका, जयपुर 28 अप्रैल, 2011

गुलाबी नगरी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में कैडेवर ट्रांसप्लांट शुरू होने जा रहा है। इसके शुरू होने से वह व्यक्ति जो वेंटीलेटर पर है, वह पाँच व्यक्तियों के लिए जीवनदायी बन सकता है। इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी- एक रोगी, जो वेंटीलेटर पर है तथा उसकी ब्रेन मृत्यु हो चुकी है। यह तय है कि जैसे ही उसे वेंटीलेटर से हटाया जाएगा, उसकी वास्तविक मृत्यु हो जाएगी। इस स्थिति में भी वह व्यक्ति पाँच लोगों के लिए जीवनदायी बन सकता है। वास्तविक मौत से पहले उसकी आँखें, दो गुर्दे, एक लीवर, एक हृदय और एक पैनक्रियाज निकालकर जरूरतमंद व्यक्ति को लगाए जा सकते हैं। इसे कैडेवर ट्रांसप्लांट नाम दिया गया है।

चिकित्सा विज्ञान के अनुसार कैडेवर ट्रांसप्लांट के अन्तर्गत ब्रेन डेथ के बाद व्यक्ति के शरीर से गुर्दा निकालकर अधिकतम 24 घंटे के भीतर उसे जरूरतमंद व्यक्ति के शरीर में लगाया जा सकता है। लीवर व पैनक्रियाज का प्रत्यारोपण इन्हें निकालने के बाद अधिकतम 6 घंटे में कर दिया जाना चाहिए। ब्रेन डेथ के बाद एच.एल.ए. लैब में आवश्यकता वाले व्यक्ति से उसकी मैचिंग की जाती है।

यह उल्लेखनीय है कि देश में हर साल लगभग 3500 से 4000 लोग किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं तथा 500 लोग लीवर प्रत्यारोपण। एक अनुमान के अनुसार हर वर्ष किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए 20,000 किडनी की आवश्यकता होती है।

इधर जयपुर के ही एक निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने एक मरीज की पूरी तरह खराब हो चुकी भोजन नली का जटिल ऑपरेशन आंतों के हिस्से से भोजन की नई नली बनाने में सफलता प्राप्त की है।

अजमेर : राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के नवनिर्मित भवन का शुभारम्भ राजस्थान दिवस, 30 मार्च 2011 को हुआ। इस अवसर पर पक्षियों के लिए परिंडा बाँधो अभियान का भी शुभारम्भ किया गया।

देश में स्कूलों की वृहत् कम्प्यूटरीकरण योजना एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च नेटवर्क का शुभारम्भ 30 अप्रैल 2011 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गनाहेड़ा में केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार राज्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने किया। इस अवसर पर श्री पायलट ने कहा कि कम्प्यूटर कौशल प्राप्त होने से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कर सकेंगे।

इस योजना के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 247 माध्यमिक विद्यालयों में 5-5 कम्प्यूटर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ही वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था के लिए जनरेटर भी उपलब्ध रहेंगे।

बीकानेर : माध्यमिक शिक्षा आयुक्त श्री भास्कर ए. सावन्त ने दिनांक 16 मार्च 2011 को रिड़मलसर स्थित स्काउट प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन किया। उन्होंने प्रशिक्षण केन्द्र पर बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली से लगाए गए पेड़-पौधों के रखरखाव की प्रशंसा की। केन्द्र पर स्थापित हट्स, शिविर प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण विधियों प्रशिक्षण के वार्षिक कार्यक्रम, केन्द्र के इतिहास, सागर तालाब तथा वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी मण्डल सचिव श्री अशोक खन्ना ने प्रदान की। **श्री डूंगरगढ़** स्थित राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार समिति और भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर के संयुक्त तत्त्वावधान में पुस्तक, पाठक एवं पुस्तकालय विषय पर संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 27 मार्च 2011 को किया गया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि सम्भागीय आयुक्त श्री सूरजमल मीणा तथा अध्यक्ष भारत संचार निगम लि. के उप महाप्रबन्धक श्री पी.आर. लाल थे।

शतायु होने पर श्री तेजकरण डंडिया का सम्मान

राजधानी जयपुर के यशस्वी महावीर स्कूल का प्रांगण उस समय गौरवान्वित हो गया जब वहाँ शतायु होने पर प्रदेश के स्वनामधन्य गुणी शिक्षक श्रीयुत् तेजकरण डंडिया गुरुवार, 20 जनवरी 2011 को भावभीना स्वागत व सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत तथा विशिष्ट अतिथि महामहिम राज्यपाल गुजरात श्रीमती कमला थीं। इस अवसर पर अतिथि महानुभावों ने श्री डंडिया के शिक्षा क्षेत्र में महती योगदान की प्रशंसा करते हुए उन्हें शिक्षा का भीष्म पितामह बताया। वस्तुतः डंडिया साहब का यह स्वागत-सम्मान राजस्थान के लाखों शिक्षकों का सम्मान था जो शिक्षकों में प्रेरणा का नया जोश फूँकेगा। श्री तेजकरण डंडिया के सम्मान में अभिवंदन पत्र माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत के कर कमलों से उन्हें अर्पित किया गया।

यह उल्लेखनीय है कि श्री डंडिया गणित विषय के निष्णात शिक्षक रहे हैं। माध्यमिक कक्षाओं के लिए आप द्वारा रचित नूतन गणित पुस्तक अत्यन्त रुचिकर व लोकप्रिय सिद्ध हुई। अब से तीन-चार दशक पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज. अजमेर से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने डंडिया साहब द्वारा रचित पुस्तक नूतन गणित को नहीं पढ़ा हो। इतना ही नहीं उन्हें आज भी उसकी स्मृति बनी हुई है। ऐसी सरस, सरल व रुचिकर प्रस्तुति थी नूतन गणित की। यह तो एक उदाहरण है, हकीकत यह है कि डंडियाजी के योगदान को शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। इस अवसर पर श्री महावीर दिगम्बर जैन शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष श्री नरेश कुमार सेठी एवं मानद मंत्री श्री राजकुमार काला सहित परिषद् के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके जीवन अनुभवों में से चुने गए अनुभव मोतियों की माला बनाकर एक पुस्तक 'उजाले मेरी यादों के अपने पास रहने दो' का प्रकाशन किया गया है। उनका पता बी/8, राजेन्द्र मार्ग, बापू नगर, जयपुर-302015 तथा फोन नं. 0141-2711127 है।

जयपुर : स्थानीय स्काउट/गाइड एसोसिएशन के सौजन्य से वरिष्ठ शिक्षकों एवं उनके शिष्यों का होली स्नेह मिलन समारोह 27 मार्च 2011 को रखा गया। जयपुर से प्रकाशित राष्ट्रीय बाल मासिक बच्चों का देश को बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केन्द्र के तत्वावधान में सर्वश्रेष्ठ बाल पत्रिका के सम्मान से नवाजा गया है।

उदयपुर : राजकीय बालिका उ.मा. विद्यालय, आयड़ में नवनिर्मित सरस्वती मन्दिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 9 अप्रैल 2011 को आयोजित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि इस सरस्वती मन्दिर का निर्माण सेवानिवृत्त व्याख्याता डॉ. मनोरमा अय्यर द्वारा करवाया गया है। राजकीय गुरु गोविन्द सिंह उ.मा. विद्यालय, उदयपुर में कार्यरत व्याख्याता डॉ. ईशा धर्मावत द्वारा लिखित पुस्तक मंद अधिगमकों का शैक्षिक अनुसंधान का विमोचन 26 मार्च 2011 को हुआ।

सीकर : कुमारी प्रियंका जाखड़ मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर के सौजन्य से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएगी। ट्रस्ट द्वारा घोषित छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अनुसार प्रतिवर्ष सीकर जिला स्तर पर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिका को 3100 रुपये तथा तहसील स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रतिवर्ष 2100 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार प्रति वर्ष गांव अटवास के विद्यालय से सैकण्डरी स्कूल परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिका को 1100 रुपये छात्रवृत्ति स्वरूप दिए जाएँगे।

टोंक : नेशनल ग्रीन कोर योजना के अन्तर्गत राजकीय उ.मा. विद्यालय देवली में 22 मार्च 2011 को स्थानीय ईको क्लब के माध्यम से पक्षियों के लिए जल पात्र स्थापना एवं उनमें जलापूर्ति की गई। प्रधानाचार्य श्री महावीर जैन ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने-अपने घरों में पक्षियों के लिए पात्र लगाकर उनमें नियमित पानी भरें।

पुस्तक परिचय

त्रिभुवन को सुख लागत फीको : *अन्नाराम सुदामा; आशुतोष प्रकाशन, गंगाशहर, बीकानेर, सं. 2009; पृष्ठ 112; मू. 125 रु.*

'त्रिभुवन को सुख लागत फीको, श्री अन्नाराम सुदामा का नवीनतम उपन्यास है। 85 पार के अन्नाराम सुदामा का यह उपन्यास मानवीय-अस्मिता के बचाव का अनुष्ठानिक प्रयास है। शाश्वत जीवन मूल्यों की प्रस्थापना की ललक इसमें देखी जा सकती है। आज हमारे चारों तरफ जो वातावरण है वहाँ सिर्फ बँटा हुआ आदमी है– जातिवाद में और सम्प्रदायवाद में फँसा हुआ आदमी है उग्रवाद और आतंकवाद में। भोगवाद उसका लक्ष्य बना हुआ है। व्यवस्था का भ्रष्टाचारीकरण और राजनीति का अपराधीकरण आज के आदमी के सामने भयानक चुनौती बनकर खड़े हैं। सामाजिक स्तर पर आदमी का कद छोटा है दीवारें बड़ी हैं। 'त्रिभुवन को सुख लागत फीको' के जरिए अन्नाराम जी इन्हीं दीवारों से लड़ना चाहते हैं। इन्हीं भयानक चुनौतियों से टकराना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पौराणिक कथा को आधार बनाया है। युगीन सन्दर्भों में शाश्वत मूल्यों की पड़ताल की गई है। इस सृजन की प्रेरणा में मां की संकल्पना पूर्ण करने का पश्चाताप धर्मा प्रयास सम्मिलित है तथापि इसमें सार्थक मानवीय जीवन जीने के सोपानों के प्रति भीतरी कशिश भी निहित है। कृति आद्यांत हनुमान के सेवाधर्म को एक बड़े मूल्य के रूप में प्रस्थापित करती हुई बहती है। पूर्वदीप्ति और चित्रात्मकता के बीच प्रेरणामयी माँ और सतत सेवा, निस्वार्थ सेवा और पीड़ित मानवता के प्रति चिन्ता के प्रतीक हनुमान के बीच कथा स्फुलिंग तैरते हैं। संवाद ओजगुणी रूप में स्वाभाविक है। शैलीशिल्प की सहजता सुदामा जी की आदत है। यह सहजता शब्दों की तात्समिकता में खुलती है। कृति दो भागों में है दूसरे भाग में जहाँ मूल उपन्यास है वहीं पहला भाग स्वगत कथन है। जहाँ तर्क हैं, पीठिका का खुलासा है। कथा की पृष्ठभूमि में फैला मानवीय जीवन का विरोधाभास है जिससे लड़ना ही लेखन का उद्देश्य है।

सत्रह प्रखण्डों में विभक्त समीक्ष्य उपन्यास की कथा हनुमान के जन्म; किशोर और युवामन के क्रमशः उत्साह, आकांक्षा और संकल्पों की एक सहज उड़ान है। उपन्यास 29वें पृष्ठ से आरम्भ होता है। उससे पहले 26 पृ. तो सृजन प्रेरणा के सूत्र खोलने का प्रयास है। पौराणिक कथा को युग सन्दर्भों में जानने का प्रयास भी इसमें शामिल है। रामकथा का हनुमान के सन्दर्भ से पुनर्पाठ रचनाकार का मूल उद्देश्य है। नैतिकता के आन्तरिकता और बाह्य औचित्य की तलाश भी कथा में संचरण करती है। त्रिभुवन का सुख भी जिसे फीका लगता हो; आनंद का जो वाहक है; सेवा धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है, हनुमान के ऋष्यमूक पर्वत पर आवास से खण्ड-एक का आरम्भ होता है। माँ और हनुमान के जरिए माँ-पुत्र के सम्बन्धों की गहराइयों की पड़ताल भी है। माँ से मिलने की चाह इस खण्ड में है। खण्ड दो जहाँ मातृ-मिलन प्यास में माँ से मिलने की कथा भी है। यही माँ होने की सार्थकता को खोजते हुए माँ के प्रेरक, बीज-संस्कारजन्य प्रोत्साहन, दिग्दर्शक एवं प्रथम गुरु रूपी गुणों को रेखांकित भी किया गया है। मनुष्य जीवन की सार्थकता का यह संवाद खण्ड तीन में है– ''जीवन हो तो चाँदनी की तरह चमकता प्रसन्न और पारदर्शी। जीवन मिलता ही इसीलिए है। उदासी अभिशाप है। दृष्टि जितनी दूर जाती है सारा दृश्य उन्हें चाँदनी में नहाता लगता है।'' इस तरह उपन्यास लेखक के अस्सी पार अनुभवों का सार हमारे सम्मुख रखता है जहाँ मनुष्य जीवन की सार्थकता की तलाश जारी है और सार्थकता के बिन्दु आकार लेते दृष्टिगत होते हैं। चार पाँच छह खण्ड में राम से भेंट; राम के द्वारा बालिवध, सुग्रीव-त्राण, सुग्रीव के राज्याभिषेक की कथा दौड़ती सी वर्णित है। किन्तु इस दौड़ का सूत्र सार्थकता की तलाश के इर्द-गिर्द ही रही है। प्रकृति चित्रण के सुन्दर दृश्य इन खण्डों का उल्लेखनीय हिस्सा हैं। ये हिस्से जहाँ सुग्रीव के व्यक्तित्व के माध्यम से आदर्श च्युत होने को रेखांकित करते हैं वहीं राम की विराटता, भव्यता एवं मूल्य-निष्ठा को उकेरते हैं। सात से दस तक का खण्ड कथा विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हनुमान का सागर सन्तरण, सुरसा से भेंट लंकिनी से भेंट एवं जानकी से भेंट का अंकन है जो सेवाधर्म के प्रतीक हनुमान के माध्यम से युवाओं को व्यक्तित्व निर्माण से कृतित्व साधने के कौशल का पाठ पढ़ाया गया है। उपन्यासकार उपदेशक कथाकार अधिक प्रतीत होता है। यही प्रतीति अनुभव के अन्तरण की कोशिश है। ग्यारह-बारह और तेरह अक्षयकुमार के वध से हनुमानबंधन तक पूंछ अगन से लंका दहन तक की कथा सन्निहित है। चौदह से सत्रह तक की कथा वितान रावण वध से रामराज्य की स्थापना के तन्तुओं से बुना गया है।

कथानक सहज सरल ज्ञात-विख्यात होने के बावजूद एक शाश्वत बहस को पुनर्जीवित करना चाहता है। इस चाहत में रचनाकार समकालीन सन्दर्भों को खंगालता है। हनुमान के माध्यम से आदमी के 'जीवेत शरद शतम' के आधारों की खोज भी शामिल है। वस्तुतः कथा में व्यथा छुपी है। व्यथा संवेदना संचालित है। संवेदना गहनता लिए है तथा गहराई में पुराख्यान की विराटता और व्यापकता है। सभी कुछ सहज मन की प्रतिक्रिया शिल्प प्रयोगों से इतर एवं वचनविदग्धता से दूर चित्र वैभव के साथ समय के सबसे बड़े सवाल से टकराती कथाकृति है। यह कहना अतियुक्ति न होगी कि यह कृति मनुष्य के सम्पूर्ण एवं संश्लिष्ट रूप की खोज में सेवाधर्म का पाठ है। इसका वाचन भी अनुष्ठानिक भाव के साथ होना चाहिए मानवीयता में श्रद्धा के साथ। कृति अपनी भिन्न छवि के साथ कथात्मक गुणात्मकता की ओर में बहस का अलग स्पेस बनाने में सक्षम है।

डॉ. उमाकांत, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर

सूरज का संदेश : *गोविन्द भारद्वाज; श्याम प्रकाशन, नाटाणियों का रास्ता, जयपुर; संस्करण 2009; पृष्ठ 80; मूल्य 100 रुपये।*

केवल बच्चों के लिए साहित्य लिखना बहुत ही कठिन कार्य है। बच्चों के लिए रचना करते समय रचनाकार को बच्चों की समझ के अनुरूप साहित्य सृजन करता होता है, कविता बच्चों को सर्वाधिक प्रिय लगती है। इसलिए बाल साहित्य के क्षेत्र में इस विधा के वैशिष्ट्य से परिपूर्ण लेखक ही उल्लेखनीय कार्य कर सकता है।

'सूरज का संदेश' बाल कविताओं का ऐसा संकलन है जिसमें बच्चों के मन को प्रफुल्लित करने वाली रचनाएँ हैं। प्रकृति से साक्षात्कार कराती हुई रचनाएं सूरज, बादल, ओस, धूप, मोर, अनार, घोड़ा, पतंग, जहाज आदि प्रतीकों की सहायता से बाल मन को

रोमांचित करती हैं।

साथ ही मानवता, देश-प्रेम व करुणा के भावों को जगाने का प्रयास करने वाली रचनाएं भी इस संकलन की विशेषता हैं। रचनाएं पतंग, गुब्बारे, बस, रेल से आगे मजदूर, किसान व सैनिकों की पृष्ठभूमि से सुन्दर परिचय करवाती हैं। कुछ उदाहरण–

''ढलता सूरज कहता जाए, कल फिर मैं आऊँगा/मिटाकर रात का तम, जग को राह दिखाऊँगा/स्वयं जलकर दूजों को मैं रोशन कर जाऊँगा/सोए हुए को जगाकर निज कर्तव्य निभाऊँगा/ज्ञान ज्योति फैलाकर शाम ढले मैं जाऊँगा/मत बुझाना मन का दीया सबको समझाऊँगा।''

बच्चों के मन को गुदगुदाने वाली रचना है–

दूर गगन से आती ओस, सारे चमन में छाती ओस/नन्हीं नन्हीं, प्यारी सी होती, चुपके से कलियों पर सोती/पाकर स्नेह कंचन किरणों का चमक उठती बनकर मोती।

गोविन्द भारद्वाज की बाल कविताएं बाल साहित्य की प्रमुख कविताओं के रूप में निरन्तर प्रकाशित होती रहती हैं।

'सूरज का संदेश' संग्रह की रचनाएँ भी भावी पीढ़ी को साहित्य से जोड़े रहने का सार्थक प्रयास है। संग्रह की भाषा सरल और बोधगम्य है। बच्चों को कविताओं के माध्यम से प्रकृति का खजाना मिला है।

– रिचा त्यागी, व्याख्याता
ज्ञान विहार यूनिवर्स, जगतपुरा, जयपुर

रपट

अंग्रेजी भाषा शिक्षण की सम-सामयिक विधियों पर राष्ट्रीय सेमिनार

दिनांक 25 मार्च 2011 को स्थानीय वेटेनरी कालेज के भव्य सभागार में प्रातः 11 बजे ईएलटीआई एवं सीईजीएस बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में 'अंग्रेजी भाषा शिक्षण की सम-सामयिक विधियों' पर राष्ट्रीय सेमिनार का हैदराबाद के प्रो. एन. कृष्णस्वामी ने शुभारम्भ किया। समारोह के प्रारम्भ में मंचस्थ अतिथियों सर्वश्री प्रो.एन. कृष्णा स्वामी, प्रो. ललिता कृष्णा स्वामी, डा. अरुण जोशी, डा. सोनू शिवा, उमाकान्त ओझा एवं डॉ. चक्रवर्ती नारायण द्वारा सेमिनार स्मारिका का लोकार्पण किया साथ ही प्रो. एन. कृष्णा स्वामी ने सेंटर फार एक्सीलेंस इन ग्लोबल स्किल्स के 'लोगो' का भी अनावरण किया।

मुख्य वक्ता और समारोह अध्यक्ष प्रो. एन. कृष्णा स्वामी ने अपने संबोधन में 'अंग्रेजी शिक्षण के नवीन आयामों' पर विस्तार से चर्चा की। प्रो. एन. कृष्णा स्वामी ने कहा कि ग्रामर ट्रांसलेशन के माध्यम से शुरू हुआ भाषा शिक्षण, स्ट्रक्चरल एप्रोच और कम्युनिकेटिव एप्रोच जैसे सोपानों से आगे बढ़ी पर सही भाषा शिक्षण नहीं हुआ क्योंकि ये सभी तरीके उपनिवेशवादियों की देन थे, यह सच है कि अंग्रेजी वैश्विक भाषा है पर विश्व के अधिकांश देश एक जातीय और एक भाषा-भाषी हैं जबकि भारत सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, सामाजिक और परम्पराओं के विचार से एक अभूतपूर्व देश है अतः यहाँ अंग्रेजी शिक्षण भी तरीके से परे जाकर करना होगा। भारतीय सोच के अनुरूप बालकों की अभिरुचियों और भारतीय संवेगों को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षण हेतु सामग्री देनी होगी तभी उसका लाभ मिलेगा।

डॉ. राधाकृष्णन से लेकर राममूर्ति आयोग तक सभी ने बाल केन्द्रित शिक्षा पर जोर दिया है। अतः हमें बालक और शिक्षक दोनों को प्रशिक्षित करना होगा। स्वदेशी शिक्षण विधियों यथा कहानी, नाटक, संवाद को भाषा शिक्षण का आधार बनाना होगा।

प्रो. स्वामी ने कहा कि अंग्रेजी को दुधारू गाय माना जाता है इसके आधार पर वैभव और यश प्राप्त किया जाता है किन्तु यह भाषा का परिहास है। हम यहाँ भाषा की साधना के लिए एकत्रित हुए हैं।

कल तक अंग्रेजी के घोर विरोधी चीन में आज अंग्रेजी सीखने की होड़ मची है। विश्व के अन्य देशों में भी यही स्थिति है। ऐसी दिशा में हमें भावी संतति के उत्थान के लिए समर्थ भाषा शिक्षक बनना चाहिए। इस सेमीनार ने बहुत आशाएँ जगाई है। राजस्थान के गाँव-गाँव-कस्बे-कस्बे तक ऐसे सेमीनार होने चाहिए।

इससे पूर्व समारोह में स्वागत भाषण देते हुए डॉ. चक्रवर्ती नारायण ने कहा कि हमने कभी बच्चों को नहीं पूछा कि वे क्या पढ़ना चाहते हैं ? क्यों पढ़ना चाहते हैं ? पाठ्यक्रम निर्धारण में बच्चों व अभिभावकों की कोई भूमिका नहीं है। यही भाषा शिक्षण की असफलता का कारण है। सी.ई.जी.एस. बालक को अज्ञान से स्वतंत्र करना, मानसिक गुलामी मिटाना एवं विद्यार्थी को पोषित करने के लिए विशेष प्रशिक्षणों की व्यवस्था करने को संकल्पित है। विद्या ही अमृत है। विद्या के बल पर हमारे छात्र व शिक्षक ऊर्जावान बन सकते हैं। डा. सोनू शिवा ने अपने बीज भाषण में अंग्रेजी शिक्षण की चुनौतियाँ, छात्र व्यवहार, छात्र पृष्ठभूमि, गुणवत्ता, एकात्म ज्ञान और भाषा शिक्षण के उद्देश्यों तथा तरीकों पर प्रभावी रीति से प्रकाश डाला। डॉ. सोनू शिवा ने नवीन शिक्षण तकनीकों और सकारात्मक शिक्षण पर भी प्रकाश डाला।

समारोह के प्रमुख अतिथि डॉ. अरुण जोशी ने कहा कि भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका एवं छात्र-शिक्षक अंतःक्रिया का बहुआयामी विवेचन किया।

ई.एल.टी.आई., बीकानेर के निदेशक श्री उमाकान्त ओझा ने कहा कि बीकानेर में ई.एल.टी.आई. की स्थापना इस मरुक्षेत्र हेतु गौरवमय उपलब्धि है। हम इसे केन्द्र में रखकर सारे राजस्थान के अंग्रेजी भाषा शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा शिक्षण और छात्र सशक्तीकरण में इस सेमीनार से नये आयाम प्राप्त होंगे अन्त में मुख्य समन्वयक श्री रामगोपाल शर्मा ने आभार प्रकट किया।

राष्ट्रीय सेमीनार का प्रारम्भ माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं वैदिक मंगलाचरण से हुआ। श्री राजेन्द्र स्वर्णकार ने मरुनगरी बीकानेर की विशेषताओं पर मारवाड़ी लोकगीत प्रस्तुत किया तथा संचालन श्री भुवनेश स्वामी ने किया।

समारोह में बीकानेर के प्रबुद्ध नागरिक सर्वश्री भवानी शंकर व्यास 'विनोद', ओमप्रकाश सारस्वत, ओ.पी. जाखड़, एल.एन. खत्री, महावीर प्रसाद आचार्य, जानकी नारायण श्रीमाली सहित बड़ी संख्या में शोध अध्येता और शिक्षक सम्मिलित हुए।

– लक्ष्मीनारायण शर्मा
अनुभाग अधिकारी, शिविरा पत्रिका

भामाशाह

अजमेर

रा.मा.वि., काकरा में श्रीमती सरस्वती देवी ने 25000 रुपये की लागत से माँ सरस्वती का मन्दिर बनवाया। विद्यालय को जनसहयोग से 13000 रुपये का इन्वर्टर सेट भी प्राप्त हुआ। • रा.मा.वि., भराई पं.स. केकड़ी में शाला बोर्ड श्री सत्यनारायण प्रजापत ने बनवाया जिसकी लागत 5000 रुपये है। • रा.मा.वि., नाईकलां को ग्रामीणों ने 13500 रुपये का माइक सेट (आहुवा) तथा 101 विद्यार्थियों को सर्वोदय सेवा संस्थान, ब्यावर के सौजन्य से 15150 रुपये मूल्य के स्वेटर वितरित किए गए। • रा.मा.वि., खवास पं.स. केकड़ी में दानदाताओं ने 11 छत पंखे मूल्य 13750 रुपये, अभिभावक समिति से 1600 रुपये मूल्य की 4 प्लास्टिक कुर्सियां, बुप्रदान से 7000 रुपये मूल्य की कमरों में लाइट फिटिंग तथा 6000 रुपये मूल्य की स्टेशनरी बच्चों में वितरण करने हेतु प्राप्त हुई। • रा.बा. उ.प्रा.वि., लोहाखान में डॉ. एम.एस. कोठारी ने 7000 रुपये, श्री रमेश ने 1400 रुपये तथा विमला शर्मा ने 900 रुपये मूल्य की स्वेटर बालिकाओं को वितरित की; चैनसैंबर ने 4000 रुपये लगाकर चार कमरों में बिजली फिटिंग कराई, राजकुमारी श्रीवास्तव ने 920 रुपये मूल्य का एक छत पंखा तथा हाजानी दरबार साहिब तथा महावीर इंटरनेशनल ने क्रमशः 5000 रुपये व 2000 रुपये मूल्य की स्टेशनरी सहयोग प्राप्त हुआ। • रा.उ.मा.वि. सहारा में श्री रामकुवार कुंभकार ने 12500 रुपये लगाकर वाटर टैंक का निर्माण करवाया तथा श्री भैंकर नरेन्द्र सिंह द्वारा मैनल गेट तथा मुख्यद्वार बनवाया गया। • रा.उ.मा.वि., हरमाड़ा को सर्वश्री हजारी मल बगरिया द्वारा नल कनेक्शन एवं पानी की टंकी मूल्य 3000 रु., श्री गोपाल द्वारा सीमेन्ट 2250 रु., किशनलाल द्वारा बजरी व पत्थर 2100 रु., रामचरण द्वारा सीमेन्ट 2250 रु., सोहनलाल से.नि. शिक्षक द्वारा लेबर स्टैण्ड 2200 रु., रामनारायण नंदलाल घांघा द्वारा सीमेन्ट 2250 रु., अर्जुनराम क्रांकर द्वारा सीमेन्ट 1125 रु., कालू जी घांघा बजरी 1500 रु. हगामी देवी नकद 500 रु., सीमा बगरिया शाला भवन की पुताई 7000 रु., सैफद मोहम्मद काजी नकद 1100 रु., रामरतन मुख्यद्वार 9200 रु. प्रवीण जैन से 5800 रु. मूल्य की 16 कुर्सियां तथा डॉ. डीराकाल से नकद 51,000 रुपये प्राप्त हुए। • रा. सिन्धी उ.प्रा.वि., ब्यावर में श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा पूर्व प्र.अ. ने 21 स्वेटरों का वितरण करवाया।

तोमारे या दिबेछिनु से तोमारि दान,
ग्रहण करेछ ताँरे तत करेछ आमाय।
(रवीन्द्रसंगीत, 81)

तुम्हें जो दिया था, वह तो तुम्हारा ही दिया दान था। जितना तुमने ग्रहण किया है, उतना ही मुझे भी बनाया है।
–रवीन्द्रनाथ टैगोर

अलवर

रा.उ.मा.वि., जौड़िया में श्री रामकिशन यादव की प्रेरणा से श्री बिहारी लाल ट्रस्ट के सौजन्य से 10,20,000 रुपये लागत से तीन कमरों, बरामदे एवं पोर्च व सीढ़ियों का निर्माण हुआ। • रा.मा.वि. बामनवास पं.स. बानसूर में सर्वश्री विनयकुमार शर्मा ने 1,40,000 रु. से एक कमरा मय बरामदे, गुलाबराम यादव ने 60,000 रु. से कमरा मय बरामदे, बलवीर सिंह यादव ने स्टेज लागत 32000 रु. निर्माण करवाया व 5000 रुपये मूल्य का लेबर स्टैण्ड तथा बंशीलाल मेघवाल ने 10,000 रुपये मूल्य के 10 छत पंखे भेंट किए। • रा.उ.मा.वि. तालाब में श्रीमती कमलादेवी ने 8" बोर (कम्पलीट) करवाकर पेयजल की समस्या से निजात दिलाई। इस निर्माण कार्य की लागत 85000 रुपये है। • रा.मा.वि., बाना राजावती में ग्रामवासियों ने लोहे के टेबल-स्टूल 250 सेट प्रदान किए जिनकी लागत 1,90,000 रुपये है। • रा.उ.प्रा.वि., नांगलिया पं.स. बहरोड़ में श्री बादराम यादव ने 20'×25' नाप के कमरे का निर्माण करवाया जिसकी लागत 1,50,000 रुपये है। • रा.उ.प्रा.वि. नं. 1 बहरोड़ में सर्वश्री रामकृष्ण माहेश्वरी ने 20 स्वेटर 3000 रुपये, राजू पहलवान 10 स्वेटर 1500 रुपये, प्रीतम पंजाबी 10 स्वेटर 1500 रुपये, बसन्ती यादव 1 रैक 2000 रुपये तथा विद्यालय स्टाफ अनाथ टंकी 2000 रुपये व 2 सेट कुर्सी-मेज 2500 रुपये प्रदान किए। • रा.उ.मा.वि. जामडोली को सर्वश्री देवकरण मीणा से एक छत पंखा, डी.सी. मीणा से 5100 रु. नकद तथा मोहरबाई मीणा से 1100 रु. नकद प्राप्त हुए।

चूरू

शहीद भगवान सिंह रा.उ.प्रा.वि. सूणासर में स्वीकृत से आम पर्यटकों ने एक कम्प्यूटर सेट मय प्रिन्टर भेंट किया। साथ ही अनुप्रत समिति महिला मण्डल, राजलदेसर व श्री सुगनसिंह, सूणासर के सौजन्य से 4-4 छत पंखे तथा श्री जनसिंह, सूणासर से 15'×12' नाप की एक दरी प्राप्त हुई। • रा.मा.वि., चारियां को श्री एन.आर. चौधरी से 5000 रुपये नकद प्राप्त हुए। • रा.मा.वि. डाकलिया चारणवान में सर्वश्री बिजनाराम जांगिड़ ने 41,000 रु. लगाकर जलमन्दिर, हनुमान प्रसाद मोटसरा, से.नि. शिक्षक ने 24,000 रु. से मुख्य गेट व साइड गेट, मोहनलाल मोटसरा ने 23,000 रु. मूल्य की तीन आलमारियां तथा टीकूराम प्रजापत ने 3400 रु. मूल्य के ट्री-गार्ड निर्माण/उपलब्ध करवाए। • रा.मा.वि., बुढ़ानसर बड़ा को सर्वश्री फाकूराम तिवाड़ी से 11000 रु. बिजली फिटिंग, सुमेरमल मनीषकुमार बालाण से 10,000 रु. के छत छत पंखे तथा 3100 रुपये नकद, नूनकरण मीणा से 5100 रुपये प्र.अ. टेबल हेतु, कक्षा 10 के विद्यार्थियों से 5500 रुपये जन्माष्टमी व सरस्वती चित्र हेतु, मदनलाल आचार्य से 5100 रुपये खेल सामान हेतु, नंदलाल अग्रवाल से 5100 रुपये मरम्मत हेतु चुनीलाल सेवरणाक से 2100 रुपये कुर्सी हेतु, नरहाराम सुथार तथा शिवकुमार शर्मा से 2100, 2100 रुपये लेबर स्टैण्ड हेतु तथा दलीप कुमार आचार्य से 1300

रुपये बच्चों को पुरस्कार दिए जाने हेतु प्राप्त हुए। **रा.उ.मा.वि., चाड़वास** में सर्वश्री शान्तिलाल चोरड़िया ने 7 लाख रुपये की लागत से दो कमरे 23'×19', बरामदा 17'×25' व 38'×9' का निर्माण करवाया। श्री मोडूराम ढाका ने वाचनालय के आगे 11000 रुपये मूल्य का चैनल गेट लगवाया। श्री बीड़दाराम जाखड़ ने कम्प्यूटर कक्ष में बिजली फिटिंग, जेनरेटर कक्ष निर्माण तथा कम्प्यूटर कक्ष में कारपेट बिछाने का कार्य किया जिनकी लागत 21000 रुपये है। सर्वश्री सत्यप्रताप भटेरा ने 11,000 रु. से शौचालय में पानी फिटिंग, नवरतनमल बच्छावत ने 20,000 रु. के दस पेशाबघर, पूनाराम होदकासिया ने 11,000 रु. से शौचालय (छात्रा), लीलाधर स्वामी ने 11,000 रु. से शौचालय (छात्र) तथा प्रकाशचन्द भार्गव ने 5000 रु. लगाकर पीपल के गट्टे का निर्माण करवाया। विद्यालय को श्री कमल कुमार रामेश्वरलाल स्वामी से चार छत पंखे प्राप्त हुए।

श्रीगंगानगर

रा.मा.वि., पालीवाला में जनसहयोग से चार आलमारियाँ मूल्य 17800 रुपये तथा आँचल ट्रस्ट, सूरतगढ़ से छः दरियाँ (10'×10') मूल्य 6000 रुपये प्राप्त हुईं।

जोधपुर

रा.उ.मा.वि., केरू को श्री लूणाराम शर्मा, व.अ. ने अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर 7600 रुपये विज्ञान प्रयोगशाला हेतु उपकरण, 5000 रुपये लोहे की आलमारी तथा 2000 रु. विज्ञान कक्ष हेतु गैस चूल्हा खरीदने के लिए प्रदान किए। • **रा.मा.वि., बासनी हरीसिंह** को विद्यालय विकास समिति के पंजीयन हेतु 5000 रुपये श्री भैरूसिंह से तथा विद्युत कनेक्शन हेतु डिमाण्ड नोटिस की राशि चुकाने के लिए 4000 रुपये श्री राधूदास वैष्णव से नकद प्राप्त हुए।

नागौर

सेठ खींवराज चोरड़िया रा.मा.वि., नोखा चांदावता को लकड़ी के 50 सेट विद्यार्थी फर्नीचर मूल्य 80,000 रुपये प्राप्त हुए तथा श्री परसाराम (सरपंच) आदि भामाशाहों ने 11,000 रुपये लगाकर एक चबूतरे का निर्माण करवाया। • **रा.मा.वि., आगुन्ता** में स्थानीय भामाशाहों ने 93,000 रुपये मूल्य के लोहे के 100 सेट विद्यार्थी फर्नीचर भेंट किए।

चित्तौड़गढ़

रा.मा.वि., सुखवाड़ा में ग्रामवासियों ने 14 छत पंखे भेंट किए।

जयपुर

रा.उ.मा.वि., अमरसर में श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल ने 7 लाख रुपये से 250 फीट लम्बे बरामदे का निर्माण करवाया तथा 1.5 लाख रुपये मूल्य की खिड़कियाँ व जंगले लगाए। वाटर कूलर 30,000 रुपये श्रीमती सुमित्रा अग्रवाल ने, लेक्चर स्टैण्ड 3000 रुपये श्री महेश शर्मा तथा लोहे के 20 फर्नीचर सेट 20,000 रुपये सागरमल अग्रवाल ने प्रदान किए।

रा.उ.मा.वि., भमोरिया को 2 आलमारी मूल्य 7000 रु. श्री रघुनाथ शर्मा, 2 आलमारी मूल्य 7000 रु. श्री भूराराम चौधरी तथा एक कम्प्यूटर टेबल मूल्य 1600 रुपये श्री सीताराम शर्मा से प्राप्त हुई। **रा.मा.वि., बिन्दायका** में हैण्डपम्प हेतु 25000 रुपये श्री विनोद कुमार जांगिड़, चारदीवारी पेटे 21,000 रु. श्री नीरज अग्रवाल, 15,000 रु. पेयजल व्यवस्था हेतु जयपुर हेरिटेज, रंग रोशन हेतु 8,000 रु. श्री राजकुमार शर्मा, बच्चों को गणतंत्र दिवस पर टिफिन एवं जर्सी वितरण हेतु 2000 रु. श्री कैलाशचन्द योगी तथा गणवेश व पारितोषिक वितरण हेतु 2000 रु. श्री लालाराम स्वामी से प्राप्त हुए।

बीकानेर

रा.मा.वि., जाखासर नया पं.स. श्री डूंगरगढ़ को श्रीमती तारूदेवी पत्नी स्व. श्री तुलछाराम जाट ने 75×135 वर्ग मीटर भूमि दान में दी जिसका मूल्यांकन 5,01,190 रुपये बनता है। **रा.उ.प्रा.वि., मोहनपुरा पं.स. नोखा** को गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक आलमारी मूल्य 5900 रुपये तथा 500 रुपये नकद प्राप्त हुए। • **रा.उ.प्रा.वि. असरासर** को सर्वश्री मघाराम भारोठिया से वाटर कूलर 21000 रु., पुरखाराम मूण्ड से एक कूलर व दो छत पंखे 7500 रु., रामसिंह गुरिया से एक व्हील चेयर व एक पंखा 3600 रु., शिशपाल लकेसर से पानी की टंकी 3000 रु., राजाराम बावरिया से 2 छत पंखे 2200 रु., रामप्रताप स्वामी से विद्युत मोटर 2500 रु., अम्बेडकर युवा मंच से लेक्चर स्टैण्ड 1000 रुपये, सोहनलाल ओझा से चार कुर्सियां 1100 रुपये तथा हबीब खाँ, मुखराम, रामप्रताप, रणजीत सिंह, मोतीलाल, सहीराम, भागीरथ, गंगादेवी यासीन खाँ सबसे एक-एक छत पंखा मूल्य 1100 रुपये प्रति पंखा प्राप्त हुए।

रा.मा.वि., बम्बलू में सर्वश्री खीयानाथ ने एक छत पंखा 1250 रु., कक्षा 10वीं के छात्रों द्वारा एक छत पंखा तथा डूंगरराम नाई व परमनाथ से 1100-1100 रुपये प्राप्त हुए। ग्रामवासियों से 6470 रुपये नकद प्राप्त हुए। श्री भेराराम से तीन छत पंखे तथा 1000 रुपये नकद प्राप्त हुए।

सृजन-आमंत्रण

शिक्षक दिवस प्रकाशन योजना के अन्तर्गत इस वर्ष भी पाँच विधाओं में पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है, जिनका लोकार्पण आगामी शिक्षक दिवस, 5 सितम्बर, 2011 के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में किया जाएगा। प्रकाशित होने वाली पुस्तकों के विवरण इस प्रकार हैं – 1. हिन्दी कविता 2. हिन्दी विविधा 3. राजस्थानी विविधा 4. शिक्षा साहित्य 5. बाल साहित्य।

आप अपनी मौलिक एवं अप्रकाशित रचनाएं वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका, माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर को दिनांक 31 मई 2011 तक अवश्य भिजवाएं। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया परिपत्र क्रमांक – शिविरा/मा/प्रकाशन/5524/2009-10 दिनांक 19 जनवरी, 2011 का अवलोकन करें, जो शिविरा के फरवरी 2011 अंक में प्रकाशित है।

प्रतिध्वनि

साहित्य शिरोमणि की 150वीं जयन्ती

वर्तमान वर्ष 2011 गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयन्ती का वर्ष है। शिविरा का यह अंक श्रद्धा व सम्मान के साथ गुरुदेव को सादर समर्पित है। शिक्षा, साहित्य, चित्रकला, संगीत आदि क्षेत्रों में रवीन्द्र बाबू के योगदान ने न केवल भारत को तत्समय यश दिलाया वरन् वह कीर्तिपताका आज तक फहराए हुए हैं। वे प्रबुद्ध चिन्तक थे। रवीन्द्र साहित्य में मानव की पीड़ा हर कर विश्व बन्धुत्व के भाव जगाने की ताकत है। गीतांजली गुरुदेव की कालजयी रचना है जिसका एक-एक शब्द प्रेम और भाईचारे के रस से भीगा हुआ है। कवि की कल्पना एवं विचारों की श्रेष्ठता व गहराई का अहसास उनके साहित्य से होता है। 'गीतांजली' पर 1913 में उन्हें नोबल पुरस्कार मिला। इससे भारत में ही नहीं, सम्पूर्ण एशिया महाद्वीप में खुशी की लहर दौड़ गई। इससे पहले एशिया महाद्वीप में अन्य किसी विद्वान को यह पुरस्कार नहीं मिला था। वे विश्व कवि हो गए। भारत विश्व गुरु और रवीन्द्र विश्व कवि। रवीन्द्र जब चीन गए, तो वहाँ का सम्राट स्वयं विद्यार्थियों को साथ लेकर उनकी अगुवाई व स्वागत में हाजिर हुआ। ये दृष्टान्त हमारी विमल थाती और साझी विरासत हैं। देश का हर शिक्षक-चिकित्सक, साहित्यकार-चित्रकार-कलाकार, कवि-गीतकार-संगीतकार, बड़ा-छोटा इस उपलब्धि और बौद्धिक सम्पदा पर गर्व कर सकता है। इस बौद्धिक सम्पदा का अन्तरण पीढ़ी-दर-पीढ़ी करने का महती कार्य शिक्षकों को करना होता है।

रवीन्द्र के चरित्र में उत्कृष्टता, प्रतिबद्धता आत्मविश्वास, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता जैसे गुण भरे पड़े हैं। आठ वर्ष में कविता और साठ वर्ष में चित्रकला - उम्र के दो विपरीत ध्रुव लेकिन उत्कृष्टता-श्रेष्ठता बराबर। है न कमाल। रवीन्द्र ने जो किया, प्रतिमान के साथ किया। उनका उत्कर्ष अंग्रेजों के शासन काल में हुआ, जब यह आम धारणा थी कि देश का सब कुछ अंग्रेजों की कृपा पर अवलम्बित है और वे भारत की प्रतिभा को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते। ऐसे समय में हमारे रवीन्द्र बाबू नोबल विजेता बने। अंग्रेज उनकी काबिलियत से प्रभावित थे और उन्हें 'सर' की उपाधि प्रदान की, पर रवीन्द्र का साहस देखिए– जलियांवाला नरसंहार से आहत होकर उन्होंने सर की उपाधि का परित्याग कर दिया। ऐसा देश प्रेम था उनमें।

यद्यपि रवीन्द्र को एक साहित्यकार, कवि व कहानीकार के रूप में ज्यादा जाना जाता है तथापि उनके भीतर में बैठे शिक्षक को समझने की जरूरत है। वे ऐसे शिक्षक हैं जिनके हृदय में देशवासियों को अच्छी शिक्षा देने की तड़पन है। वे प्रकृति के उपासक हैं, मानव व मानवता को प्रतिष्ठा दिलाना उनका संकल्प है। श्रेष्ठता के लिए अपनी योग्यता के सम्पूर्ण समर्पण से कम पर वे समझौता नहीं करते। प्रकृतिजन्य दशाओं एवं वस्तुओं से तादात्म्य रखकर शिक्षा देने-दिलाने को वह मनुष्य की प्रकृति प्रदत्त तासीर मानकर तद्नुकूल शिक्षा व्यवस्था की वकालात करते हैं। अपनी इस भावना को सिद्ध करने के लिए उन्होंने बंगाल में शान्त, सुरम्य स्थल पर शान्ति निकेतन नाम से शिक्षण संस्थान की स्थापना की जो अपनी अनुपम विशेषताओं के कारण सम्पूर्ण विश्व में पहचाना जाता है। आज निजी क्षेत्र में बड़े-बड़े विज्ञापनों वाले स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन क्या शान्ति निकेतन से बराबरी कर सकने की किसी में ताकत है। काश, देश को शान्ति निकेतन जैसे स्कूल एवं रवीन्द्रनाथ जैसे शिक्षक से मिलें।

आज की पीढ़ी के स्कूल संचालकों, शिक्षकों एवं शिक्षा की रीति-नीति निर्धारित कर उसका क्रियान्वयन करने वाले महानुभावों, जन प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धन कुबेरों, वैज्ञानिकों सभी का कर्तव्य बनता है कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को पहल दें और यही तो चाहते थे रवीन्द्र। गुरुदेव की 150वीं जयन्ती के अवसर पर शिविरा उन्हें विनम्र नमन करती हुई, चाहती है कि देश में गुणमयी शिक्षा के प्रसार के लिए वे अपना आशीर्वाद दें।

"रवीन्द्र के भीतर में बैठे शिक्षक को समझने की जरूरत है। वे ऐसे शिक्षक हैं जिनके हृदय में देशवासियों को अच्छी शिक्षा देने की तड़फन है। वे प्रकृति के उपासक हैं, मानव व मानवता को प्रतिष्ठा दिलाना उनका संकल्प है। श्रेष्ठता के लिए अपनी योग्यता के सम्पूर्ण समर्पण से कम पर वे समझौता नहीं करते।"

– ओमप्रकाश सारस्वत
opsaraswat58@gmail.com

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक भास्कर ए. सावन्त द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एज्यूकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, बीकानेर के लिए माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से प्रकाशित एवं कोटावाला ऑफसेट, 82, सुदर्शनपुरा, इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित। -सम्पादक : भास्कर ए. सावन्त

सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर की एल्यूमिनि मीट के अवसर पर (बाएं) विद्यालय के पुरातन छात्र एवं शिक्षक तथा (दाएं) भूतपूर्व शिक्षकद्वय श्री हंसराज गर्ग एवं श्री जे.के. तोमर का सम्मान करते पुरातन छात्रगण।

राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार समिति, श्रीडूंगरगढ़ में 'पुस्तक, पाठक एवं पुस्तकालय' विषय पर आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित करते सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर श्री सूरजमल मीणा।

राजकीय बालिका उ.मा. विद्यालय, पिण्डवाड़ा (सिरोही) की बालिकाओं द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में रैली निकाली गई।

राजकीय उ.प्रा. विद्यालय, लूणासर (रतनगढ़) में स्वीडन पर्यटन दल ने कम्प्यूटर मय प्रिन्टर भेंट किया। इस अवसर पर (बाएं) कम्प्यूटर का शुभारम्भ करती सुश्री मारिया तथा (दाएं) पर्यटन दल को धन्यवाद ज्ञापित करते उप खण्ड अधिकारी श्री के.के. गोयल।

डाक पंजीयन संख्या
RJ/JPC/M-29/2011-13

शिविरा पत्रिका (मासिक)/मई-जून, 2011
प्रकाशन तिथि 2 मई, 2011 पृष्ठ संख्या 52
प्रेषण : हर माह की 5, 6 तारीख

समाचार-पत्र पंजीयन संख्या
10350/66

देश की माटी, देश का जल
हवा देश की, देश के फल
सरस बनें प्रभु, सरस बनें।

देश के घर और देश के घाट
देश के वन औ देश के बाट
सरल बनें प्रभु सरल बनें।

देश के तन औ देश के मन
देश के घर के भाई बहन
विमल बनें प्रभु, विमल बनें।

देश की इच्छा, देश की आशा
काम देश के, देश की भाषा
एक बनें प्रभु, एक बनें।

देश की माटी, देश का जल
हवा देश की, देश के फल
सरस बनें प्रभु, सरस बनें।

– रवीन्द्रनाथ टैगोर

हिन्दी रूपान्तर : भवानी प्रसाद मिश्र